खण्ड-238, अंक-5
शुक्रवार, 19 माघ, शक संवत् 1884
(8 फरवरी, 1963 ई0)

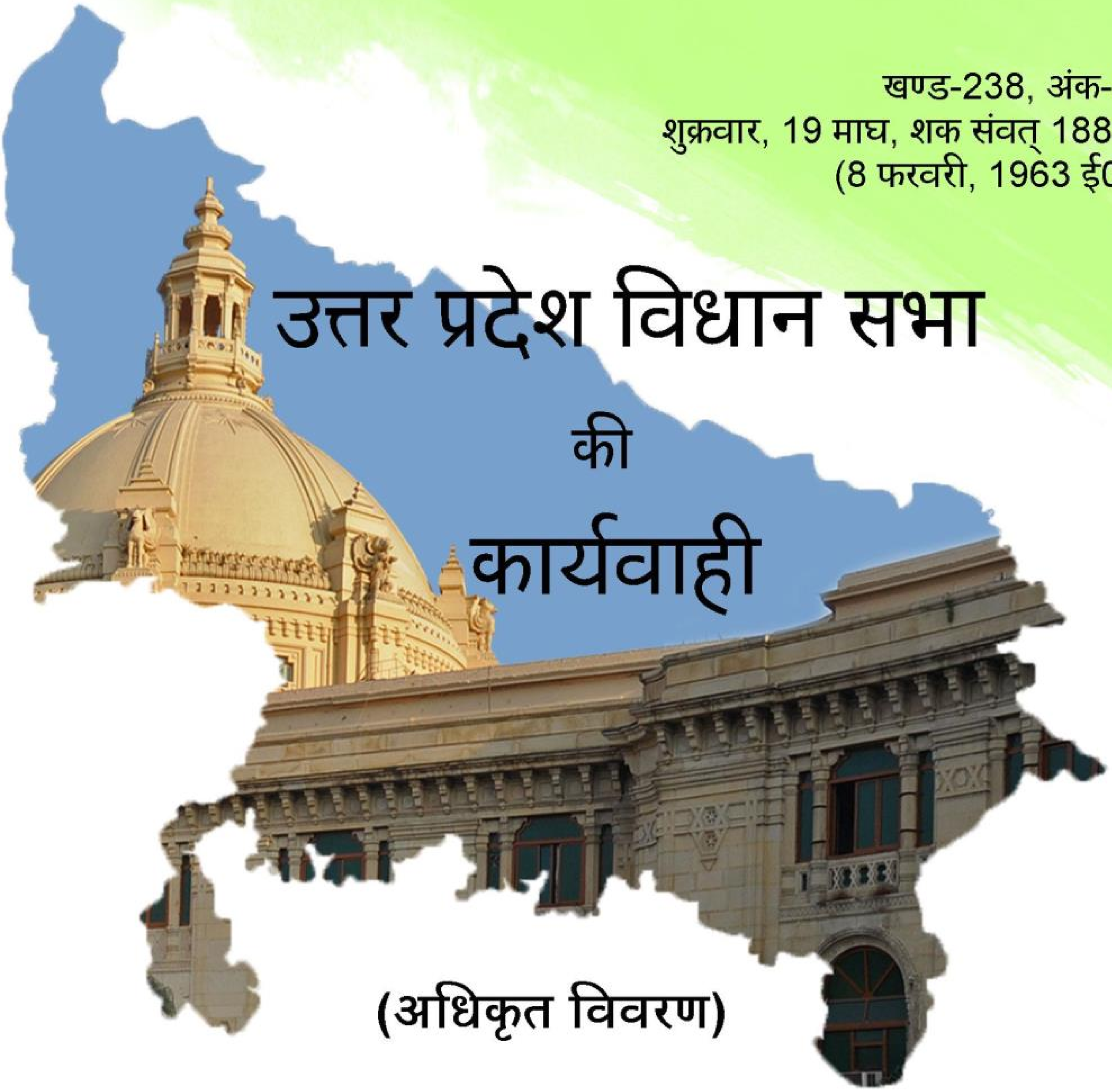

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 238 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३३१–३३५
९ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न ६१ के उत्तर का शोधन ..	३३५
प्रश्नोत्तर	३३५–३७१
आश्वासन समिति का १३वां प्रतिवेदन (दूसरा भाग) (उपस्थापित किया गया)	३७१–३७२
उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापित किया गया)	३७२
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिए समय निर्धारण की सूचना	३७२
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिए समय निर्धारण के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	३७२–३७३
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ की सूचनाएं	३७३–३७८
शनिवार, १६ एवं २३ फरवरी तथा १६ एवं २३ मार्च, १९६३ को विधान सभा की बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	३७८–३८३
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	३८३–४१८
हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	४१८–४२४
नत्थियां	४२५–४४९

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ८ फरवरी, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपास्थत सदस्य ३६२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशव सिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री

फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री

श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजन राम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेंद्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ८ फरवरी, १९६३

---

९ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न ६१ के उत्तर का शोधन

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दिनांक ९ अगस्त, १९६२ को श्री बृजेश्वर सहाय द्वारा जो तारांकित प्रश्न ६१ पूछा गया था उसका संशोधित उत्तर पेश करता हूं ।

मान्यवर, मूल प्रश्न यह था कि "क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास में २४ मार्च, १९६२ से अब तक कितनी चोरियां हुईं और उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या किसी चोरी का पता लगा या नहीं ?"

मान्यवर, उत्तर दिया गया था कि "२४ मार्च, १९६२ से १५ जून, १९६२ तक विधायक निवास में कुल चार चोरियां हुईं । जांच के पश्चात् दो मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई और शेष दो में अभी जांच जारी है।"

संशोधित उत्तर इस प्रकार है कि "२४ मार्च, १९६२ से १५ जून, १९६२ तक विधायक निवास में कुल ४ चोरियां हुई । जांच के पश्चात् २ मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई, १ मामले में जांच जारी है और शेष १ मामला 'अदम तफतीश' कायम हुआ था, अतः उसकी जांच नहीं की गई ।"

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कितने रुपये की चोरियां हुई थीं ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, एक चोरी में ४० रुपये की चादर चोरी हुई थी, एक में एक घड़ी चोरी हुई थी जिसकी कीमत १३० रुपये थी और एक मामले में ६५ रुपये के नोट चोरी हुए थे, एक मामले में केवल ताला टूटा था, चोरी कुछ नहीं हुई थी ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दो मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगाने के क्या कारण हैं ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, मैंने कल भी अर्ज किया था कि जब चोरी का पता नहीं लगता है और माल बरामद नहीं होता है तो अन्तिम रिपोर्ट लगा दी जाती है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन चोरियों में एक रेडियो भी चोरी गया था ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, जो चोरियां मैंने बताईं उनमें रेडियो का कहीं जिक्र नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक रिपोर्ट अदम तफतीश लिखी गई, इसका क्या कारण था ? किस के यहां यह चोरी हुई थी ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, यह चोरी श्री सत्यवीर, एम० एल० ए० के यहां हुई थी । उसमें ६५ रुपये के नोट चोरी गये थे । नोटों का पहचानना मुश्किल होता है । अगर पकड़े भी जाते तो पहचानना मुश्किल होता । इसलिये यह रिपोर्ट अदम तफतीश लिखी गई ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या मंत्री जी को पता है कि श्यामलाल जी के यहां से रेडियो की चोरी हुई थी और मामला अदालत में पेश है ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, मूल प्रश्न यह था कि २४ मार्च से अब तक कितनी चोरियां हुईं ? जिस समय सवाल पूछा गया था उस समय यह चोरी नहीं हुई ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या मंत्री जी विधायक निवास के प्रबंध में और इम्प्रूवमेंट करेंगे ?

श्री नवलकिशोर--

मौजूदा इन्तजाम माकूल है और चोरियां पर्सनल हुई हैं एम० एल० एज० की । यूं तो वहां चौकीदार भी हैं, केयरटेकर भी हैं, इन्तजाम बिलकुल ठीक है और मैं यह भी दरख्वास्त करूंगा कि मेम्बर साहबान भी अपने सामान के बारे में और ज्यादा सतर्क रहें तो यह नौबत नहीं आयेगी ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

जो मामला अदम तफतीश कायम हुआ था और जिसमें जांच जारी नहीं की गई उसमें एफ० आई० आर० क्या लिखायी गयी थी ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, यह था कि उनके ६५ रुपये के नोट चोरी हो गए ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना है कि १२३ नम्बर ए ब्लाक में भी रामसिंह जी और बलवीरसिंह जी के कमरे में रेडियो और उनकी अटैची वगैरह की चोरी हुई, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, यह तो नया प्रश्न है । अगर मेरे साथी इसकी इत्तिला देंगे तो जरूर मैं इसकी छानबीन कराऊंगा ।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ व फैजाबाद जिलों में एक्सटेन्शन टीचर

*१--श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ व फैजाबाद जिले में सरकारी और एडेड स्कूलों में कितने एक्सटेन्शन टीचर इस समय, सन् १९६२ में, ऐसे हैं जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए भी सी० टी० ग्रेड में हैं और एल० टी० ग्रेड में नहीं हैं ? ऐसा क्यों है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री अजीज इमाम)---

(अ) आजमगढ़ ३

फैजाबाद ५

(ब) उन्होंने इन सी० टी० ग्रेड के पद हेतु ही प्रार्थना-पत्र दिये थे। अतः उसी म ये नियुक्त हैं। नियुक्ति के समय में केवल अस्नातक और सी० टी० थे। अतः उन्ह सी० टी० ग्रेड का ही पद मिला।

*२---श्री इन्द्रासनसिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने कितने ऐसे व्यक्तियों के नाम विभाग में एल० टी० ग्रेड के निमित्त भेजे हैं? सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है और इसका निर्णय कब तक हो जायगा?

श्री अजीज इमाम---

(अ) आजमगढ़ से ३

फैजाबाद से ३

(ब) सी० टी० ग्रेड वालों को एल० टी० ग्रेड देना पदोन्नति का प्रश्न है। सम्प्रति किसी सी० टी० ग्रेड के अध्यापक को एल० टी० ग्रेड में पदोन्नति देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री इन्द्रासनसिंह---

माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सी० टी० ग्रेड से एल० टी० ग्रेड ने का क्या नियम है?

श्री अजीज इमाम---

सी० टी० ग्रेड से एल० टी० ग्रेड में करने की कई शर्तें होती हैं। सब से पहली चीज तो यह होती है कि एल० टी० ग्रेड में जगह हो, दूसरी चीज यह होती है कि सी० टी० ग्रेड के जिस आदमी को एल० टी० ग्रेड में भेजा जाय उसकी कार्यप्रगति भी देखी जाती है और तीसरी चीज यह होती है कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन एक सेलेक्शन कमेटी बनाते हैं, उस सेलेक्शन में अगर वह आ जाते हैं तो उनको एल० टी० ग्रेड दे दिया जाता है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अपने यहां जितने एल० टी० कालेजेज हैं सब में सीट्स पूरी हैं?

श्री अजीज इमाम---

यह कोई सवाल था नहीं, इसलिए इसका जवाब अभी तो नहीं दिया जा सकता।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

आपने अभी यह कहा कि सीट्स नहीं होती हैं इसलिए भी सी० टी० से एल० टी० ग्रेड नहीं दिया जाता, तो क्या पहले छानबीन कर ली जाती है कि सीट्स नहीं हैं?

श्री अजीज इमाम---

उसके लिए बजट में प्राविधान होता है। बगैर बजट में उसके प्राविधान के हम लोग कोई ऐक्शन नहीं ले सकते।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो एक्सटेंशन टीचर्स हैं इनका ग्रेड क्या है और क्या इनका कोई प्रेस्क्राइब्ड कैडर है तथा इनके प्रोमोशन के लिए क्या स्कोप है?

श्री अजीज इमाम---

एक्सटेंशन टीचर्स तो टेम्पोरेरी हैं इसलिए अभी कोई इनके बारे में विस्तारपूर्वक चीज नहीं तय हो पायी है । जब परमानेंट हो जायंगे तो तय हो जायगी ।

आजमगढ़ जिले में लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही

*३---श्री सुरजन राम विशारद (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के ग्राम पियरीपुर, तहसील मुहम्मदाबाद गोहना के हलका लेखपाल श्री मिश्री लाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी कागजातों और अनियमितता आदि को लेकर उक्त गांव के प्रधान तथा जनता ने जनवरी, १९६२ से जून, १९६२ तक कितने आवेदन-पत्र दिये हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)---

पांच । जांच के पश्चात् लेखपाल का स्थानान्तरण कर दिया गया है और उसके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है ।

मनोनीत प्रशिक्षार्थी अध्यापक

*४---श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष H. T. C., J. T. C. तथा L. T. की कक्षाओं में कितने-कितने व्यक्ति मनोनीत किये गये हैं और उनमें हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सदस्यों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है । अभ्यर्थियों को जाति-पांति के आधार पर मनोनीत नहीं किया जाता । इसलिये हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के मनोनीत व्यक्तियों का कोई पृथक रिकार्ड नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२५ पर)

गोरखपुर विश्वविद्यालय सम्बद्ध बी० एड, एल० टी० कक्षाओं के लिए अनुदान

*५---श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों को बी० एड० तथा एल० टी० कक्षाओं के लिये १९६०-६१ और १९६१-६२ में सरकार द्वारा कितना अनुदान आवर्त्तक तथा अनावर्तक दिया गया ?

श्री अजीज इमाम---

गोरखपुर विश्वविद्यालय से कालेजों को बी० एड० तथा एल० टी० कक्षाओं के लिये किसी प्रकार का अनुदान विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है ।

*६---श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

यदि सरकार द्वारा बी० एड० के लिये अनुदान नहीं दिया जाता है, तो क्यों ?

श्री अजीज इमाम---

क्योंकि बी० एड० अथवा बी० टी० विभाग डिग्री विद्यालयों के विभाग के रूप में विश्वविद्यालय के अन्तर्गत होते हैं, जिसमें वेतनक्रम एल० टी० कालेज के अध्यापकों से अधिक है । इस कारण बी० एड० व बी० टी० के ट्रेनिंग में अधिक व्यय होगा । इसके अतिरिक्त बी० एड० व बी० टी० विभाग डिग्री कालेजों में एक भारी संख्या में खुल गये हैं, यदि इसको प्रोत्साहन दिया गया तो कुछ समय में अधिक संख्या में प्रशिक्षित अध्यापक हो जायंगे जिसके फलस्वरूप बेकारी बढ़ जायेगी ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कौन-कौन से एल० टी० कालेज हैं ?

श्री अजीज इमाम---

तिलकधारी डिग्री कालेज, जौनपुर ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

मैं यह जानना चाहता हूं कि उस कालेज को सरकार की ओर से ग्रान्ट मिलती है, या मिली है अथवा नहीं ?

श्री अजीज इमाम---

एल० टी० के लिये मिलती है जिनको मान्यता सरकार द्वारा दी जाती है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित कालेजों को बी० एड० और बी० टी० के लिये किसी प्रकार की ग्रान्ट नहीं दी जाती है और अब वह दूसरा उत्तर दे रहे हैं तो इसका जरा स्पष्टीकरण कर दें ?

श्री अजीज इमाम---

गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त जिन कालेजों में बी० एड० और बी० टी० की पढ़ाई होती है उनको बी० एड और बी० टी० की ट्रेनिंग के लिये सरकार द्वारा ग्रान्ट नहीं दी जाती है । जिनको सरकार द्वारा एल० टी० की ट्रेनिंग के लिये मान्यता प्राप्त है उनको एल० टी० वाली ग्रान्ट दी जाती है । जौनपुर कालेज में एल० टी० की मान्यता सरकार द्वारा प्राप्त है इसलिये उसको सरकार द्वारा ग्रान्ट दी जाती है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बी० एड०, बी० टी० और एल० टी० अन्य प्रान्तों में भी रिकेग्नाइज्ड हैं और उनको दूसरी प्रान्तों में नौकरी मिलती है ?

श्री अजीज इमाम---

यह तो उन प्रान्तों की सरकारों के ऊपर हैं कि वह इसको मान्यता देते हैं या नहीं ।

श्री जगन्नाथ राव---

क्या माननीय मंत्री जी शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस बी० एड०, बी० टी० के लिये और ज्यादा कक्षायें हों, इसके लिये अनुदान स्वीकृत कराने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री अजीज इमाम---

वह तो जवाब दिया जा चुका है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

मंत्री जी ने अभी बतलाया कि एल० टी० कालेज को किसी तरह की ग्रान्ट नहीं मिलती है और अभी एक उत्तर में मंत्री जी ने बतलाया कि तिलकधारी कालेज को एल० टी० की ग्रान्ट दी जाती है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों उत्तरों में कौन सा उत्तर सही है ?

श्री अजीज इमाम---

प्रश्न ६ में नहीं बल्कि प्रश्न ५ में एल० टी० लिखा गया है उसके स्थान पर बी० टी० होना चाहिये ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि टी० डी० कालेज में चल रहे एल० टी० कालेज, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधीन है अथवा सरकार के किसी डिपार्टमेंट के अधीन है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)---

वहां पर एल० टी० कक्षा की मान्यता सरकार से मिली है और बाकी डिग्री कालेज की अन्य कक्षायें जो हैं उनके लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

मैं यह जानना चाहता हूं कि एल० टी० कालेज जो टी० डी० कालेज के अन्दर हैं वह विश्वविद्यालय के अधीन है या नहीं ?

श्री अजीज इमाम---

जौनपुर कालेज जो है वह उसकी कमेटी के द्वारा चलाया जाता है । मगर इस कालेज को मान्यता सरकार के द्वारा ही प्राप्त होती है। बगैर मान्यता प्राप्त एल० टी० की क्लास नहीं चला सकते ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह यह जानना चाहते हैं कि वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड है या नहीं ?

श्री केशभान---

एल० टी० कालेज के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तब उसको ग्रान्ट मिलती है । दूसरी डिग्री कक्षाओं के लिये सरकार मान्यता नहीं देती है वह विश्वविद्यालय देता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके माने यह हैं कि गोरखपुर में नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

यह कालेज सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करता है, लेकिन ऐसे कालेज में निहित है कि जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कालेज गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधीन है अथवा नहीं ?

श्री केशभान---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह पूछने का मतलब क्या है कि यह यूनिवर्सिटी में है या नहीं ? मान्यता से भिन्न इसका मतलब क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---

आपका मतलब यह है कि जहां तक इम्तहान वगैरह का ताल्लुक है वह एफीलियेटेड है या नहीं ?

श्री केशभान---

एल० टी० के इम्तहान एजूकेशन डिपार्टमेंट लेता है, यूनिवर्सिटी नहीं ।

नगसिया कृषि सहकारी समिति को भूमि के लिए मांग

*७---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नगसिया, तहसील पुखरायां, कानपुर, ग्राम सभा के अन्तर्गत कितने एकड़ परती भूमि है तथा उस भूमि में से नगसिया कृषि सहकारी समिति ने कितनी भूमि के लिये मांग की है और वह कब तक एलाट कर दी जायगी ?

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री बृजबिहारी)---

कुल ३३७ एकड़ परती भूमि है जिसमें से नगसिया कृषि सहकारी समिति ने २७९ एकड़ के लिये मांग की है। एलाट की जावेगी या नहीं या की जावेगी तो कब तक सरकार नहीं बता सकती। यह काम गांव सभा की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा होता है।

श्री मुरलीधर कुरील---

मैं सरकार की सूचना के लिये बतला देना चाहता हूं कि यहां की भूमि प्रबन्धक समिति के प्रधान चूंकि सहकारी समिति में ज्यादातर हरिजन हैं इसलिये उसे भूमि देने के खिलाफ हैं। तो क्या सरकार जो भूमि सहकारी समिति ने मांगी है उसे जिलाधीश से प्राप्त करके उसे देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री मुरलीधर कुरील---

क्या सरकार भूमि प्रन्धक समिति के जो नियम हैं उनमें परिवर्तन करके इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

किसी एक केस के लिये नियम नहीं बदले जाते।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो सहकारी समिति बनी है उसके मेम्बर भूमिहीन हैं अथवा उनके पास भूमि है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

चकबन्दी सम्बन्धी मुकदमें

*८---श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में चकबन्दी द्वारा जिलेवार कितने मुकद्दमें, अपील तथा निगरानी दाखिल हुए और उसमें कितने मंजूर हुए और कतने बिना सुने खारिज किये गये ? क्या उसकी एक तालिका १९६०-६१, १९६१-६२ को सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अभी सूचना एकत्र की जा रही है।

सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स की सेवा समाप्ति का नोटिस

*९---श्री रामसुन्दर पाण्डेय तथा श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

क्या शिक्षा मंत्री दिनांक १४ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के सदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि इन सेवा मुक्त सबडिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स में से कितने ऐसे सज्जन हैं जिन्हें सरकार की सेवा करते हुए ३ वर्ष से ऊपर हो गये थे ?

श्री अजीज इमाम---

तीन वर्ष से ऊपर सेवा काल के २३ विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक थे जिन्हें सेवा से मक्त किया गया।

*१०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय तथा श्री मंगलदेव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रकार के सज्जनों में से कितने सज्जन ऐसे हैं जिनकी अवस्था २८ वर्ष से अधिक है और सेवा मुक्त सज्जनों में से कितने सरकारी नौकरी में रख लिये गये हैं ?

श्री अजीज इमाम—

उपर्युक्त २३ में २८ वर्ष से ऊपर वाले २० सज्जन थे और इनमें से ५ अब भी सरकारी नौकरी में हैं ।

*११—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगलदेव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर नयी नियुक्तियां की गयी हैं ये स्थान कब से रिक्त रहे हैं और क्यों ?

श्री अजीज इमाम—

विभिन्न समय में होने वाली रिक्तियों के संबंध में चुनाव हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को ३-१०-५९ और १-१-६१ को लिखा गया था । चुनाव की सूची प्राप्त होने पर नियुक्तियां की गईं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । प्रश्न ११ के उत्तर में पूछा गया है कि वह स्थान कब से रिक्त रहे हैं और क्यों ? उत्तर दिया गया है कि लोक सेवा आयोग को ३०-१०-५९ को और १-१-६१ को लिखा गया था । तो यह स्थान रिक्त हैं यह बताया गया, लेकिन कब से रिक्त हैं यह नहीं बतलाया गया और उन पर यह जो निरीक्षक हैं वे कब से कमा कर रहे हैं ?

श्री अजीज इमाम—

यह सब पढ़ना पड़ेगा कि कब से कौन-कौन स्थान रिक्त हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या कोई स्टेटमेंट बना हुआ है आपके पास ?

श्री अजीज इमाम—

श्रीमन्, कौन-कौन से स्थान कब रिक्त हुए, इसके बारे में सूचना दे सकता हूं परन्तु वह स्टेटमेंट बहुत लम्बा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसे पढ़ दीजिये ।

श्री अजीज इमाम—

श्रीमन्, वह इस प्रकार है । १—१७ पद १९५९ में विद्यालय प्रति उप-निरीक्षकों के हेडमास्टर राजकीय दीक्षा विद्यालय के पद पर पदोन्नति से । २—२८ पद १९५९ के लोक सेवा आयोग के निर्वाचित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने से । ३—६१ पद अक्तूबर, १९६० में सृजन होने से । ४—१५३ पद अक्तूबर, १९६१ में सृजन होने से । ५—५१ पद सितम्बर, १९६१ में अतिरिक्त विद्यालय उप निरीक्षक के सृजन होने पर विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों की पदोन्नति से । ६—३ पद दिसम्बर, १९६० में उत्तराखंड में सृजन होने से । ७—६ पद १ ९६१ में विद्यालय प्रति उप निरीक्षक के अवकाश ग्रहण करने से । ८—६ पद १९६१-६२ में विद्यालय उप निरीक्षक के अवकाश पर विद्यालय प्रति उप निरीक्षक के पदोन्नति से । ९—५ पद दिसम्बर, १९६० में उत्तराखंड में सृजन होने से ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन २३ विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक के पद रिक्त हुए, उनकी अवस्था ५८ वर्ष की हो चुकी है और ३ वर्ष अधिक सेवा उन्होंने सरकार की की है ? तो ऐसे व्यक्तियों के लिये सरकार की ओर से क्या उपाय किया गया है ?

श्री अजीज इमाम—

श्रीमन्, जिनकी ५८ साल से ऊंची रही है, ऐसे २३ व्यक्ति हैं और उनमें से ५ को फौरी तरीके से सरकारी नौकरी में रख लिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो शेष पद हैं, उनके लिये क्या सरकार कार्य-वाही कर रही है ?

श्री अजीज इमाम—

श्रीमन्, जगह न होने की वजह से किसी को नहीं रखा गया है ।

आजमगढ़ जिले में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्राविडेंट फण्ड

*१२—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के राजकीय अनुदान पाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्थायी सभी अध्यापकों का Provident Fund के कटने के बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के पास कोई सरकारी आदेश गया है ? यदि हां, तो उसका पालन जिले में कहां-कहां हो रहा है ? यदि नहीं हो रहा है, तो क्यों ?

श्री अजीज इमाम—

जी नहीं । ऐसा कोई आदेश नहीं गया है । परन्तु इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा १६-जी के अन्तर्गत निर्मित विनियम संख्या ७७.८२ में तथा शिक्षा संहिता के परिशिष्ट ८ में आवश्यक प्राविधान है जो सभी राजकीय अनुदान पाने वाले माध्यमिक विद्यालयों पर लागू है । जब तक किसी संस्था विशेष से कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं आती, तब तक यह समझा जाता है कि उपर्युक्त नियम के अनुसार कार्यवाही हो रही है ।

*१३—श्री उमाशंकर—

क्या शिक्षा मंत्री आदेश का पालन न करने वाले कर्मचारियों को अविलम्ब कोई चेतावनी देंगे और आदेश का पालन करा कर Provident Fund तुरन्त कटवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अजीज इमाम—

यदि माननीय सदस्य कोई निश्चित शिकायत देंगे तो जांच की जायगी । जिला आजमगढ़ के विद्यालयों के संबंध में शिक्षा निदेशक का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है ।

श्री उमाशंकर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने कोई ऐसी सूचना दी है कि किन-किन विद्यालयों में यह प्राविडेंट फंड नहीं कट रहा है ?

श्री केशभान—

श्रीमन्, केवल एक विद्यालय के संबंध में ऐसी सूचना मिली है कि वहां इसको बंद कर रखा गया और इसका कारण आर्थिक कठिनाइयां बताया जाता है ।

श्री उमाशंकर---

क्या सरकार बतायेगी कि उस विद्यालय का नाम क्या है और क्या यह पता लगावेंगे कि वहां प्राविडेंट फण्ड कट रहा है ?

श्री अजीज इमाम---

उस स्कूल का नाम हीरालाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भरौली, आजमगढ़ है जिसके संबंध में यह सूचना आयी है कि वह इस प्रकार ऐक्ट नहीं कर रहे हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्राविडेंट फंड किस दर से काटा जाता है---स्कूल कितना देता है और अध्यापक कितना देता है ?

श्री केशभान---

प्रति रुपया १ आना टीचर से काटा जाता है और प्रति रुपया ३ नये पैसे मैनेजमेंट देता है और यह रुपया जमा किया जाता है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

यह साफ नहीं हुआ, जरा साफ कर दें ।

श्री केशभान---

६ नये पैसे प्रति रुपये के हिसाब से शिक्षक के वेतन से काटा जाता है और ३ नये पैसे प्रति रुपये के हिसाब से प्रबंध अपने पास से देता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या मंत्री जी को सूचना है कि इस स्कूल का प्राविडेंट फंड कितने सालों से नहीं काटा जा रहा है और अगर नहीं, तो इसके खिलाफ अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री केशभान---

वह प्रश्न संख्या १४-१५ में आ रहा है, उसमें विस्तार के साथ चर्चा हो जायगी ।

हीरालाल स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भरौली के अध्यापकों का फण्ड

*१४---श्री होरीलाल यादव, श्री नौनिहालसिंह चौधरी (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हीरालाल स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरौली, जिला आजमगढ़ के १३ अध्यापकों का प्राविडेंट फंड सन् १९५५ से सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और क्या वित्तीय वर्ष १९६१-६२ से वेतन वृद्धि रोक दी गयी है ?

श्री अजीज इमाम---

जी हां । १३ नहीं, १४ अध्यापकों के मामले हैं । संस्था की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके फंड का धन जमा नहीं किया गया ।

यह भी सत्य है कि १९६१-६२ में कुछ अध्यापकों की वेतन-वृद्धि रोकी गई है ।

*१५---श्री होरी लाल यादव, श्री नौनिहालसिंह चौधरी तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्कूल के अध्यापकों ने ५ दिसम्बर, १९६१ को उक्त शिकायत को दूर करने के लिये जो प्रार्थना-पत्र उप-शिक्षा संचालक सप्तम मंडल, गोरखपुर तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को दिये, उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अजीज इमाम---

५-१२-६१ को शिकायती-पत्र प्राप्त होने पर तथा उस के पूर्व भी संस्था की प्रबन्ध समिति को कई बार आदेश दिया गया है कि उक्त स्थिति में सुधार किया जाय; परन्तु घटती हुई छात्र संख्या तथा प्रबन्ध समिति के सदस्यों में वैमनस्य के कारण आय के साधन क्षीण होते गये जिसके कारण संस्था प्रतिवर्ष लगभग ५,००० रुपये के घाटे में चल रही है और कोई सुधार न हो सका । परिस्थिति की पूरी जांच करने तथा प्रबन्धकों द्वारा फंड का धन जमा कराने के लिये शिक्षा निदेशक को आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री होरीलाल यादव---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्कूल में कितने अध्यापक काम कर रहे हैं जिनमें से १४ का प्राविडेंट फंड मनी काटा जा रहा है ?

श्री अजीज इमाम---

कुल १४ अध्यापक वहां काम कर रहे हैं ।

श्री होरी लाल यादव---

क्या उक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सरकार द्वारा कोई आवर्तक या अनावर्तक सहायता दी जाती है ?

श्री केशभान---

जी हां ।

श्री होरीलाल यादव---

जब उन आदमियों के फंड नहीं जमा किये जा रहे हैं तो क्या सरकार प्रबन्ध करेगी कि जो सहायता प्रान्तीय सरकार की तरफ से दी जाती है उसमें से प्राविडेंट फंड का रुपया उनके हिस्से में जमा कर दिया जाय ?

श्री केशभान---

अभी तो वेतन में ही कमी है तो प्रावीडेंट फंड के लिये काटना अच्छा न होगा । अभी तो स्कूल से उनकी स्थिति सुधारने के लिये कहा जा रहा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या यह सही है कि इन अध्यापकों का जो ६ नया पैसा कटता है वह भी काटा गया है और जो मैनेजिंग कमेटी ३ नया पैसा जमा करती है वह जमा भी नहीं किया गया है ? कुल कितना रुपया काटा गया है यह भी बता दिया जाय ?

श्री अजीज इमाम---

कुल अध्यापकों के जरिये ९,४४७ रुपये ४५ नये पैसे काटे गये हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

यह जो ९,४४७ रुपया काटा गया और बैंक में जमा नहीं किया गया, इसका सूद का जो नुकसान हुआ है अध्यापकों को वह कौन देगा ?

श्री अजीज इमाम---

वह तो प्रबंध कमेटी को ही पूरा करना चाहिये ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

मैनेजिंग कमेटी ने जो अवैधानिकता बरती है इसके लिये सरकार क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करेगी ?

श्री अजीज इमाम---

इसमें कानूनी कार्यवाही की कोई बात नहीं है, लेकिन उनसे यह जरूर कहा गया है कि वह इस आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करें जिसका उन्होंने वादा भी किया है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बतायेगी कि उनकी जो तनख्वाह बढ़ाई गयी और जिसका रुपया सरकार ने भेजा है, वह रुपया अध्यापकों को अब तक क्यों नहीं मिला ?

श्री अजीज इमाम--

उसको दिलाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने अध्यापकों की वेतन वृद्धि रोकी गयी है और उसका कारण क्या है ?

श्री अजीज इमाम--

उसका कारण उन्होंने उनका कार्य असंतोषजनक बताया है ।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, मंत्री लोग बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, इस प्रश्न पर माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने दिये जायं ।

चकबन्दी विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*१६--श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि चकबन्दी विभाग में कितने कर्मचारी ५ वर्ष से भी अधिक समय से अस्थायी हैं ?

श्री बृजबिहारी--

चकबन्दी विभाग में ५ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे अस्थायी कर्मचारियों की संख्या ३१ अक्तूबर, १९६२ को ४,८४१ थी ।

श्री जगदम्बाप्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी इन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिये इस विधान सभा में कोई लेजिस्लेशन लायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

ऐसे मामलात में लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

यह अस्थायी कर्मचारी किस स्तर के हैं, और क्या सरकार इनको स्थायी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री बृजबिहारी--

इस में चकबन्दी अधिकारी ११९, सहायक चकन्दी अधिकारी ४१७, चकबन्दीकर्त्ता ६३०, चकबन्दी लेखपाल १,९००, ड्राफ्ट्स मैन १०५, लिपिक ५४३, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी १,१२७ ।

श्री भीखालाल--

इस बात को देखते हुये कि यह विभाग अस्थायी है और अस्थायी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की मनोवृत्ति रहती है, इनको स्थायी करके यह आश्वासन सरकार देगी कि विभाग के खत्म होने पर इनको माल विभाग में ले लिया जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हम तो इससे एग्री नहीं करते कि अस्थायी कर्मचारियों में यह बात होती है कि वे करप्ट होते हैं । लेकिन यह भी प्रश्न विचाराधीन है कि इनको परमानेंट या क्वासी परमानेंट कैसे किया जाय । इसके फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स पर विचार किया जा रहा है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार बतायेगी कि इनमें कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो स्थायित्व प्राप्त कर चुके हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसके लिये सूचना की जरूरत है ।

हैदरनगर से चकबन्दी कार्य के विरुद्ध शिकायत

*१७—श्री बंशीधर मिश्र (जिला खीरी) (अनुपस्थित) तथा श्री बँकटा सिंह (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि ग्राम हैदरनगर मजरा खम्भरिया, परगना कस्ता, तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी के गरीब हरिजनों ने वहां के जिलाधीश महोदय की सेवा में ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनके यहां चकबन्दी अधिकारियों ने चकबन्दी कार्यक्रम में उनके सार्वजनिक हित में घूर डालने, मुर्दे जलाने, गोचर भूमि तथा पशुओं के खड़े करने आदि के निमित्त भूमि छोड़ने की व्यवस्था नहीं की ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र मिला था और उस पर उचित कार्यवाही की गयी थी ।

ग्राम हैदरनगर वास्तव में ग्राम इनायत चौफ ग्रांट का मजरा है । इस ग्राम के कुछ घर ग्राम खमरिया की सीमा में स्थित हैं । ग्राम खमरिया की भूमि में से ग्राम हैदरनगर के निवासियों के उपयोग के लिये उचित मात्रा में भूमि सुरक्षित कर दी गयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

			एकड़
आबादी का विस्तार	..	..	०.९३
श्मशान व खाद के गड्ढे	..	..	०.७३
खलिहान	..	..	१.९५
अन्य उपयोग	..	..	६.००

आजमगढ़ जिला कचेहरियों में हरिजन कर्मचारी

*१८—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार ३ अगस्त, १९६२ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ६९ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टरी के १४६ तथा जजेज कोर्ट के ७० कर्मचारियों में क्लर्कों तथा चपरासियों की अलग-अलग संख्या क्या है और सरकार हरिजनों के लिये निर्धारित प्रतिशत को कब तक पूरा करने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ये संख्यायें केवल तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित हैं । कलेक्टरी में चपरासियों की संख्या १८९ है जिनमें से ६ हरिजन हैं । हरिजनों के लिये निर्धारित प्रतिशत की पूर्तिहेतु अवधि निश्चित नहीं की जा सकती है ।

जजेज कोर्ट से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१९—बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—

[१४ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

फतेहपुर जिले में सड़कों की निर्माण योजना

*२०—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर की विभिन्न तहसीलों व परगनों में इस तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में ही नागपुर योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिये किन-किन पक्की सड़कों को बनवाने का विचार उनके सामने हैं ?

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गनेशी लाल चौधरी)—

आवश्यक सूचना सदस्य महोदय के मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२६ पर)

*२१—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त जिले के परगना धाता में किंचितमात्र भी पक्की सड़कें नहीं हैं और बड़े-बड़े गांव व ब्लाक सेंटर जैसे धाता, असोथर आदि जिले के केन्द्र फतेहपुर से अभी तक पक्की सड़क द्वारा नत्थी नहीं किये जा सके ? यदि हां, तो सरकार इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

जी हां । सड़क निर्माण योजना प्रदेश तथा जिले की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है न कि परगना व तहसील के आधार पर । धनाभाव के कारण खागा क्षेत्र में किसी नई सड़क के निर्माण का प्राविधान तृतीय पंच वर्षीय योजना में नहीं किया जा सका है ।

श्री दीपनारायण सिंह—

क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी, जिस प्रकार सरकार पिछड़ी हुई जातियों को उठाने के लिये प्रयत्नशील है और उसके लिये विशेष व्यवस्था की गयी है, उसी प्रकार इस क्षेत्र में जहां कि एक भी मील पक्की सड़क नहीं है, जिसको कि सरकार ने प्रश्न २१ के उत्तर में माना भी है, इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में, अपनी गलतियों को सुधार करके, धाता ब्लाक सेंटर, असोथर से फतेहपुर तक पक्की सड़क बनायेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

इन बातों का जवाब प्रश्न के उत्तर में दिया जा चुका है । वैसे सरकार तो इन कामों के लिये वचनबद्ध है और वह उसको कर रही है । पहले तो पिछड़े हुये इलाकों को उठाने का सवाल है । उसके बाद जब धन उपलब्ध होगा हम इस कार्य को भी करेंगे जिसे माननीय सदस्य कह रहे हैं ।

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी फतेहपुर जिले के और इलाकों का धन काट कर ही धाता परगना में सड़क बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

घाटमपुर तहसील में चकबन्दी के कागजात गायब होना

*२२—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर के तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत होने वाली चकबन्दी के कार्य-काल में किन-किन ग्रामों के खसरा खतौनी के रजिस्टर गायब हुये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२३—श्री शिवनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि ग्राम बेहटा-गम्भीरपुर की खतौनी किन्हीं व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये गायब कर दी गई है और उसकी सूचना अब तक उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

चकबन्दी सम्बन्धी मुकदमों के निर्णय में देरी

*२४—श्री भगौतीदीन (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को मालूम है कि A.W.R. १९६२, Page 450 H. C. Section में रिपोर्टेड नजीर गंगासिंह बनाम डिप्टी डाइरेक्टर Consolidation. U.P. Lucknow and others के कारण किसानों के हजारों मुकद्दमे उस वक्त प्रचलित चकबंदी कानून के मुताबिक बिना फैसले दाखिल दफ्तर हो रहे हैं और किसानों के हकों का फैसला नहीं हुआ और किसानों को भारी क्षति हुई ? यदि हां, तो सरकार उन किसानों के हकों की रक्षा के लिये कौन-सा कदम उठाने की बात सोच रही है ?

श्री बृजबिहारी—

यह सत्य नहीं है कि उक्त निर्णय के कारण हजारों मुकद्दमे बिना फैसले दाखिल दफ्तर कर दिये गये हों। अतएव सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा के लिये कदम उठाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नजीर कौन-सी है और उसकी किन बातों से किसानों को क्षति पहुंच रही है और सरकार उस पर क्या करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सवाल में इसका हवाला दिया हुआ है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान उस फैसले की ओर गया है जिससे गरीब किसानों के खेत एक जगह होने में बाधा पड़ रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पांडेय जी, मुझे अफसोस है कि वह रूलिंग पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला।

श्री रक्षपालसिंह—

सन् १९५८ के चकबन्दी संशोधन कानून में एक जगह "or" की जगह "and" हो गया था जिससे हजारों मुकदमे स्टेड पड़े हैं, तो माननीय मन्त्री जी कानून में फिर कोई संशोधन करने की कोशिश करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस वक्त कोई वादा नहीं कर सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कितने मुकदमे हैं जो मन्त्री जी की जानकारी में दाखिल दफ्तर किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

काशीपुर उपनिवेशन के लिये अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

*२५—श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट में जो जमीन जिला नैनीताल में सरकार ने काशीपुर कालोनाइजेशन के लिये ग्रहण की है, तो क्या ऐसी सब जमीनों का मुआवजा अदा कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२६—श्री देवीदत्त (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह विदित है कि सरकार द्वारा तहसील काशीपुर, जिला नैनीताल, ग्राम महेशपुरा में जो जमीनें सन् १९४९ में कालोनाइजेशन के लिये ग्रहण की थीं उन सबका मुआवजा अदा हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ग्राम महेशपुरा तथा उज्जैन, तहसील काशीपुर, जिला नैनीताल में १०.४९ एकड़ भूमि जो कि काशीपुर कोलोनाइजेशन के हेतु ली गई है अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया जा सका है क्योंकि लैंड ऐक्यूजीशन ऐक्ट की धारा ६(१) की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इस विषय में लैंड ऐक्यूजीशन ऐक्ट कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिये राज्य सरकार उचित कार्यवाही कर रही है। और इसके पूर्ण होने पर मुआवजे की अदायगी कर दी जायगी।

जौनपुर जिले में चकबन्दी

*२७—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी से उत्पन्न स्थिति और उसकी उप-लब्धियों की जांच-पड़ताल करने के लिये एक चकबन्दी इवैलुएशन कमेटी नियुक्त करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बृजबिहारी—

जी नहीं। प्रत्येक जिले में एक चकबन्दी परामर्शदात्री समिति (Consolidation Advisory Committee) बनी हुई है जो चकबन्दी के प्रत्येक पहलू पर विचार करती है।

*२८—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर तहसील के कितने गांवों का चक बनाकर किसानों को अब तक दे दिया गया है? क्या इन चकों के बारे में शिकायतें की गयी हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री बृजबिहारी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२९—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शाहगंज तहसील, जौनपुर के कितने गांवों का चक अब तक नहीं बन पाया है या अधूरा है और उक्त चकों के पूरा न करने के क्या कारण हैं?

श्री बृजबिहारी—

शाहगंज तहसील में कुल ५८९ ग्राम चकबन्दी योजना के अन्तर्गत थे। इन सभी ग्रामों में नये चकों पर कब्जा दिया जा चुका है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

सरकार को एसी इवैल्युएशन कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--
चूंकि इसकी जरूरत नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--
क्या परामर्शदात्री समितियों में से किसी ने सरकार को ऐसी रिपोर्ट दी है कि चकबन्दी के कारण पर एकड़ ईल्ड ४ मन से कम होने लगी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--
अगर मेरी याददाश्त ठीक काम करती है तो कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--
क्या सरकार ने कोई ऐसा सुझाव दिया है कि एक या दो से ज्यादा चक न बनाये जावें एक किसान के लिये?

श्री हुकुमसिंह विसेन--
कहा तो यह गया है कि जहां तक हो ७५ परसेंट तक तो एक ही जगह चक बनें और अगर कहीं की जमीन मुखतलिफ किस्म की है तो उसमें २ और ३ तक भी बना दिये जायं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--
क्या माननीय मन्त्री जी को सूचना है कि जहां-जहां चकबन्दी हुई है उसमें जो डिमार्केशन हुये हैं वे कागज पर दूसरे हैं और जो बाउंडरी खेत पर हैं वह दूसरी हैं, जिससे बहुत कत्ल और खून हुये हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--
ऐसी सूचना नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--
जो उत्तर मन्त्री जी ने प्रश्न २९ का दिया है वह सत्य से परे है और कागजी व फर्जी है। उस क्षेत्र में गेरवाह, चकेसर और मनबल ऐसे गांव हैं जिनके लिये कहा जाता है कि चक बन गये हैं, लेकिन बने नहीं हैं। फर्जी हैं और कागजी तरीके से कब्जा भी दे दिया गया है। क्या मन्त्रीजी उसे ठीक कराने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--
मौजूदा रिपोर्ट से यह बात सही नहीं मालूम होती। हमारे मित्र लिखकर देंगे तो हम जांच करा लेंगे।

शाहजहांपुर जिले में सड़कों पर व्यय

*३०--श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में सड़कों के निर्माण पर प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कितना व्यय हुआ और कौन-कौन-सी नयी सड़कें बनवायी गयीं?

श्री गिरधारीलाल--
वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४२७ पर)

*३१--श्री राममूर्ति 'अंचल' (अनुपस्थित)--
क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कस्बा कांठ, जिला शाहजहांपुर से कुरिया जाने वाली कच्ची सड़क को पक्की कराने का सरकार का प्लान है? यदि हां, तो कब?

श्री गिरधारीलाल--
जी नहीं।

माधवराम डिग्री कालेज, फर्रुखाबाद का बन्द होना

*३२---श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे डिग्री कालेज हैं जिनमें १०० से कम विद्यार्थी हैं और सरकार से अनुदान पा रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--

दस डिग्री कालेज।

*३३---श्री दयाराम शाक्य (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद का माधवराम डिग्री कालेज क्यों बन्द करा दिया गया और बन्द होने के पूर्व परीक्षा के समय तक उसमें कितने विद्यार्थी थे ?

आचार्य जुगलकिशोर--

सम्बद्धता (affiliation) की शर्तों को पूरा न करने के कारण ।

७८ विद्यार्थी।

वाराणसी के घाटों की सुरक्षा

*३४---श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी) तथा श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के घाटों की सुरक्षा तथा कटाव को रोकने के लिये गंगा नदी में पत्थर का बोल्डर गिराने का कार्य निर्माण विभाग कर रहा है ? यदि हां, तो किस साल से तथा अब तक कितना रुपया उस मद में खर्च किया गया है तथा कुल कितनी स्वीकृत धनराशि है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

जी हां।

यह कार्य १९५७ से प्रारम्भ हुआ है और इस पर अक्तूबर, १९६२ तक कुल २७,५६,४५५ रुपये व्यय हुआ है। इस कार्य के लिये अब तक ७०.१६ लाख रुपये स्वीकृत हुआ है।

*३५---श्री गिरधारीलाल तथा श्री रामलखन वकील--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के घाटों तथा बाढ़ से शहर की सुरक्षा के लिये टूटे तथा जीर्ण-शीर्ण घाटों को फिर से बनाने की योजना है तथा विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वे तथा बजट तैयार किया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

वाराणसी के जीर्ण-शीर्ण घाटों की मरम्मत पुनर्निर्माण की एक योजना सरकार द्वारा ५०.७७१ लाख की लागत पर स्वीकृत की जा चुकी है। इस योजना के अधीन कार्य १९५५ में प्रारम्भ किया गया था और दुर्गा तथा ब्रह्मा घाट के कुछ भाग को छोड़कर यह कार्य पूर्ण हो गया है।

श्री गिरधारीलाल--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ७०.१६ लाख रुपये मरम्मत के लिये मंजूर हुये तो अब तक क्यों केवल २७ लाख ही खर्च हुये और बाकी के न खर्च होने का क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

फेजवाइज खर्च किया जाता है और जो काम पहले होना था वह हो रहा है।

श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि बोल्डर गिराने का ही काम सरकार ने मन्जूर किया है या और भी काम कराने के लिये रुपया स्वीकृत किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल--

बोल्डर गिराने का काम तो इसलिये किया जाता है कि जिससे घाट बदस्तूर कायम रह सके, जो पानी का दबाव उन पर पड़ता है उससे उनकी रक्षा करने के लिये हैं। इसके अलावा जो बहुत से घाट गिर गये थे उनको भी नये सिरे से बनाया गया है, जैसा कि दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है। और जो काम शेष है उसके बारे में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग से बातचीत हो रही है, उनसे किसी निर्णय पर पहुंच जायेंगे तो अगला काम हाथ में लिया जायगा।

श्री गिरधारीलाल (वाराणसी)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस साल भी जब कि खर्च के लिये बहुत-सा रुपया बकाया है और उन्होंने निरीक्षण भी कर लिया है तो क्या वे मरम्मत वाला कार्य जारी रखेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--

थोड़ा बहुत काम जो बहुत जरूरी है जिसको करने से काफी नुकसान बच जायगा, इस प्रकार के काम को लिये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ?

इलाहाबाद कलेक्टरी में हरिजनों की भर्ती

*३६--श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)--

क्या राजस्व मन्त्री प्रश्न संख्या ५ और ६, दिनांक १४ सितम्बर, १९६२ के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलेक्टरी कचहरी, इलाहाबाद में लिपिक तथा चपरासियों की किस योग्यता के अनुसार भर्ती की गई और हरिजन लिपिक तथा चपरासी किस योग्यता के लिये गये और क्या इम्प्लायमेंट एक्सचेंज तथा अखबार और गजट द्वारा सूचना दे दी गई थी कि सुरक्षित सीट की जगह खाली हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृजबिहारी--

लिपिक के लिये निम्न शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल परीक्षा निर्धारित है तथा चपरासियों के लिये कोई निम्न शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है। नियुक्त किये गये हरिजन लिपिकों में से एक इन्टरमीजिएट की योग्यता रखता है तथा शेष सभी हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हैं। निकट भूत में हरिजन लिपिकों पेड एप्रेंटिसों के लिये सुरक्षित स्थानों में नियुक्ति के लिये जो परीक्षा हुई थी उसकी सूचना इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले अखबारों में दे दी गई थी तथा इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा उम्मीदवार बुलाये गये थे। चपरासियों की नियुक्ति कार्यालय में बनाई गई नियमित सूची के आधार पर की गई थी अतएव इनकी रिक्त जगहों के लिये अखबारों तथा इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा भर्ती करने की आवश्यकता नहीं हुई।

श्री बंशीलाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि एक ओर तो देश में यह ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हरिजनों के लिये सीटें सुरक्षित हैं और उन पर हरिजनों को रखा जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा जो उत्तर दिया गया उसमें बताया गया कि जिला इलाहाबाद में २७८ अस्थायी लिपिक और ३७५ चपरासी हैं जिनमें से ८ लिपिक परिगणित जाति के हैं और ३२ चपरासी हैं। तो जो, सीट्स उनके लिये सुरक्षित हैं वे पूरी क्यों नहीं की गयीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जहां तक लिपिकों का सम्बन्ध है उनकी कुछ क्वालीफिकेशन होती हैं, उसमें जो आ जाते हैं उनको लिया जाता है, फिर भी ज्यादा से ज्यादा लिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं जिससे प्रतिशत पूरा हो जाय। चपरासी वेटिंग लिस्ट में से लिये जाते हैं। उनके बारे में बोर्ड आफ रेवेन्यू से आर्डर कर दिये गये हैं कि उसमें ज्यादातर हरिजनों के नाम होने चाहिये ताकि उनका प्रतिशत पूरा हो जाय।

श्री बंशीलाल---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जब हरिजन अथवा दूसरी जाति के लोगों के नम्बर बराबर आते हैं तो क्या हरिजनों को कोई सहूलियत दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

पर्चा देखकर उनको कुछ सहूलियत दी जाती होगी।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि चपरासी निरक्षर भर्ती किये जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी, कुछ हो जाते हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

हरिजन सीटों के लिये भी सब को समान अवसर दिया जाता है जैसा कि कहा गया है, लेकिन उनके साथ द्विजों को भी मौका मिलता है, तो क्या माननीय मन्त्री जी द्विजों के अलावा हरिजनों को विशेष अवसर देंगे ताकि उनकी सीटें पूरी हो जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

आदेश जारी हो चुका है, जिसका कि मैंने अभी हवाला दिया।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि योग्यता के अनुसार लोग रखे जाते हैं, मेरा कहना यह है कि द्विजों के बच्चे हरिजनों के मुकाबले में तो योग्य होंगे ही, ऐसी हालत में हरिजनों के लिये कोई विशेष अवसर दिया जायेगा जिससे उनका कोटा पूरा हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

एफिशिएंसी का भी ध्यान रखा जाता है।

श्री भीखालाल---

क्या माननीय मन्त्री जी का ध्यान उस कमेटी की रिपोर्ट की तरफ गया है जो चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल की अध्यक्षता में बनी थी इस बात की जांच करने के लिये कि सर्विसेज में हरिजनों का कोटा अब तक क्यों नहीं पूरा किया गया है ? साथ ही कमेटी ने इस बात को भी लिखा है कि विभागों द्वारा जब इम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मांगे जाते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया जाता कि इतनी सीटें हरिजनों के लिये रिजर्व हैं। तो क्या इस बात को कड़ाई के साथ लागू करने का प्रयास किया जायगा ताकि उनकी सीटें पूरी हो जायें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

यह बात तो बहुत मुनासिब मालूम होती है।

गोंडा जिले में 'वृहत् जोत-कर' से आय

*३७---श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में वृहत जोत-कर से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रत्येक वर्ष कितनी आय हुई ?

श्री बृजबिहारी---

गोंडा जिले में वृहत जोत-कर से द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में हुई प्रत्येक वर्ष की आय का विवरण निम्न प्रकार है---

(१) प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में कोई आय नहीं हुई।

(२) तीसरे वर्ष में १७,८३२ रुपये, चौथे वर्ष में १,४४,३०७ रुपये तथा पांचवें वर्ष में १,५७,८१३ रुपये की आय हुई।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वृहत जोत-कर से कुल आय कितनी हुई और किसानों पर कितना बकाया पड़ा हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

कितना बकाया है, यह बतलाना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ बकाया है जिसकी वसूलयाबी का प्रयास किया जा रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि गोंडा में कई रियासतें हैं जैसे राजा मनकापुर, राजा साहब प्रयागपुर आदि जिनके हजारों एकड़ के बड़े-बड़े फार्म्स हैं, उन्होंने केवल केले के कुछ डंठल या आम की डालियां गाड़ कर बगीचा बना लिया है, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन बड़े-बड़े राजाओं के ऊपर कितना बकाया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो खुल्मखुला में सब तफसील बतला दूंगा।

बुढ़ाना-कैराना सड़क सम्बन्धी समृति-पत्र

*३८---श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या सरकार को पता है कि बुढ़ाना-कैराना सड़क पर कांधला कस्बे में बाई-पास बनाने की जो योजना है उससे बागात को भारी नुकसान है और पूरी की पूरी सड़क बागात तथा कब्रस्तान में से होकर गुजरेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार कांधला कस्बे की म्युनिसिपल कमेटी के मशवरे से दोबारा सर्वे कराने की आज्ञा देगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

जी नहीं। सड़क केवल एक बाग में से होकर जाती है और वहां पर कोई आम कब्रिस्तान नहीं है। इस बाग में अवश्य दो कबरें हैं जिनको सड़क निर्माण से कोई हानि नहीं पहुंचेगी। सड़क का जो संरेखण तय किया गया है वह सर्वोत्तम है और इसमें किसी प्रकार का संशोधन सम्भव नहीं है।

*३९---श्री विजयपालसिंह---

क्या इसी बाई-पास के सिलसिले में कांधला निवासियों ने कोई मेमोरेण्डम सरकार की सेवा में भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके जो सुझाव उन्होंने दिया है उस पर कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

जी हां। संरेखण में संशोधन करने का जो सुझाव है उसको मानना सरकार के लिये अब सम्भव नहीं है।

श्री विजयपालसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कांधला में यह बाई पास जो बुढाना-केराना सड़क पर बनायी जायगी, इसकी कुल लम्बाई कितनी है और बाग से कितनी लम्बाई में सड़क होकर जायगी तथा कस्बे में कितनी दूर होकर गुजरेगी और कब्रिस्तान में कितना होकर गुजरेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

इसके लिय तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री विजयपालसिंह---

श्रीमन् यह बाई-पास मेरी सूचना के अनुसार कुल एक मील लम्बा है, इसमें से ४ फर्लांग तो कस्बे के बीच से होकर जायगा और जहां चौड़ा रास्ता है, २ फर्लांग का कब्रिस्तान है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके अलावा जो सुझाव दूसरे कस्बा निवासियों का मिला है कि यहां न बनाकर दूसरी जगह बाई -पास बनाया जाय उसमें विभाग को क्या दिक्कत है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

उसमें माइलेज बढ़ जायगा और कास्ट बढ़ जायगी ।

श्री विजयपालसिंह---

श्रीमन् मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस बाई-पास की जगह बदलने से कोई माइलेज नहीं बढ़ेगा और कस्बे में कोई इस तरह से उस को बनने देना नहीं चाहता और इससे कस्बे के मुसलमानों में काफी असन्तोष है, हजारों कब्रें इस सड़क के बीच में आ जाती हैं, क्या मंत्री जी इस पर सोचेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो इत्तिला मिली है उसमें हजारों कब्रें नहीं आती हैं केवल २ कब्रें ही बाग में आती है और केवल एक ही बाग बाई-पास में आता है । इसके अलावा कहीं और बनाते हैं तो कुछ पेड़ पड़ जायंगे और एक-दो पुल भी आते हैं जिससे खर्च बढ़ जायगा और असन्तोष भी फलेगा । दूसरे उसमें अच्छी फर्टाइल जमीने भी आने की सम्भावना है । कम से कम लोगों को इससे तकलीफ हो यह सोचकर इसको इस स्थान पर रखा गया है ।

रानीबाग-भीमताल सड़क पर पुल की आवश्यकता

*४०---श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थान रानीबाग, जिला नैनीताल में जो रानीबाग-भीमताल मोटर सड़क का पुल तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनना है उसके बनने के संबंध में क्या प्रगति हो रही है और उसके आज तक न बनाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल---

स्थान रानीबाग, जिला नैनीताल में रानीबाग-भीमताल मोटर सड़क पर किसी पुल का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत नहीं है अतएव उसके बनने एवं प्रगति का प्रश्न नहीं उठता ।

*४१---श्री देवेन्द्रसिंह---

क्या सरकार जनता की दिक्कतों को देखते हुए और भीमताल-रानीबाग मोटर रोड की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए इस बात का प्रबन्ध करेगी कि अगले वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले इस पर मोटरें चलने लगें ?

श्री गिरधारीलाल---

सरकार इस सड़क की उपयुक्तता के प्रति जागरुक है और यथासमय इस बात का प्रबन्ध करेगी कि इस पर मोटरें चलने लगें ।

टेहरी-घनसाली मोटर मार्ग के लिये सुझाव

*४२---श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि टेहरी-गढ़वाल का टेहरी-घनसाली मोटर मार्ग जखोली ब्लाक के मुख्यालय, जखौली होकर जा रहा है या नहीं ?

नोट---तारांकित प्रश्न ३९ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं। सड़क मुख्यालय के ठीक नीचे से जा रही है जहां से मुख्यालय पैदल मार्ग से करीब १ १/२ मील दूर है।

*४३--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--

क्या निर्माण मंत्री को मालूम है कि जखोली ब्लाक की जनता की सर्वसम्मत मांग है कि यह सड़क जखोली होकर जाय ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां। किन्तु यह मांग स्वीकार करना सम्भव न था क्योंकि उससे सड़क की लम्बाई करीब ५ मील बढ़ जाती है।

*४४--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--

क्या निर्माण मंत्री को यह भी मालूम है कि इस सड़क का जैसा एलाइनमेंट विभाग ने तैयार किया है, उससे समूचा ममली गांव समाप्त हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को गोर्यो से होकर बनायेगी जिससे किसी को भी नुकसान न होगा और सड़क जखोली पहुंच जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं। सड़क का alignment ऐसा बदल दिया गया है जिससे किसी की हानि न पहुंचे। अब alignment को और बदलना सम्भव नहीं है।

हीरालाल स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भरौली

*४५--श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़), श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हीरालाल स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भरौली, जिला आजमगढ़ में नागरिक शास्त्र और हिन्दी के पोस्ट-ग्रैजुएट पहले से विद्यमान हैं और अभी हाल ही में जिला विद्यालय निरीक्षक के विरोध के बावजूद भी उक्त योग्यता का कोई अध्यापक रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर--

नवम्बर, सन् १९५० से अब तक नागरिक शास्त्र और हिन्दी के किसी पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापक की नियुक्ति इस संस्था में नहीं की गई है।

सिकन्दरपुर-देहताल सड़क का ठेका

*४६--श्री दौलतलाल, श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ विभागीय डिवीजन के अन्तर्गत सिकन्दरपुर-देहताल रोड का ठेका ९ से १७ मील तक का किन-किन ठेकेदारों को कब-कब दिया गया और काम कब समाप्त हुआ और कामों का भुगतान कब-कब किया गया ?

श्री गिरधारीलाल--

वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दी हुई है।

(देखिये नथी 'घ' आगे पृष्ठ ४२८-४२९ पर)

*४७--श्री दौलतलाल, श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि कब एक्वायर की गयी और मुआवजा किसानों को कब प्रदान किया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

भूमि ४ अप्रैल, १९६२ को एक्वायर की गई। १९६१–६२ में मुआवजा बांटा गया और अभी तक बांटा जा रहा है।

ग्राम सभा, पतनई के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

*४८—श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री भीमाप्रसाद तथा श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री १४ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि १,०२३ रुपये की धनराशि में किस-किस मद के कितने-कितने रुपये शामिल हैं और क्या सब रुपये की पक्की रसीद दी गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस धनराशि का हिसाब निम्न प्रकार है—

	रु०
मछलियों के ठेके से प्राप्त	८७१
सिंघाड़े के ठेके से प्राप्त	१२५
एक लावारिस मकान के नीलाम से प्राप्त	२७
योग ..	१,०२३

सब रुपये की पक्की रसीद नहीं दी गई थी जिसका कारण तत्कालीन प्रधान की लापरवाही थी।

*४९—श्री रामसुदर पाण्डेय, श्री भीमाप्रसाद तथा श्री सत्यदेव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चमरौटी और ककटहिया के पोखरे से मछली और सिंघाड़े जिसका नीलाम प्रतिवर्ष होता है, उसकी कीमत क्यों नहीं जमा करायी गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस संबंध में प्रतिवर्ष नीलाम नहीं हुआ। तत्कालीन प्रधान ने कुछ रुपये लेकर स्वयं ही ठेके दे दिये थे। उनसे उक्त धन वसूल कर लेने के आदेश दे दिये गये हैं।

*५०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय, श्री भीमाप्रसाद तथा श्री सत्यदेव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आलापुर, मंसूरपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में जमींदारी विनाश के पहले कितनी पड़ती भूमि एकड़ों में थी और जमींदारी विनाश के बाद किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि एकड़ों में दी गयी और किन-किन व्यक्तियों को दिये जाने वाले खेत आज भी मौके पर परती हैं तथा परताल गलत हो रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ग्राम आलापुर व मंसूरपुर में जमींदारी विनाश से पहले क्रमशः १५ एकड़ व ३ एकड़ परती भूमि थी। जमींदारी विनाश के बाद इन गांवों में किसी व्यक्ति को कोई परती भूमि नहीं दी गई।

पड़ताल गलत नहीं हो रही है।

दीपेमऊ ग्राम का प्राइमरी स्कूल

*५१—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला रायबरेली में डलमऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम दीपेमऊ में किसी प्राइमरी स्कूल के लिये कुछ रुपया मंजूर हुआ था ? यदि हां, तो स्वीकृत धनराशि कितनी थी और क्या सब धन उचित व्यक्ति को दे दिया गया है ? इस संबंध में क्या जिला अधिकारियों के पास कोई शिकायती पत्र आया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

ग्राम दीपेमऊ के किसी प्राइमरी पाठशाला के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई। जिला अधिकारियों के पास कोई शिकायती पत्र भी नहीं प्राप्त हुआ।

बरहज, नरहन गांवों का सीमा विवाद

*५२—श्री कल्पनार्थासिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरहज और नरहन तहसील बांसगांव जिला गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच कोई सीमा विवाद है ? यदि हां, तो सरकार ने उसे हल करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आजमगढ़ और गोरखपुर जिले की सीमा पर स्थिति ग्राम बरहज तथा नरहन के लोगों का कहना है कि उन गांवों की सीमा घाघरा नदी की धूर धारा है। इस कथन के औचित्य पर जिला अधिकारी विचार कर रहे हैं।

*५३-५४—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

[१ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

*५५—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

[निरस्त किया गया।]

फरेंदा तहसील में टेस्ट वर्क

*५६—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में सन् १९६२ में ओला-ग्रस्त किसानों की सहायता हेतु टेस्ट वर्क जारी हुआ था ? यदि हां, तो किन-किन गांव सभाओं को किस-किस के माध्यम से कुल कितना-कितना रुपया दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, वांछित सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

*५७—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि फरेंदा तहसी में क्षतिग्रस्त ग्राम सभाओं में सन् १९६२ में टेस्ट वर्क का कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो उनके नाम क्या है और उनको किस दर से पेमेन्ट किया गया ?

---

*छापी नहीं गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

टेस्ट वर्क का कार्य इन क्षतिग्रस्त ग्राम सभा के प्रधानों अथवा उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कराया गया, जिनका विवरण† संलग्न है। ठेकेदारों द्वारा यह कार्य नहीं कराया गया, अतः ठेकेदारों को पेमेन्ट का प्रश्न ही नहीं उठता।

नार्मल स्कूल के अध्यापकों को परीक्षक होने की सुविधा

*५८--श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)--

क्या शिक्षा मंत्री यह व्यवस्था करेंगे कि ट्रेनिंग कालेजों के अध्यापकों व सब-डिप्टी इन्सपेक्टरों की भांति नार्मल स्कूलों के अध्यापक भी माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के परीक्षक हो सकें? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर--

नार्मल स्कूल के अध्यापकों को सब-डिप्टी इन्सपेक्टरों की भांति परिषद् की परीक्षा के परीक्षक होने की सुविधा पहले से ही प्राप्त है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*५९-६१--श्री गंगाप्रसाद--

[१ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

*६२--श्री ऊदल--

[१३ फरवरी, १९६३ के लिए स्थगित किया गया।]

*६३-६४--श्री ऊदल--

[१ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

आपदाकालीन छात्रवृत्तियां

*६५--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री दिनांक २१ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १ और २ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि अतिवृष्टि से पीड़ित क्षेत्र के छात्रों को चल सहायता प्रदान की गयी है कि नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। सन् १९६१ में बाढ़ एवं अतिवृष्टि द्वारा जलप्लावित क्षेत्रों में आपदाकालीन छात्रवृत्तियां बांटी गई थीं।

*६६--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले उन छात्रों की फीस, जो अतिवृष्टि से पीड़ित क्षेत्र के निवासी थे, माफ नहीं करने का कारण क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

घोसी तहसील के बाढ़ एवं अतिवृष्टि द्वारा जलप्लावित क्षेत्रों के विद्यालयों में पढ़ने वाले निर्धन तथा जरूरतमन्द विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्तियां दी गई थी।

*६७-६९--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

[१ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

*७०-७२--श्री होरीलाल यादव--

[१ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

---

†छापा नहीं गया।

सीमान्त जिलों की सड़कें

*७३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्य सरहदी जिलों, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमौली, गढ़वाल, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा आदि में सड़कों को ठीक कराने हेतु किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर कुल कितना खर्चा पड़ेगा तथा कितने दिन में यह कार्य पूर्ण हो जायगा?

श्री गिरधारीलाल—

उत्तराखण्ड जिलों की सड़क निर्माण के सिलसिले में योजना चालू है। अन्य जिलों की सड़क निर्माण योजनाओं के ऊपर विचार हो रहा है।

*७४–७६—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

[७ फरवरी, १९६३ के प्रश्न ४६–४८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*७७–७९—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

[१ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

नायब तहसीलदार

*८०—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में Collection Naib Tahsildars को Regular Naib Tahsildars में विलीन किस आधार पर किया गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

क्लेक्शन नायब तहसीलदारों तथा रेगुलर नायब तहसीलदारों के वर्गों (Cadres) को कार्य के हित में मिला दिया गया है।

*८१—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Collection Naib Tahsildar जो अभी सर्विस में हैं क्या पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुने जाते हैं? यदि नहीं, तो इनका विलीनीकरण Regular Naib Tahsildars की Seniority पर कोई प्रभाव डालेगी? यदि हां, तो वह क्या?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अधिकतर क्लेक्शन नायब तहसीलदारों का चुनाव लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है। ऐसे क्लेक्शन नायब तहसीलदार, जिनका चुनाव प्रारम्भ में आयोग द्वारा नहीं किया गया था, उनकी लगातार अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार आयोग की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

क्लेक्शन नायब तहसीलदारों तथा रेगुलर नायब तहसीलदारों के वर्गों के विलीनीकरण के पश्चात् पारस्परिक ज्येष्ठता के प्रश्न पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

राजकीय व्यायाम प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर में वाइस-प्रिंसिपल की नियुक्ति

*८२—श्री जगदीशप्रसाद तथा श्री दलजीतसिंह (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दो Gazetted Postes, Superintendent, Physical Education Lucknow तथा Vice Principal, Government College of Physical Education, Rampur का चुनाव ७ मई, १९६२ को Public Service Commission द्वारा हुआ था उसमें कितने candidates appear हुये थे, कौन दो व्यक्ति लिये गये और उनकी कहां-कहां नियुक्ति हुई?

आचार्य जुगलकिशोर—

१७ अभ्यर्थी। केवल एक व्यक्ति श्री हरि कपाल शर्मा को, जो वाइस-प्रिंसिपल के पद के लिये चुने गये थे, राजकीय व्यायाम प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर में नियुक्ति दी जा चुकी है। सुपरिण्टेण्डेण्ट के पद के लिये आयोग के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी में पेड़ों से आय

१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी की स्थापना के समय विद्यालय की सीमा में कितने वृक्ष लगे हुये थे और इस समय उनमें से कितने ह? शेष पेड़ों की लकड़ी से क्या आय हुई? क्या वह कैश बुक में जमा है? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—

विद्यालय की सीमा में स्थापना के समय कुल ४७३ वृक्ष लगे हुये थे। इस समय उनमें से ४२९ वृक्ष लगे हैं। शेष पेड़ों की लकड़ी से १,२५२ रु० की आय हुई जो कैश बुक में अंकित है और सरकारी खजाने में जमा कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

२—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त विद्यालय द्वारा १९६२ में आमों की नीलामी में सब से कम की बोली किस की थी और ठेका किसको दिया गया?

आचार्य जुगलकिशोर—

आमों की नीलामी में सबसे कम की बोली सुन्दरराम, कादीपुर की थी। सब से अधिक की बोली सरदार टिकमसिंह की थी, जिन्हें ठेका दिया गया।

ट्रेनिंग कालेजों से उत्तीर्ण विद्यार्थी

३—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में यू० पी० ट्रेनिंग कालेजों से कुल कितने ट्रण्ड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुयेट अध्यापक, एल० टी० और बी० टी० का सार्टिफिकेट हासिल कर के निकले?

आचार्य जुगलकिशोर—

उक्त वर्षों में एल० टी० व बी० टी० के सार्टिफिकेट हासिल करने वालों की संख्या निम्नवत है:

वर्ष				एल० टी०	बी० टी०
१९५७-५८	..	..	..	१,००६	५८६
१९५८-५९	..	..	..	१,०९२	७४३
१९५९-६०	..	..	..	१,०८४	१,३१९
१९६०-६१	..	..	..	९८७	१,६८५

४—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि कितने ट्रेण्ड अध्यापकों को काम मिला और कितने अब भी बेकारी के शिकार हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—

विभाग के पास इसकी सूचना नहीं है।

निघासन तहसील में आबकारी विभाग से आय

५---श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)--

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ के वर्षों में तहसील निघासन (जिला खीरी) से आबकारी विभाग को कुल कितनी आमदनी हुई तथा उक्त वर्षों पर विभाग पर कितना खर्च हुआ ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

सन् १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में तहसील निघासन (जिला-खीरी) से आबकारी विभाग को क्रमशः रुपये ८,०४,३५०; रुपये ८,६०,२५० तथा रुपये ११,२०,६०२ की आमदनी हुई और रुपये ८,२४४.२९ नये पैसे, रुपये ७,६९३.२२ नये पैसे तथा रुपये ७,१०१.१७ नये पैसे का खर्च हुआ।

ग्राम सभा, पलनई के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

६---श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगलदेव--

क्या राजस्व मंत्री दिनांक १४ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ की जांच कब तक समाप्त हो जायगी और यदि हो गयी है, तो उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा जांच समाप्त हो गई है। परन्तु जांच का विवरण बताना जनहित में न होगा।

७---श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगलदेव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार, घोसी द्वारा किन-किन मदों में व्यय तथा कार्यवाहियों में अनियमिततायें पायी गयीं हैं और १,०२३ रु० किन-किन मदों में किये गये अपव्यय तथा अनियमितता सम्बन्धी रुपया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

तहसीलदार, घोसी द्वारा पायी गई १,०२३ रु० की मदें तथा अनियमिततायें निम्न प्रकार हैं :

(क) सन् १३६४, १३६७ व १३६८ की फसली में मछलियों की नीलामी से प्राप्त धन--६७३ रु०।	यह रकम समय से खजाने में नहीं जमा की गई।
(ख) सन् १३६३ की फसली में मछलियों की नीलामी से प्राप्त धन--१९८ रु०।	इस रकम की रसीद नहीं दी गई, न वह ग्राम समाज के लेखे-जोखे में ली गई।
(ग) सन् १९५४ से १९५८ की फसली तक सिंघाड़ों की नीलामी से प्राप्त किया हुआ धन--१२५ रु०।	जैसा ऊपर।
(घ) लावारिस मकान की नीलामी से प्राप्त धन--२७ रु०।	..

बुलन्दशहर जिले में कृषि आय-कर का बकाया

८---श्री हिम्मतसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने लोगों पर और किस-किस पर कितना-कितना कृषि आय-कर आज तक बाकी है और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जिला बुलन्दशहर के पांच कर दाताओं पर, जिनके नाम नीचे दिये हुए हैं, निम्नलिखित कृषि आय कर बाकी है :

(१) श्री अब्दुल लतीफ खां--१,०४९ रु० ७४ नया पैसा।

(२) श्री महेन्द्रसिंह राठौर--५५८ रु० ५० नया पैसा।

(३) श्री किशन सिंह--४९ रु०।

(४) श्री लक्ष्मीनारायण--६१ रु० ५० नया पैसा।

(५) श्री महेन्द्र सिंह (औरंगाबाद चन्डोक)-१८० रु० १५ नया पैसा।

इनमें से ४ के विरुद्ध कर की धनराशि मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा एक करदाता से कर की वसूली कर निर्धारण अधिकारी के अदेशानुसार स्थगित कर दी गयी है।

९-१०--श्री लखपतराम शर्मा--

[१५ फरवरी, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

श्री दुर्गा जी डिग्री कालेज, चंडेसर में राजनीतिक पीड़ित छात्रवृत्ति

११--श्री झिलमिट राम (जिला गाजीपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री दुर्गा जी डिग्री कालेज, चंडेसर (आजमगढ़) में शिक्षा सत्र जुलाई, १९५९ से जून, १९६० में राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों के आश्रित विद्यार्थियों में कुल कितने विद्यार्थियों को राजनैतिक पीड़ित छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी? क्या उन स्वीकृत से सम्बन्धित विद्यार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर--

(क) दो छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई।

(ख) सूची सदन की मेज पर है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४३० पर)

१२--श्री झिलमिट राम--

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन स्वीकृत से सम्बन्धित विद्यार्थियों में कितने विद्यार्थियों को उक्त छात्रवृत्ति पूरे समय की दी जा चुकी है तथा कितने विद्यार्थियों को अभी तक नहीं प्राप्त हुयी है? क्या न पाने वाले विद्यार्थियों को सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर--

(क) दोनों छात्रों को जुलाई, १९५९ से जून १९६० की छात्रवृत्ति में से जुलाई, १९५९ से अप्रैल, १९६० का भुगतान हो चुका है। मई और जून, १९६० का भुगतान शेष है।

(ख) सूची सदन की मेज पर है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४३० पर)

मैनपुरी के बाहर बाई-पास सड़क बनाने की प्रार्थना

१३--श्री ब्रजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी) तथा श्री बलवीर सिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी शहर में ईसन नदी के पुल से राधारमण रोड होती हुई आगरा सड़क में मिलाने के लिये शहर के बाहर बाई-पास सड़क बनाने की कोई योजना है? उस पर सरकार ने क्या विचार किया ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं, ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

१४—श्री बृजेश्वर सहाय तथा श्री बलवीर सिंह—

क्या इस सड़क के सम्बन्ध में मैनपुरी नगरपालिका ने कोई प्रस्ताव पास करके, कि मैनपुरी शहर के बाहर बाई-पास सड़क बनायी जाय, सरकार के पास सन् १९६०–६१, १९६१–६२ में भेजा है? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री गिरधारीलाल—

इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव अध्यक्ष, नगरपालिका, मैनपुरी की ओर से मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में जुलाई, १९६० में प्राप्त हुआ था और उसके संदर्भ में अध्यक्ष महोदय को सूचित कर दिया गया था कि धनाभाव के कारण बाई-पास निर्माण का कार्य तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

मुहम्मदाबाद–शम्साबाद सड़क के लिये स्वीकृति

१५—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में मुहम्मदाबाद–शमसाबाद रोड सरकार द्वारा बनाने की स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो अब तक उससे सम्बन्धित क्या कार्य हो रहे हैं और कब तक तैयार हो जावेगी?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। सड़क का आगणन तैयार किया जा रहा है। आशा है कि सड़क १९६५ के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेगी।

कुमेढ़ा ग्राम में स्कूल की अधूरी इमारत

१६—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम कुमेढ़ा, ब्लाक कमासिन, तहसील बबेरू, जिला बांदा के स्कूल निर्माण हेतु फरवरी, १९६२ में लगभग ८०० रु० का चन्दा हुआ, जमीन दान में मिली तथा २५,००० ईंट ब्रह्मचारी जी ने दी व १,००० रु० का श्रमदान किया गया और २,५०० रु० की सहायता विकास द्वारा मिली, किन्तु सिर्फ एक कमरा 'अधूरा १२ × ८' का बना है और कोष समाप्त हो गया है, क्या सरकार हाकिम परगना द्वारा इसकी जांच कराने को तैयार है? अगर हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—

जांच के पश्चात् विदित हुआ है कि प्रश्नगत भवन निर्माण हेतु विकास समिति द्वारा प्रधान को केवल १,५०० रु० की धनराशि दी गई। इसके अतिरिक्त ३५० रु० ग्राम सभा फंड से, रु० ६४७.५० न० पै० चंदे से तथा ३५२ रु० टैक्स से एकत्रित किये गये, जिसका कुल योग, २,८४९.५० न० पै० होता है। १०,००० ईंट ब्रह्मचारी जी द्वारा दान में दी गई। प्रधान के पास व्यय का पूर्ण ब्योरा है। भवन निर्माण में २,८६०.८७ न० पै० व्यय हुये अर्थात् प्रधान ने ११.३७ न० पै० अधिक व्यय किये। पाठशाला का एक कमरा २३ १/४ × १४ १/२ × ११ १/२ बन कर तैयार है। प्रधान के पास एक बरांडे के लिये ५८ बोरे सीमेंट तथा छत के लिये लोहे की सरियां मौजूद हैं किन्तु ईंट न मिलने से निर्माण-कार्य रुका है।

फतेहपुर जिले में सड़कें

१७—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में पक्की सड़कों की सबसे अधिक कमी प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र किशुनपुर में क्यों है और तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में भी उक्त निर्वाचन क्षेत्र में पक्की सड़कों के बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं रक्खा गया?

श्री गिरधारीलाल--

सड़क निर्माण योजना प्रदेश तथा जिले की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है न कि निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर । जो सड़कें योजना में सम्मिलित की जाती है वह अधिकतर स्थानीय अन्तरिम जिला परिषद् के द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार होती है ।

१८--श्री दीपनारायणसिंह--

क्या सरकार कृपा करके जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत सिराथू से उदहिन तक की सात मील कच्ची सड़क को पक्की करा कर और उसे जिला फतेहपुर के अन्तर्गत उक्त सिराथू-धाता-बम्हरौली कच्ची सड़क को उदहिन से धाता तक और धाता से बम्हरौली तक पक्की करा कर जनता की असुविधा को इसी तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल के तीसरे वर्ष के अन्त तक दूर करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं । धनाभाव क कारण इन सड़कों का निर्माण तृतीय योजनाकाल में सम्भव नहीं है ।

देवरिया जिले में सड़कें

१९--श्री कैलाश (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के सलेमपुर पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र में कौन-कौन-सी सड़कों पर निर्माण-कार्य जारी किये जावेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--

इस क्षेत्र म मझौली-सलेमपुर, मझौली-महरौना तथा सलेमपुर-भाटपार रानी सड़कों पर कार्य जारी किये जायेंगे ।

२०--श्री कैलाश--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया के सलेमपुर तहसील में मास्टर प्लान में कौन-कौन-सी सड़कें ली गयी हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

तहसीलवार कोई मास्टर प्लान नहीं बना है । जिला देवरिया के सलेमपुर तहसील में तीसरी पंचवर्षीय योजना में सलेमपुर-भाटपार रानी मार्ग ली गई है। एक सी० सी० ट्रेक की सड़क भटनी छठियाओं, पिपरा देवराज होते हुये योजना में बनेगी ।

झूंसी-दारागंज पुल निर्माण न हो सकना

२१--श्री बंशीलाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री मेरे प्रश्न संख्या ७०, ७१, ७२, तेरहवें शुक्रवार (१९-१०-६२) के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि झूंसी से दारागंज के पुल के सर्वे सन् १९५९ ई० में कराने से २,२४७ रुपया व्यय करने के बाद सरकार पुल क्यों नहीं बना रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार सर्वे कराया गया था । उन्होंने अब निश्चय किया है कि धनाभाव के कारण इस पुल का निर्माण बर्त्तमान योजनाकाल में सम्भव नहीं है ।

२२--श्री बंशीलाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जबकि हर साल लगभग ७२,३०० रु० अस्थायी पुल बनवाने में सरकार खर्च करती है तो क्या केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी करके स्थायी पुल बनाने की योजना पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—

केन्द्रीय सरकार से इस विषय में पहले से ही लिखा पढ़ी हो चुकी है, परन्तु धनाभाव के कारण उन्होंने इस पुल को वर्त्तमान योजना काल में बनवाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ।

सहरावां में पान की फसल को क्षति

२३—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

२४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९० के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहरांवा ग्राम के प्रधान व अन्य किसानों के कथित आवेदन-पत्र की जांच किस अधिकारी ने और किस तिथि को की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कथित आवेदन-पत्र की जांच कानूनगो, पुरवा ने १३ मार्च, १९६२ को की थी ।

राबर्ट्सगंज क्षेत्र में फसल, मझई ग्राम के अग्निपीड़ितों को सहायता

२४—श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर जिले के पहाड़ी क्षेत्र राबर्ट्सगंज में वर्षा डेढ़ दो माह पिछड़ जाने से समय पर धान न तो बोये गये और न बीज ही पड़ा जिससे फसल निहायत कमजोर हो गयी और बाद में ज्यादा पानी बरसने से फसल को काफी नुकसान हुआ ? उसमें सरकार ने वहां के काश्तकारों को क्या सहायता दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, उक्त क्षेत्र में लगभग एक माह देर से वर्षा होने के कारण फसल लगभग २ सप्ताह देर से बोई गई, लेकिन बाद में अच्छी वर्षा होने से फसल काफी सुधर गई । उक्त अधिक वर्षा से फसल को लाभ ही हुआ, हानि नहीं । विलम्बित वर्षा के कारण हुई क्षति (रुपये में २५ नये पैसे से ३० नये पैसे तक) इतनी न थी कि नियमानुसार कोई सहायता तथा मालगुजारी में छूट इत्यादि दी जाती ।

२५—श्री रामनाथ पाठक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१ में जिला मिर्जापुर, तहसील राबर्ट्सगंज में मार्च, अप्रैल के महीने में मझई ग्राम पूरा जल गया था ? यदि हां, तो आदिवासियों को जो उस गांव में रहते थे कितनी सहायता मिली और कब ? यदि नहीं मिली, तो इसका कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां । अग्निपीड़ितों को कोई सहायता नहीं दी जा सकी क्योंकि जिला अधिकारियों को सूचना समय पर नहीं मिली । जिन अहलकारों की गलती से सूचना नहीं मिल पाई उनके विरुद्ध जांच की जा रही है ।

२६—श्री रामनाथ पाठक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मझई ग्राम इस वर्ष पुनः जल गया । यदि हां, तो उस गांव के रहने वालों को क्या सहायता दी गयी और कब ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां । उक्त ग्राम के २० पीड़ित परिवारों को २५ रु० की दर से कुल ५०० रु० गृह निर्माण हेतु सहायता दी गई तथा जंगलात विभाग से बांस-बल्ली इत्यादि निःशुल्क दिलवाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

मिर्जापुर जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

२७—श्री रामनाथ पाठक—

क्या सरकार को मालूम है कि जिला मिर्जापुर के पहाड़ी स्थान में अक्सर आग लगती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोक-थाम के लिये जिला अधिकारियों को आज्ञा देगी और इस वर्ष अब तक कितने गांव जले और उनकी क्या सहायता हुई, इसे बताने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह कहना ठीक नहीं कि पहाड़ी स्थानों में अक्सर आग लग जाती है । हां, गर्मियों में कुछ अग्निकांड हो जाते हैं । रोक-थाम की कोई निश्चित व्यवस्था कर सकना सम्भव नहीं । इस वर्ष पहाड़ी क्षेत्र के ६ प्रभावित ग्रामों के १२ व्यक्तियों को १९५ रुपया आर्थिक सहायता के रूप में दिया जा चुका है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अस्थायी वर्क चार्ज

२८—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो लोग १५–२० साल से वर्क चार्ज व मास्टर रोल के काम में अब तक अस्थायी हैं उन्हें सरकार शीघ्र स्थायी करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

(क) सार्वजनिक निर्माण विभाग के १०५१ वर्क चार्ज में काम करने वाले १५–२० साल के कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान (Regular Establishment) में लिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर जिले में सेंगुर नदी पर पुल निर्माण योजना

२९—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील हेडक्वार्टर स्थान डेरापुर स्थित सेंगुर नदी पर नये पुल निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उसके बन जाने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । रूरा-डेरापुर सड़क पर पड़ने वाला सेंगुर नदी का पुल १९६४ के अन्त तक बन कर तैयार हो जाने की आशा है ।

जौनपुर जिले में 'क्राफ्ट' सिखाने पर व्यय

३०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि जौनपुर में बेसिक तथा जूनियर हाई स्कूलों की क्राफ्ट के नाम पर अर्थात् रुई, टाट पट्टी, तकली, चर्खा इत्यादि के लिये सरकार कितना वार्षिक अनुदान देती है और उसमें विभिन मदों पर कितना खर्च किया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जौनपुर जिले के जूनियर बेसिक स्कूल के हेतु ५१,१५१ रुपया तथा जूनियर हाई स्कूलों के लिये ७०० रु० प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है । उक्त ५१,१५१ रु० में से लगभग ८० प्रतिशत धनराशि क्राफ्ट सामग्रियों तथा २० प्रतिशत धनराशि पूरक पुस्तकों तथा पत्रिकाओं पर प्रति वर्ष व्यय हो जाती है ।

टाट पट्टी इस धनराशि से नहीं क्रय की जाती है ।

जालौन जिले में विलीन रियासतों के अध्यापकों क सवा नियम

३१—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले के जो रियासतें विलीन हुई थीं उनके मास्टरों का वेतन ग्रेड, प्राविडेंड फंड और सर्विस की अन्य सुविधाएं, पेंशन आदि जो उत्तर प्रदेश में हैं अभी तक उन्हें क्यों नहीं दी गयीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के लिये गये विलीनीकृत अध्यापकों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर विभागीय नियमों के अनुसार यू० पी० ग्रेड दिया जा चुका है ।

प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल तथा इस प्रकार के अन्य स्कूलों में लिये गये अध्यापकों को जिला परिषद् के अध्यापकों के लिये निर्धारित ग्रेड दिया गया है ।

अन्य यथोचित सुविधायें भी इन अध्यापकों को प्रदान की गयी हैं ।

३२—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन रियासतों के अध्यापकों की सर्विस स्टेट टाइम पर पेंशनेबुल थी ? यदि हां, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार इन अध्यापकों को उत्तर प्रदेश में पेंशन देने तथा अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा देने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां । पेंशन पाने के योग्य अध्यापकों को पेंशन या ग्रेचुटी जैसी कि अवस्था हो, देने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

३३—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

क्या सरकार को सूचना है कि अभी तक इन रियासतों से आये हुए अध्यापकों को, जो ट्रेंड थे उन्हें अभी तक ट्रेण्ड टीचर का ग्रेड क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

ट्रेंड अध्यापकों को ट्रेंड टीचर का ग्रेड दिया जा रहा है ।

लखनऊ में हायर सेकेण्डरी स्कूलों के अध्यापकों का प्राविडेंट फण्ड तथा महंगाई भत्ता

३४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि लखनऊ शहर में स्थित कितने ऐसे हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं जहां के अध्यापकों का प्राविडेंट फंड उनके स्थायी होने की तिथि से नहीं काटा जाता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

लखनऊ नगर के ८ बालकों के तथा १६ बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कतिपय अध्यापकों के प्रावीडेंट फंड की कटौती उनके स्थायी होने की तिथि से कुछ बाद से प्रारम्भ हुई है ।

१२ बालकों के तथा १० बालिकाओं के विद्यालयों में कुछ स्थायी अध्यापकों के प्रावीडेंट फंड की कटौती अभी प्रारम्भ नहीं हुई है । उनको आदेश दे दिये गये हैं कि इन अध्यापकों का भी प्रावीडेंट फंड उनके स्थाई होने की तारीख से काटा जाय ।

३५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इन स्कूलों में १ जुलाई, १९६२ से बढ़ा हुआ २० रुपया महंगाई भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगल किशोर--

जी हां । केवल एक विद्यालय में ऐसा नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां महंगाई भत्ता मार्च के महीने में इकट्ठा दिया जाता है । अब उसे प्रतिमास नियमित रूप से महंगाई भत्ते का भुगतान करने के विषय में आदेश दे दिये गये हैं ।

राजेन्द्रनगर, लखनऊ के सरकारी क्वार्टर

३६--श्री रामचन्द्रसिंह] (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या यह सच है कि सरकार ने राजेन्द्रनगर, लखनऊ के सरकारी क्वार्टरों के सामने के निजी बाग-बगीचों तथा घेरों को हटाने का आदेश दे दिया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री गिरधारीलाल--

२४ जनवरी, १९५७ को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा ये आदेश जारी किये गये थे कि इन क्वार्टरों के सामने की भूमि सभी किरायेदारों के उपयोग के लिये हैं, अतः जब तक एक ब्लाक के सभी किरायेदार सहमत न हों, किसी एक किरायेदार को अपने क्वार्टर के सामने घेरा लगाने की अनुमति न दी जाय । उक्त आदेश में यह भी कहा गया था कि किरायेदारों को उक्त खुली भूमि में तरकारियां आदि उत्पन्न करने की अनुमति भी न दी जाय ।

३७--श्री रामचन्द्रसिंह--

क्या यह सच है कि इन घेरों तथा बाग-बगीचों से क्वार्टरों के नल का एक बड़ी मात्रा में पानी के इस प्रकार दुरुपयोग को रोकने के लिये वहां के निवासी लगभग ६ वर्ष से मांग कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

ऐसी कुछ शिकायतें सरकार के पास गत वर्षों में समय-समय पर आती रही हैं और इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिये प्रत्येक मकान में अलग-अलग मीटर लगाने की आदेश दिये गये हैं ।

३८--श्री रामचन्द्रसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह निजी बाग-बगीचे और घेरे कब तक हट जायेंगे और उनके स्थान पर सरकार अपनी ओर से घेरे इत्यादि की व्यवस्था करेगी जिसका ऊपर तथा नीचे के निवासी दोनों की समान रूप से उपयोग कर सकें ?

श्री गिरधारीलाल--

निजी बाग बगीचों और घेरों को हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा है, शीघ्र ही ये हट जायेंगे । सरकार ने यहां पर "कामन" घेरे (common fencing) लगाने का तखमीना (Estimate) भी स्वीकृत कर दिया है ।

बांसगांव तहसील में लेखपाल के विरुद्ध गबन की शिकायत

३९--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बांस गांव तहसील में मामखोर के ग्राम सभापति, श्री अवधबिहारी शुक्ल ने कोई दरख्वास्त सुरक्षा फंड में दिये गये लेखपाल को धन के गबन के सम्बन्ध में तारीख २२ नवम्बर, १९६२ को जिलाधीश, गोरखपुर को दी थी ? यदि हां, तो क्या राजस्व मंत्री उस दरख्वास्त की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे तथा यह भी कृपया बतायेंगे कि उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

तारीख २१-११-१९६२ को इस आशय की दरख्वास्त जिलाधीश को दी गयी । दरख्वास्त की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है। तहसीलदार द्वारा मामले की जांच करायी गयी जिसके फलस्वरूप लेखपाल के विरुद्ध लगाया गया आरोप निराधार पाया गया ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४३१ पर)

४०–४२—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—

[१ मार्च, १९६३ क लिए स्थगित किये गये।]

४३–४४ श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

[१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

एन० सी० सी० ट्रेनिंग

४५—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में स्कूल तथा कालेजों में एन० सी० सी० ट्रेनिंग अभी तक चालू है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

बाराबंकी को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में एन० सी० सी० ट्रेनिंग की व्यवस्था है।

आश्वासन समिति का १३वां प्रतिवेदन—(दूसरा भाग)*

†कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं आश्वासन समिति का १३वां प्रतिवेदन (भाग २) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में उन १८७ आश्वासनों का समावेश है जो सदन में १–४–१९६१ से १९–५–१९६१ तक की अवधि में दिये गये थे। इन आश्वासनों पर विचारोपरान्त समिति ने ११२ आश्वासनों को पूर्ण मान लिया है। इस प्रकार ५९ प्रतिशत पूर्ति हुई है। शेष आश्वासनों में से ६८ अभी अपूर्ण हैं तथा ७ के बारे में संबंधित विभागों से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। इन ७ आश्वासनों के संबंध में समिति ने विभागीय सचिवों को बुलाकर उनसे स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, उन्होंने समिति को जो स्थिति बताई उससे आश्वासनों के प्रति विभागों की उपेक्षा स्पष्ट हो जाती है। इसी संदर्भ में, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि साधारणतया आश्वासन की पूर्ति ३ मास में हो जानी चाहिये, परन्तु खेद का विषय है कि ५९·८ प्रतिशत आश्वासन जो पूर्ण हुए उनमें से अधिकतर निर्धारित समय में पूरे नहीं हुए। कुछ मामलों में तो आवश्यकता से अधिक समय हो चुका है परन्तु वे अब भी अपूर्ण हैं। इसके समर्थन में मैं केवल एक आश्वासन का उल्लेख कर रहा हूं। यह १८ अप्रैल, १९५९ को 'ग्राम मेहदीनगर,' थाना काकोरी, जिला लखनऊ में पड़ी डकैती के संबंध में माननीय गृह मंत्री ने सदन को आश्वासन करते हुए कहा था कि मामले में अनुसंधान जारी है। संबंधित विभाग ने समय-समय पर समिति को जो सूचना दी है उससे यह स्पष्ट है कि जिलाधीश, लखनऊ को स्मरण कराने के उपरान्त भी सरकार अभी तक उनसे रिपोर्ट प्राप्त करने में असमर्थ रही है। खेद का विषय है कि जो सूचना तत्काल जिलाधीश, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती थी वह इतना अधिक समय बीत जाने पर भी प्राप्त नहीं की जा सकी। यह एक मिसाल मैंने दी है, यदि आप प्रतिवेदन को देखें तो इस प्रकार के कई मामले आपके सामने आयेंगे। शासन को इस पर सोच-विचार कर के कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिससे लोक महत्व के विषयों पर शीघ्र कार्य हो सके।

प्रतिवेदन को समाप्त करने से पूर्व मैं, इस समिति से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग, सहायता तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

उप-नेता सदन कुछ कहना चाहेंगे ?

---

* छापा नहीं गया।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

जो देर हो गई है उसके कुछ कारण हैं और आइन्दा अहतियात इस बात की की जायगी कि आइन्दा इस तरह की देर आश्वासनों को पूरा करने में न हो।

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३

कृषि उप मंत्री (श्री शिवराजसिंह यादव)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनेक सदस्य---

एजेन्डे पर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष---

एजेन्डे पर नहीं है लेकिन जब जरूरी काम आ जाता है, तो करना पड़ता है।

श्री शिवराज सिंह---

इस विधेयक की कापीज माननीय सदस्यों के पिजन होल्स में रख दी जायेंगी।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४३२-४४९ पर।)

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे एक सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी ७-२-६३ की बैठक में निश्चय किया कि निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उनके पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय।

१---उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार तथा उसका पारण ८ फरवरी, १९६३ को सायंकाल ५ बजे तक।

२---हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार और उसका पारण सायंकाल ५ से साढ़े ५ बजे तक।

३---उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३ पर विचार और उसके पारण के लिये २ घंटे, तारीख ११ फरवरी, १९६३ को।

४---नार्दन इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार और उसके पारण के लिये ११ फरवरी, १९६३ का शेष समय और १२ फरवरी, १९६३ का पूरा दिन।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में संकल्प

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय से सहमत हैं।

१—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३;
२—हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३;
३—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३ और
४—नार्दन इडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय से सहमत है:

१—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३;
२—हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३;
३—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन) विधेयक, १९६३ और
४—नार्दन इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास कई सूचनायें नियम ५२ के अन्तर्गत आयी है लेकिन उनमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण नहीं है जिसको मैं मन्जूर करता, इसलिये मैंने उन सब को नामंजूर कर दिया है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, कल जो हमारा प्रश्न दिया गया था उसको तो मान लेना चाहिय क्योंकि....

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

एक साहब की बात ही तो एक समय में सुनी जायेगी।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

कल १० बजे के बाद जो दफा ५२ का दिया गया था उस पर आपने अब तक विचार नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्हीं माननीय सदस्य की इच्छा के मुताबिक उस पर कल ही विचार कर लिया गया।

श्री चन्द्रबली सिंह—

आपने तो कहा था कि लेट आया, तो फिर विचार कैसे हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने यह कहा था लेकिन फिर भी उनकी इच्छा के कारण उस पर विचार हो गया।

श्री चन्द्रबली सिंह—

कैसे ?

श्री उपाध्यक्ष—

एक दफा तो वही माननीय सदस्य रिक्वेस्ट करें कि मेरा विचार कर लिया जाय और फिर यह बात करें, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मैं एक सूचना चाहता हूं कि आप ४ तारीख से अध्यक्ष की गद्दी पर विराजमान हैं। कोई आपकी नजर में महत्वपूर्ण प्रश्न आया भी ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो महत्वपूर्ण आया, उसे मंजूर किया।

श्री नरसिंहनारायण पान्डेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन् व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है जो कि इधर जब से आप इस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं हम लोग यह देखते है कि चेचक जो सारे सूबे में फैली है ....

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न बताइये।

श्री नरसिंहनारायण पान्डेय—

मेरा कहना यह है कि इस एजेन्डे में रोज यह छप कर आता है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव यदि कोई हों, नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव, यदि कोई हों। इस सदन में यह परम्परा रही है कि रोज कार्य-स्थगन प्रस्ताव आते थे, नियम ५२ के आते थे, लेकिन आपने आज तक एक भी कार्य-स्थगन और नियम ५२ का मंजूर नहीं किया। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इसको एजेन्डे से निकाल दिया जाय जिससे आपको दिक्कत न हो।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा साग्रह, सादर, सविनय निवेदन आपसे यह है कि जनवरी, दिसम्बर के महीने में प्रदेश में चेचक की महामारी से ५ हजार आदमी मर चुके और करीब १३-१४ हजार आदमी बिस्तरे पर पड़े हैं। सरकार के पास दवाइयां नहीं, डाक्टरों का इन्तजाम नहीं। तो आप मंत्री जी से बयान दिलवा दीजिये कि ५ हजार जाने जो गयी है क्या वह सरकार की असावधानी की वजह से नहीं गयी है और टीका केवल २० परसेंट लगा है। आप तो मंत्री हैं नहीं, आप पर कोई भार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने जब उसे अस्वीकार किया था उस वक्त यह बता दिया था कि इसके बारे में बहुत से अल्पसूचित प्रश्न भी हैं जो सोमवार को आ रहे हैं। इसलिये अल्पसूचित प्रश्न जब पहले हो जाते हैं तो जो काम आप नियम ५२ से लेना चाहते हैं वह अल्पसूचित प्रश्न से लिया जा सकता है।

श्री उग्रसेन—

इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आज उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। इसलिये आप बयान दिलवा दीजिये वरना कल हम मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन—

मैं बैठता हूं मगर इससे कम पर हम नहीं मान सकते। पांच हजार जानें चलीं गयीं और मंत्री जी मौज मार रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने जो उचित समझा था और उस दिन जो मैंने रूलिंग दी थी.....

श्री उग्रसेन—

हमारा भी तो निवेदन स्वीकार कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---
आज वह नहीं है।

श्री उग्रसेन---
आज नहीं है, हम आपकी नोटिस में ला रहे हैं आप कल दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---
देखिये, ११ तारीख को इसके बारे में अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। उस पर ११ को अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर आ जायगा।

श्री उग्रसेन---
श्रीमन्, जाने तो आज जायं और हम अल्पसूचित के लिये १० दिन तक इंतजार करें, वह हम करने वाले नहीं हैं। यह आप उनकी नोटिस में लावे और अगर सरकार नहीं बताती तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष ---
आप विराजिये।

श्री उग्रसेन---
हम विराजें कैसे ? ५ हजार भाई हमारे मर जायं और हम विराजें, यह दोनों साथ-साथ नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष---
यह तो चेयर का काम है कि कैसे प्रश्न को अवसर दें।

श्री उग्रसेन---
तो आप मंत्री जी से पूछ लीजिये, इसमें आपका क्या बिगड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष---
आप विराजिये, वह आज नहीं लिया जायगा।

श्री उग्रसेन---
हम विराज तो रहे हैं लेकिन मंत्री जी से वक्तव्य तो दिलवा दीजिये।

श्री चन्द्रबली सिंह---
(मुख्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर) एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष---
मुख्य मंत्री जी बोलेंगे, आप नहीं। माननीय मुख्य मंत्री।

श्री केशरीप्रसाद पान्डेय (जिला जौनपुर)---
श्रीमन्, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने मुख्य मंत्री जी को दो बार बुलाया लेकिन आपके बुलाने पर भी माननीय मुख्य मंत्री नहीं उठे, तो इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---
उधर से १०,१० व्यक्ति खड़े हुए हैं तो हम तो इसे शिष्ट नहीं समझते थे कि उधर के व्यक्ति खड़े हुए हैं तो हम भी खड़े हो जायं।

श्री उपाध्यक्ष---
आप लोग विराजिये।

श्री चन्द्रबली सिंह---
श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। कल मैंने १० बजे के बाद दफा ५२ आपको दिया था।

श्री उपाध्यक्ष---

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप विराजिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

व्यवस्था का प्रश्न तो है ही कि किस तरीके से उसे आज आपने नहीं लिया, जब कल उस पर विचार नहीं हो सका।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विराजिये। जो बात आपने कही थी उसके बारे में कल भी मैंने कह दिया था और आज भी बता दिया। उसके बारे में कल तय हो चुका है और अब आज वह उठला नहीं है।

श्री ऊदल---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय ऊदल जी, बैठ जाइये। यह कोई जानने का वक्त नहीं है। मैंने मुख्य मंत्री जी को बुला लिया है।

श्री ऊदल---

जो आपकी व्यवस्था को चैलेंज करते हैं, खड़े हो जाते हैं, बोलने लगते हैं उनको तो आप सुनते हैं लेकिन २० बार कम से कम उठा बैठा लेकिन और लोगों के विवाद को आपने सुना, मुझे आप मौका क्यों नहीं देते ?

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न का समय नहीं है इसलिये कि माननीय ऊदल जी जब दस दस आदमी खड़े हो जायं तब चेयर के पास कोई जादू तो नहीं है कि हर एक को बोलने के लिये मौका दे सके। कितना शोरगुल होता है, इसमें किया क्या जा सकता है ? जैसी व्यवस्था यहां चल रही है वह कुछ अच्छी तो मालूम नहीं होती। आप शायद उसके बारे में कहना चाहते हैं जिसे मैंने तय कर दिया है। उसके बारे में जिक्र तो नहीं कीजियेगा ?

श्री ऊदल---

जी नहीं, उसके बारे में नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छा, तो कहिये।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप कहते हैं कि हाउस में बारबार खड़े होकर इंटरफियरेंस करना यह व्यवस्था नहीं है। एक तरफ तो प्रान्त में ५ हजार आदमी चेचक से मर गये, क्या वह व्यवस्था है और उसके ऊपर विरोधी दल की ओर से कहा जाय कि मंत्री जी बयान दें तो आप कहते हैं कि यह व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था की वही परिभाषा है तो कैसे प्रदेश का शासन चलेगा ?

श्री लखीसिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

लखी सिंह जी, आप बैठ जाइये। (एक क्षण के अनन्तर) अगर आप नहीं बैठेंगे तो मुझे दुख के साथ कुछ करना पड़ेगा। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि आप बैठ जाइये।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विराजिये ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

श्रीमन्, आप सुन तो लें । जो वाक्य आपने इस्तेमाल किया है कि विवश हो कर आपको कुछ करना पड़ेगा, यह शब्द आपके कुछ अच्छे तो नहीं लगते ।

श्री उपाध्यक्ष---

कल्पनार्थसिंह जी, फिर किया क्या जाय ? सदन की कार्यवाही चले या न चले ? मैं सुनने के लिये हर वक्त तैयार हूं लेकिन बाकायदा काम होगा । यह नहीं कि दस-दस आदमी खड़े हो जायं और किसी की भी बात सुनने का मौका ही न मिले ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

आप मुझे पूरा तो सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब सुनने का सवाल नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं था । आप विराजिये ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

आप मेरी बात तो सुनेगें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विराजिये । मैं इस वक्त नहीं सुनूंगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

तो आप नहीं सुनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

जी हां, नहीं सुनेंगे । मैंने ऊदल जी को बुला लिया है । उसके बाद मुख्य मंत्री जी बोलेंगे ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

उसके बाद मुझे सुन लीजियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

जी नहीं, उसके बाद मुख्य मंत्री जी बोलेंगे ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

मान्यवर, मेरा कहना यह है ....

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये ।

श्री ऊदल---

श्रीमान् जी, मैं वह कहना चाहता हूं कि आपने जो व्यवस्था नियम ५२ पर दी है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बनारस में एक फैक्टरी साहू केमिकल्स की है। उसमें गैस के फट जाने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और बहुत से हताहत हो गये हैं । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मंत्री जी जानकारी कराकर छानबीन करा लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप तारांकित प्रश्न कर लें ।

श्री ऊदल---

मैं इतना ही चाहता हूं कि इस मामले में जांच पड़ताल हो जाय और कुछ नहीं चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--
मंत्री जी चाहें तो कर लें ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--
मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष--
आप बैठ जाइये ।

श्री लखीसिंह--
मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--
देखिये लखीसिंह जी, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है ।

श्री लखीसिंह--
सुन तो लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--
क्या है आपका व्यवस्था का प्रश्न ?

श्री लखीसिंह--
श्रीमन्, आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--
यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । आप बैठ जाइये ।

श्री लखीसिंह--
सुन तो लीजिये, इतने गंभीर प्रश्न आये । हम लोगों ने इधर से ४ तारीख से बहुत से प्रश्न दिये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--
यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आप बैठ जाइये ।

श्री लखीसिंह--
श्रीमन्, अगर इसका उत्तर नहीं दिलायेंगे तो अरहर की दाल कहां से आयगी ।

श्री उपाध्यक्ष--
आप बैठ जाइये ।

शनिवार, १६ एवं २३ फरवरी तथा १६ एवं २३ मार्च, १९६३ को विधान सभा की बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--
उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार इस सदन की बैठक शनिवार को नहीं होती है, परन्तु वित्तीय कार्यों को समय से सम्पादित करने के लिये यह सदन यह निश्चय करता है कि इसकी बैठकें शनिवार, दिनांक १६ एवं २३ फरवरी, तथा दिनांक १६ एवं २३ मार्च, १९६३ को भी अपने निर्धारित समय पर हों ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--
श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं और मुझे दो मिनट का समय दें जिससे मैं विरोध करने के कारण बता सकूं । मुझे अफसोस है कि बनारसीदास जी हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करने के लिये क्यों अग्रसर होते चले जा रहे हैं । केवल शनिवार ही एक दिन बचता है ।

आप भी अपने क्षेत्र में जाते होंगे। हम तो आपके लिये लड़ रहे हैं। एक दिन आपको भी और हम लोगों को भी छुट्टी मिलती है। कई काम क्षेत्र में चलते रहते हैं, उनको करने के लिये एक दिन का ही अवकाश मिलता है। उसको भी वे ले लेना चाहते हैं। हम विरोध करते हैं। यह हमारा अधिकार है। हमने कार्य परामर्शदात्री समिति में भी विरोध किया था। मैं समझता हूं कि उनको अक्ल आ जाय और वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री नरसिंहनारायण पान्डेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, आपको याद होगा, कल आप मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे ....

श्री उपाध्यक्ष--

कमेटी की बात नहीं कही जा सकती है।

श्री नरसिंहनारायण पान्डेय--

श्रीमन्, आप सुन तो लें। अगर आप व्याकुल भारत हो जायंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यह कह रहा हूं कि आप कमेटी की बात मत कहिये और कुछ कहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन, मैं कमेटी की बात नहीं कर रहा हूं, एक वास्तविकता बता रहा हूं। जब कल बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उस समय.....

†श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

प्वाइंट आफ आर्डर। जब उग्रसेन जी जो उस पार्टी के लीडर हैं उन्होंने इसका विरोध किया तो वह महाशय दूसरे जो उनके डिप्टी हैं, या क्या हैं, वह भी उठकर बोलना शुरू कर दिये। तो इस से मालूम होता है कि वह या तो उनके विरोध में बोल रहे हैं या उनकी बातों को वह काट रहे हैं।

(व्यवधान)

प्वाइंट यह है कि जब उनकी पार्टी का एक आदमी बोल चुका तो उनको अब अधिकार नहीं है, दूसरे को मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

उनको अधिकार है बोलने का, आप बैठ जाइये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैं बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी का मेम्बर हूं। जो कल बातें हुई हैं श्रीमन, उसमें स्पष्ट तरीके से मैंने माननीय सूचना मन्त्री से कहा था कि आप शनिवार का कोई प्रोग्राम मत रखें, इसके बारे में आप निश्चय कर लें। उन्होंने कहा कि इस शनिवार के बारे में कोई बात हो गई है आगे के बारे में हम इसके ऊपर विचार करेंगे। तो श्रीमन, इसको लेने की क्या जरुरत पड़ गई, जब बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में इस तरह की बात कही गई? इसलिये मुझे जरूरत पड़ी कि मैं इसका विरोध करूं और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय बनारसीदास जी ऐसा प्रस्ताव न रखें, यह सदन की परम्परा के विरुद्ध है।

†श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

मैं आपके द्वारा माननीय बनारसीदास जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम हम लोगों को मिला था विधान सभा का, उसमें २३ तारीख का जो शनिवार है उस दिन सदन का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था। १६ तारीख के बारे में तो कुछ संकेत था कि

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

१६ को काम होगा। लेकिन उससे यह आभास होता था कि २३ को सरकार लेने नहीं जा रही है। हालांकि यह परम्परा यहां की रही है कि बजट के दिनों में शनिवार लिये जाते रहे हैं-लेकिन जो कार्यक्रम हमको दिया गया था उसमें १६ तारीख को लेने का संकेत था, २३ को स्पष्ट रूप से छुट्टी रहेगी, यह उससे पता चलता था। तो जब वह कार्यक्रम मिला तो उसी के अनुसार हमने अपना कार्यक्रम निर्धारित किया क्योंकि आप जानते हैं कि विधान सभा के अन्दर भी हमारा काम है और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते बाहर भी हमारा काम रहता है जिसके लिये कार्यक्रम हमें निर्धारित करना पड़ता है, तो हम लोगों ने अपना कार्यक्रम उसी के अनुसार निर्धारित किया है और इस प्रस्ताव के लाने से उसमें बाधा पड़ेगी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि जो २३ तारीख का शनिवार आपने पहले नहीं रखा था, उसको रखने का अपना प्रस्ताव आप वापस ले लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, दो कारणों से मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं। एक तो माननीय बनारसीदास जी ने यह कहा कि वित्तीय कार्य के लिये आवश्यक है कि शनिवार लिये जायं। मैं जानना चाहूंगा कि अगर वित्तीय कार्य में कठिनाई है तो यह विधेयक जो लाये जा रहे हैं, इनकी क्या आवश्यकता थी? इनको आप बजट पास करने के बाद ले आते या अगर ज्यादा जरूरत थी तो यह सेशन पहले बुला लेते। लेकिन यह बहुत खराब बात है कि हर बजट सेशन में शनिवार लेने का प्रस्ताव आप ले आयें। शनिवार का दिन ही एक हमारे लिये मिलता है। माननीय बनारसीदास जी को तो जरूरत नहीं है और माननीय हुकुमसिंह जी और माननीय नवलकिशोर जी को भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप रोजमर्रा देखते हैं फाइल पढ़कर उत्तर देना भी उनके लिये कठिन रहता है। लेकिन हमारे जैसे विरोधी दल के आदमियों को तो जरूरत है कि बजट की सारी मदें जो हैं उनको पढ़ा जाय और उनको पढ़ने के बाद आपको उचित सलाह दी जाय। इसलिये केवल एक समयाभाव का कारण दिखाकर के शनिवार को ले लेना, मैं समझता हूं अनुचित है और आपके लिये भी अनुचित है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनको सलाह दें कि शनिवार लेने की जो उनकी दृष्टि है वह नहीं होनी चाहिये।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी से आपके द्वारा यह गुजारिश करूंगा कि २२ तारीख को जो जुमे की छुट्टी है, उसमें हम लोगों का अलविदे का जुमा पड़ेगा और शिवरात्रि पड़ेगी इसलिये अगर २३ तारीख का शनिवार ले लिया जाता है तो इसके माने यह होंगे कि न अलविदे के जुमे को हम अपने घर पहुंच सकेंगे और न शिवरात्रि का त्यौहार हो सकेगा। सब लोग लखनऊ में फंस जायेंगे। लिहाजा यह सोचना चाहिये कि २२ को छुट्टी है और २३, २४ को छुट्टी होने की वजह से हम लोग अपने यहां दोनों त्योहारों के लिये अलविदा और शिवरात्रि के लिये जा सकते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि माननीय मन्त्री जी अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि हर एक शनिवार को बैठक होगी वह इसलिये जरूरी नहीं है कि अगर हम सही माने में विरोधी दल को भी इस बात का मौका दें कि वह सही तौर पर पढ़े और पढ़कर बजट सेशन में तैयार होकर आये तो वह एक स्वस्थ व अच्छा तरीका होगा और सही तौर पर अपोजिशन हो सकता है। इस तरह से हमको मौका नहीं दिया जायगा और हम बजट अध्ययन नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि उस विषय पर स्वस्थ व सही अपोजिशन नहीं हो सकता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। हम यहां देखते हैं कि मन्त्री जी कुछ कहते हैं और जवाब दूसरा होता है। तो इस तरह से शोर नहीं होगा। अगर इस तरह से संसदीय कार्य मन्त्री जी समय हमको नहीं देंगे तो हम प्रदेश के अन्दर सही तरीके से जनतन्त्र नहीं फैला सकते हैं। बाहर भी सही तरीके का काम तभी हो सकता है जब यहां पर हम सही तरीके से बहस करें और समझें। इस लिये मैं चाहता हूं कि शनिवार को छुट्टी रहे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बनारसीदास—

माननीय रामसुन्दर पांडेय ने आपत्ति की, लेकिन उनको मालूम है कि जैसा कार्यक्रम प्रसारित हुआ है उसके अनुसार १५ तारीख को बजट पेश किया जायगा। इमरजेंसी की वजह से बजट के प्रस्तावों पर कुछ विचार करना आवश्यक था और बजट छपकर और तैयार होकर १५ तारीख से पहले सदन के सामने पेश करना मुमकिन नहीं था। इसलिये सदन के सामने बजट १५ तारीख को ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सदन का इससे पहले मिलना सम्भव नहीं था, जैसा कि यादवेन्दु जी ने बतलाया कि यह परम्परा रही है कि शनिवार लेते रहे हैं। जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया है, माननीय चन्द्रजीत जी यादव देखेंगे कि २३ तारीख शनिवार को लिखा है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान। ऐसी बात नहीं है कि कार्यक्रम में हम परिवर्तन करना चाहते हैं। माननीय उग्रसेन जी तो यह चाहते हैं कि इमरजेंसी में ज्यादा से ज्यादा काम किया जाय। अगर यहां के सदस्य ज्यादा देर तक बैठें और थोड़ी-सा अधिक कार्य करें तो इसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता है। उग्रसेन जी को तो इसमें मतभेद नहीं हो सकता है। शनिवार का लेना काफी दिनों से चला आ रहा है।

यादवेन्दु जी ने बतलाया कि पढ़कर हिस्सा लें। यह अच्छा है कि पढ़ने के बाद बजट सेशन में हिस्सा लें। १५ तारीख को बजट पेश होगा। जैसी परम्परा रही है, बजट को पढ़ने का आपको मौका मिलेगा कि आप बजट पर तैयारी कर सकें। मैं समझता हूं उधर के लोग बहुत समझदार हैं और जल्दी में सब बातें समझ लेते हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यादवेन्दु जी और उग्रसेन जी सहमत होंगे कि बजट की तैयारी करने के लिये उनको जितने समय की जरूरत है वह उनको मिल जायगा और वह तो किसी भी समय तैयार हो सकते हैं। इन परिस्थितियों की वजह से जैसा कि पहले भी होता रहा है कि बजट को पास करके कौंसिल में भेजना है और फिर कौंसिल के सामने एप्रोप्रियेशन बिल भी पास होना है हमको शनिवार लेने पड़ रहे हैं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं एक मिनट लेना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं। मैं उनका काम हलका करना चाहता हूं....

(व्यवधान—बहुत से सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं खड़ा हूं, आप सब लोग कृपया बैठ जायं। इस प्रस्ताव के बारे में कई महानुभावों ने बात कर ली है। उग्रसेन जी पहले ही कह चुके हैं।

(व्यवधान)

आप बैठ जायें।

श्री उग्रसेन---

बनारसीदास जी ने मेरा नाम लिया है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बोल चुके हैं और फिर बोलना चाहते हैं।

श्री उग्रसेन---

आप कहें तो संकट कालीन स्थिति में उनका क्या कर्त्तव्य है, यह उनको बतला दूं।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

वह छुट्टियों का दिन किस लिये ले रहे हैं?

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)---

सब शनिवार सरकार ले ले सिवाय २३ के।

श्री उपाध्यक्ष---

वह सब उन्होंने सुन लिया है। आप लोग बैठें।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार इस सदन की बैठक शनिवार को नहीं होती है, परन्तु वित्तीय कार्यों को समय से सम्पादित करने के लिये यह सदन यह निश्चय करता है कि इसकी बैठकें शनिवार, दिनांक १६ एवं २३ फरवरी तथा दिनांक १७ एवं २३ मार्च, १९६३ को भी अपने निर्धारित समय पर हों।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई।)

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)---

यदि मन्त्री जी २३ तारीख की बात मान लें तो यह विभाजन न हो।

श्री बनारसीदास---

इसमें हमारी मजबूरी है। यह कार्यक्रम में पहले ही दिया है।

श्री कल्पनाथसिंह---

हमको भी इस बात का बड़ा कष्ट है कि सूचना मन्त्री की ओर से उन परम्पराओं का हनन किया जा रहा है कि जो पहले से इस सदन में प्रचलित हैं। अगर विरोधी दल का आग्रह है कि यह शनिवार न लिया जाय तो कौन-सा आसमान गिरा जा रहा है जिसके लिये यह सब हो रहा है.....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल का शनिवार ले लिया जाय और २३ का छोड़ दिया जाय तो ठीक हो जायगा।

श्री दीपनारायणसिंह---

एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष---

वोट लेने के बीच में कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता। आप बैठें।

(घंटी बन्द होने पर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार इस सदन की बैठक शनिवार को नहीं होती है, परन्तु वित्तीय कार्यों को समय से सम्पादित करने के लिये यह सदन यह निश्चय करता

है कि इसकी बैठकें शनिवार, दिनांक १६ एवं २३ फरवरी तथा दिनांक १६ एवं २३ मार्च, १९६३ को भी अपने निर्धारित समय पर हों।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ।)

पक्ष में—१०३,
विपक्ष में—६७।

†उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह ऐसा संशोधन विधेयक है जो जिला परिषद् ऐक्ट पास होने के पश्चात् अब चूंकि अन्तरिम जिला परिषद् एक्ट समाप्त हो चुका है। इसलिये जब तक जिला परिषद् ऐक्ट के अन्तर्गत नई जिला परिषदों की रचना न कर ली जाय, तबतक अन्तरिम जिला परिषदों के कार्यकाल को हमने ३१ दिसम्बर, १९६२ तक की जो व्यवस्था थी, उसको इस विधेयक के द्वारा हम चाहते हैं कि ३० जून, १९६३ तक कर दिया जाय। उस बीच में सरकार इस बात का प्रयास भी कर रही है कि नई जिला परिषदें भी आ जायें और हम अपने नये कार्यक्रम को आरम्भ कर दें। आप देखें कि यह एक छोटा-सा विधेयक है, और इस पर भी संशोधन आ गया है। मेरे कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय। परन्तु मैं नहीं समझता हूं कि प्रवर समिति में इस छोटे से विधेयक को भेजने का क्या तात्पर्य हो सकता है। जो हमारे देश में या प्रदेश में जिला परिषद् की रचना होने वाली है, उसमें इसको प्रवर समिति में भेजने से कौन-सी सहायता मिलने वाली है। इसमें तो आप देखें कि साधारण सी बात है कि ३१ दिसम्बर, १९६२ से इसकी अवधि ३१ जून, १९६३ कर दी जाय। जो अन्तरिम जिला परिषद् का संशोधन विधेयक अभी दिसम्बर के महीने में पास किया गया है, जो ऐक्ट हमने बनाया है, तो उसको देखते हुये मैं इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को वापस ले लें और मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि "उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो विधेयक की परिधि को विस्तृत कर सके और जो अपना प्रतिवेदन आगामी एक माह में प्रस्तुत कर दे।"

यह एक माह से कम भी नहीं हो सकता है, श्रीमन्। वैसे देखने में विधेयक बहुत छोटा मालूम होता है और यह कहा जा सकता है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता क्या? मगर इसके पीछे शुरू से एक मनोवृत्ति चली आ रही है कि पुनरावृत्ति न हो। अपनी इस प्रजातांत्रिक सरकार का एक बड़ा विचित्र नमूना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट जब सन् १९४७ में पास हुआ तो चुनाव हुआ था। किसी न किसी रूप में वहां अब भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट ही है, तब से आज तक इसका चुनाव नहीं होने पाया। सन् १९५८ में अन्तरिम जिला परिषद्

---

†४-२-६३ की कार्यवाही में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी]

घटित हुई और उसके अधिनियम में लिखा था कि यह ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो जायगा, लेकिन वह भी नहीं हुआ, सन् १९६२ तक आया, फिर भी चुनाव का अवसर नहीं आया। अब यह है कि १९६३ की १९ जून तक रहेगा। इसके पीछे एक भावना है। यह सरकार जो कोई भी संस्था जिले में रही उसके जरिये से अपना और अपनी पार्टी के मंतव्य को पूरा कर लेना चाहती है। माना कि इमरजेंसी थी, हम उसपर विचार नहीं कर सके। जिला परिषद विधेयक पास हो चुका था और उसको और इसको दोनों को मिलाकर एक साथ किया जाय, इसमें क्या नीयत में शक होने की गुन्जायश नहीं है। क्योंकि पता नहीं इमरजेंसी कब तक चलती रहे। सरकार जानती थी कि अगर छोटे छोटे टुकड़ों में चुनाव होगा तो उसमें कामयाब नहीं हो सकते।

मैं अपने जिले की मिसाल पेश करूंगा मैं समझता हूं ऐसा ही हर जिले में होगा। अभी हाल ही की बात है, जब अन्तरिम जिला परिषद् की मीटिंग हुआ करती थी तब लोग कहा करते थे कि अभी तो इसकी जिन्दगी बढ़ेगी। हम बैठे-बैठे सोचा करते थे कि मेम्बर भी नहीं सदन के और उनको मालूम है कि इसकी लाइफ अभी बढ़ेगी। इसका कारण था कि यहां से संकेत होता था हर जगह को और उसी प्लान के अनुसार अमल करते थे। मेरे यहां जिला परिषद में ऐसी स्थिति चल रही है कि उससे पता चल रहा है कि कांग्रेस की नीयत क्या थी। आप यह देखें कि कांग्रेस के ९५ फीसदी अध्यक्ष हैं जिले में, मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं यही ठीक है। जैसे कि एक पालिसी होती है कि "पुश इन और पुश आउट" और "पुल इन और पुल आउट", तो कांग्रेस को रिहैबिलिटेट करने के लिये यह पालिसी उन्होंने अपनाई। पिछले इलेक्शन में जिस किसी ने स्वतन्त्रापूर्वक अपने विचार प्रकट किये, कांग्रेस का काम नहीं किया या जिसके घर वालों ने किसी दूसरे की सहायता की तो उनके खिलाफ वेंजियेंस की भावना से व्यवहार करना शुरू कर दिया। एक कोने से दूसरे कोने को ट्रांसफर कर दिया, हरैया में रहता है तो बोर्डर पर भेज दिया। एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। अगर कोई हमारा आदमी जाता है, वह कहता है कि हमारे साथ इन्साफ किया जाय, मगर वह भी उसे नहीं मिलता। अगर मैं किसी बात को कहूंगा तो उस पर ध्यान तक नहीं दिया जायगा क्योंकि मैं विरोधी पार्टी में हूं।

श्रीमन्, जितने टीचर्स हैं आज उनका दिल दुख रहा है। आपका शासन है, आप जो चाहें करें। अगर किसी व्यक्ति ने मेरा समर्थन किया है तो उससे भी बदला लेने की भावना इनके अन्दर रहती है। अगर उस तरफ कोई सड़क आदि बनाने का प्रोग्राम होता है तो उसको भी बदल दिया जाता है। श्रीमन, टीचर्स का एप्वाइन्टमेंट हुआ, हमने अगर इन्टर-मीजिएट के लिये कहा तो उसका एप्वाइन्टमेंट नहीं हुआ, और अपनी पार्टी की इच्छानुसार मिडिल पास वालों को ही रख लिया गया, यहां तक कि थर्ड डिवीजन वालों को ले लिया गया, और हमने अगर फर्स्ट डिवीजन वाले भेजे तो उनको नहीं लिया गया। इलेक्शन पि-टीशन चल रहे हैं। उनमें इन टीचर्स की गवाहियां लेने के लिये उनको मजबूर किया जाता है। चारों तरफ एक जाल सा ऐसा बिछा रखा है जिससे वे परेशान हैं, और कुछ कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती। अगर कोई योग्य मन्त्री है मगर वह न्यायप्रिय नहीं है तो वह योग्य नहीं हो सकता। योग्यता और निष्पक्षता तथा न्यायप्रियता में अन्तर होता है। हमारी सरकार में अपने ही आदमियों को रखने की जो धारणा बन गयी है वह गलत है, इससे हर पहलू पर बुरा असर पड़ेगा। यही नहीं, टीचर्स के एप्वाइन्टमेंट में बड़ी मनमानी की गयी है। लोगों को तीन-तीन महीने का वेतन नहीं मिला। वहां भी यह इमरजेंसी पहुंची। कहा कि तुम्हारे एरियर के लये हम अलग से स्टाफ रखेंगे। मगर एक शर्त है, वह यह कि अमुक परसेंटेज तुम वार फंड में दे दो। एक टीचर का वेतन, जिसका एक अरदली से कम है, कुलियों से भी कम है, उनसे अपनी इच्छानुसार चन्दा वसूल किया जाता है। उनसे कहते हैं कि तुम ८ रुपये दो तो तुमको एरियर मिलेगा। प्राविडेंट फंड के लिये भी यही

कहते हैं कि तुम इतना इसमें दे डालो, तब तुम्हें यह मिलेगा । नये टीचर्स के एप्वाइन्टमेंट के वक्त उनसे कहा गया कि तुम आधा वार फंड में दे दो। १/६ दिसम्बर में दे दो, १/३ जनवरी में दे दो। मैंने काम रोको प्रस्ताव भी पेश किया था और कहा था कि टीचर्स में असन्तोष फैल रहा है। मगर वहां मीटिंग को यह कह कर स्थगित कर दिया गया कि कोरम नहीं है। श्रीमन, लड़ाई के फंड में रुपया देना एक चीज है और गलत तरीके से उसे वसूल करना दूसरी चीज है और वह गलत है।

इस विभाग का ही नहीं, आज हर विभाग का यही हाल है। जिसको यह कहते हैं अध्यक्ष बना दो, वही अध्यक्ष बना दिया जाता है। जिसका एप्वाइंटमेंट यह चाहते हैं, उस का एप्वाइन्टमेंट हो जाता है। टीचर वर्ग आज बहुत परेशान है । एक बार वे अपना रिप्रेजेंटेशन लेकर कलक्टर के यहां गये। एक साहब ने मुझ से कहा कि आप चले चलिये। मैंने कहा कि अगर तुम मुझे ले चले तो तुम्हारा काम अगर बनता भी होगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि वहां तो यह समझा जायगा कि यह तो विरोधी पार्टी का है, जनसंघी है। आज इनके पास डेमोक्रेटिक भावना नहीं है । मगर कहते यह यही हैं कि हम डेमोक्रेसी चाहते हैं। अपनी मनमानी करने के लिये ही इन्होंने अन्तरिम जिला परिषद का चुनाव इंडाइरेक्ट कर दिया। कहीं कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर इनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर न हो। हर जगह डेमोक्रेसी को गरम पानी दिया जा रहा है। यही परिस्थिति को बनाये रखने के लिये ३० जून, १९६२ तक इसकी अवधि बढ़ायी गयी। अभी देखिये यह कब तक और बढ़ाते जायेंगे।

यही नहीं, शिक्षा का भी यही हाल है। एक बार मैं अपने क्षेत्र में पहुंचा, वहां पर एक गड़वा स्कूल बताया गया। वह राप्ती नदी के किनारे था। मैं वहां पहुंचा तो मुझे कहीं कोई स्कूल नहीं दिखाई दिया। मैंने पूछा स्कूल कहां है? मुझे बताया गया कि इस मूंजे की आड़ में लड़के पढ़ते हैं। कई जगह मैंने जाकर देखा कि स्कूल तो हैं मगर वहां कोई छाजन का प्रबन्ध नहीं है, कोई छाजन तक नहीं है। एक बार छेतिया के एक स्कूल में सभा हो रही थी । मैं भी वहां था । इतने में पानी आ गया। अब वहां बड़ी परेशानी हुई। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि आज ८० फीसदी स्कूलों में छाजन नहीं है। यह १५ वर्ष का आपका नमूना है ।

हमारे यहां के स्कूल के बारे में आज ही उत्तर में कहा गया कि टीचरों की नियुक्ति इसलिये नहीं की गयी कि कहीं ज्यादा न हो जायं। लेकिन मैंने बहुत से स्कूल ऐसे देखे हैं जहां टीचर नहीं हैं और कहीं ४ की जरूरत है तो ५ पहुंच जायेंगे। भगवान जाने यह अन्तरिम जिला परिषद इस प्रदेश को कहां ले जायगा । यह उस स्कूली शिक्षा की हालत है जिस के द्वारा आप बच्चों को ईमानदार, समाजवादी, अच्छे सिपाही और अच्छे नागरिक बनाना चाहते हैं और ऐसा स्वाभिमानी यह अन्तरिम जिला परिषद बनता जा रहा है न पूछिये । जब कभी हम इसके बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत करते हैं तो समझा जाता है कि कांग्रेस को ही बदनाम करने की कोशिश शायद हम कर रहे हों । सरकार, कांग्रेस और अन्तरिम जिला परिषद सब सिनोनिम्स ही हो रहे हैं।

(इस समय १२ बजकर ३१ मिनट [illegible] ष्ठाता, कुंवर श्रीपालसिंह पीठासीन हुये।)

श्रीमन, एक कच्ची सड़क के लिये ५०० रुपये पास किया गया अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष की तरफ से। इसके बाद किसी को मालूम हुआ कि वह नहीं बनी तो उसकी शिकायत की गई। कहा गया कि इसकी जांच करायी जाय कि वह सड़क बनी या नहीं बनी। बहुत दिनों तक तो कमेटी के लिये होता रहा कि न बैठे। लेकिन बाद में जब कमेटी बैठी तो मालूम हुआ कि सड़क की रिपेयर भी नहीं हुई है, सड़क नहीं बनी। यह अन्तरिम जिला परिषद् है ।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

एक जगह गया तो देखा कि कांजीहाउस पर कोई छत ही नहीं है। वे तो बेचारे पशु हैं। जब स्कूलों पर ही छत नहीं तो वहां क्या हो सकती है ? कहीं डाक्टर हैं तो उनके पास कोई सामान नहीं है । जो भी संस्थायें अन्तरिम जिला परिषद् के द्वारा चलाई जाती हैं उनकी खराब हालत है । लेकिन फिर भी यह समझा जाता है कि उसके शासन में तब्दीली की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिये तो ३० सितम्बर, १९६३ तक उसको टाला जा रहा है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

कोरम है, माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

मैं वेटेरीनरी हास्पीटल्स के बारे में कह रहा था। अन्तरिम जिला परिषदों का रुपया कहां जाता है किसी को मालूम ही नहीं पड़ता, भगवान ही जाने। जबसे अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्ष कांग्रेस के हुये हैं, सन् १९५२ से आज तक घाट का बकाया वसूल नहीं हुआ है । क्योंकि ये उनके पक्षपाती हैं, उनकी पार्टी के हैं, उनके ग्रुप के हैं। आज जो हमारे अन्तरिम जिला परिषद् की हालत है, मैं क्या बतलाऊं ? कुछ कहने में भी शर्म लगती है। वहां प्रोसीडिंग्स लिखी जाती हैं। जो उनके विचारों के खिलाफ कुछ करते हैं, या कोई विचार प्रकट करते हैं, अगर मैं न कहूं तो ज्यादा अच्छा है । वहां समय पर मीटिंग नहीं होती। इसके अलावा मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है । इसकी झलक ब्लाक्स में भी चली जा रही है क्योंकि अन्तरिम जिला परिषद् के अन्दर भी ब्लाक्स के लोग रहते हैं। इन सब बातों के कहने का अवसर मुझे मिला है कि आज हमारे अन्तरिम जिला परिषदों की क्या हालत है।

यह जो बहाना इमर्जेंसी का लिया गया है, कि हमें डर है कि कहीं सांप इस रास्ते से न आ जाय, यह बात मेरे गले से नहीं उतरती। मैं तो ऐसा समझता हूं कि ३० जून, १९६३ की भी सरकार इसको लागू नहीं करेगी। इमर्जेंसी का पीरियड तो अभी चलेगा और भगवान जाने इनकी यही करनी रही तो सम्भव है कि इससे कहीं जबरदस्त इमर्जेंसी न आ जाय, हमें तो कुछ ऐसा ही लगता है।

अमेंडमेंट्स लाने में सरकार बड़ी चतुर है। सरकार कहती है कि बी० एड० अध्यापक बहुत अधिक हो जायेंगे और बेकारी हो जायगी और उनको सहायता इसलिये नहीं देती कि इसमें बहुत रुपया खर्च होता है। ऐसी जगह सरकार खर्च की बात बहुत सोचती है लेकिन उसकी करनी से जहां चौगुना खर्च होता है, ऐसे जब-जब-अवसर आये, मैंने सरकार से कहा कि वह चेत जाय लेकिन सरकार नहीं चेतती। मैं जानता हूं कि किसी चीज का रिपीटिशन अच्छा नहीं होता लेकिन अगर लाइयर किसी चीज को रिपीट करता है और यह समझता कि अगर किसी के माथे में बार-बार ठोकने से उसकी गड़बड़ी ठीक हो जाय, तो उसे ठोका जाय जिससे वह चेत जाय। लेकिन यह सरकार नहीं चेतती....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता--

इतना मैं जरूर कहूंगा कि सदन में कोरम रखना सरकारी पक्ष का काम है और सरकार की तरफ से इस पर ध्यान देना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, सरकार की ओर के सदस्य बहुत कम हैं, हम लोग तो काफी तादाद में हैं।

श्री अधिष्ठाता—

जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

जहां तक अमेंडमेंट की बात है, यद्यपि यह ऐसा है जिसका किसी सेक्शन से सम्बन्ध नहीं है सिर्फ एक के जो अवधि बढ़ाने का है। और कोई दूसरा सब्सटेंशियल पहलू नहीं है। सरकार चेती नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे। इस राज्य सरकार के राज्य में अमेंडमेंट्स की जैसी दुर्दशा है उसके बारे में क्या कहूं। मन्त्रिमंडल या तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि इसकी आवश्यकता है भी या नहीं या मन्त्री इतनी योग्यता नहीं रखते कि उस पर विचार कर सकें या सेक्रेटेरिएट रूल्ड जो राज्य है, सेक्रेटेरिएट से जो भी अमेंडमेंट बन कर आ गया उसे हृदय से स्वीकार कर लिया जाता है। अगर यहां की यही पद्धति है और मन्त्रिमंडल की यही धारणा है, सरकार की यही धारणा है, तब तो मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है इन संशोधनों के बारे में मुझे दुख है कि जब यह संशोधन कानून बनकर आते हैं और जब यह अदालतों और हाईकोर्ट के सामने जाते हैं तो वह इनके बारे में क्या कहते हैं ? कहा जाता है कि लेजिस्लेटर्स क्रीम आफ दि सोसाइटी होते हैं और उनके यहां से पास हो कर फर्स्ट क्लास संशोधन आने चाहिये लेकिन होता क्या है ? हमें २ पहलू पर ध्यान देना चाहिये, एक तो यह कि हमारे डिपार्टमेंट की और उनको इस्तेमाल में लाने वालों की क्या हालत होगी और हमारे जनता के पैसे का किस तरह से वेस्टेज होगा और यह कि जो हमारा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या हालत होगी। अगर किसी ने कुछ दूसरा इन्टरप्रिटेशन किया तो कहा जाता है कि हमारे जुडीशियल अफसर गलत रास्ते पर जाते हैं और हमारे काम में रोड़ा अटकाते हैं और कहते हैं कि तमाम किस्म का खर्च बढ़ाते हैं। आज अगर यह प्रश्न किया जाय कि जब से यह सरकार आई है तब से कौन ऐसा ऐक्ट है कि जिसमें केवल एक या दो बार ही संशोधन आये हैं। इसी को देखकर हमारे एक चीफ जस्टिस ने कहा था कि एक जंगिल आफ लाज बनता जाता है और किसी भी वकील या कोर्ट के लिये उन सब को ध्यान व दिमाग में रखना बहुत कठिन होता जाता है। एक जगह एक केस में आर्गूमेंट हो रहा था, मैं भी खड़ा सुन रहा था। उसमें हुआ यह था कि जो पुराना ऐक्ट था वह बीच में संशोधित हो गया था, वहां कहा जा रहा था कि यह जो १९६२ की किताब है यह अपटू-डेट है और उसी के मुताबिक सजा हो गई। मैं सुन रहा था कि वह खुद शायद पकड़ें लेकिन किसी को पता नहीं था कि क्या संशोधन बीच में हो गया है। कोई नहीं कह सकता कि मौजूदा कानूनी पोजीशन किसी कानून में आज क्या है।

अभी कुछ दिन हुये अक्तूबर-नवम्बर में लार्ज लैंड-होल्डिंग्ज टैक्सेशन ऐक्ट में संशोधन आया वह कई बार आया, विभाग समझता है कि यह सारे कानून एग्जिक्यूटिव के द्वारा एग्जिक्यूट किये जायेंगे और कमिश्नर के द्वारा ही यह काम होता है लेकिन वह यह नहीं समझते कि हाईकोर्ट में भी केसेज की अपील हो सकती है। चूंकि यहां संशोधन पेश था इसलिये मैंने संशोधन के बारे में इतना कह दिया, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कह रहा हूं। मुझे दुख है कि बहुत से लोग इसका अर्थ नहीं समझते। 'हेल्ड' और 'आकुपाइड' तक का अर्थ नहीं समझा जाता। एक जगह उसको वह इस्तेमाल करते हैं और अगर वह दूसरी जगह आता है तो वह 'हेल्ड और आकुपाइड' को नजरअन्दाज कर देते हैं। एग्जिक्यूटिव अपना अर्थ लगाती है और जब वह जुडीशियरी में जाता है तो उसके अर्थ दूसरे हो जाते हैं, यह अर्थ वह था कि जो ऐक्ट कहता था। इस तरह से बीसों लाख रुपया खर्च होता है और नामुनासिब तौर से जनता से वसूल किया जाता है। इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है, आप कानून बना दीजिये और कह दीजिये कि तुम्हारे ऊपर दस हजार रुपया टैक्स लगेगा लेकिन आदमी को उसकी लीगल पोजीशन और कानून को तो समझने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप जरा धीरे-धीरे बोलें, इतना तेज बोल रहे हैं कि लिखने में झंझट हो रहा है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, ठीक है लेकिन जैसा कि कृपालानी जी ने कहा था कि जब जोश में आते हैं तो और तेज अंग्रेजी में बोल जाते हैं, अब ध्यान रखूंगा, त्रुटि हो गई । तो मैं यह कह रहा था कि जब कानून बनाये जायं तो उनमें संशोधन लाते वक्त या बनाते वक्त एक कनसिस्टेंसी रहना चाहिये । यह नहीं कि आज मुंह से निकला और एक दम से कानून सामने आ गया । अगर मौका होगा तो मैं कोर्ट की जो रूलिंग है उसको सामने लाकर पढ़ूंगा । जिस वक्त पढ़ता हूं, अगर कोर्ट के सामने पेश होता हूं तो कहते हैं आप भी लेजिस्लेटर हैं, उस समय शर्म से सर झुक जाता है । १९५९ में रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट में दो रूलिंग हुईं जिनमें हाई कोर्ट ने बुरी तरह से लेजिस्लेटर्स को लथाड़ा, उसको सुन कर शर्म लगती है । गवर्नर महोदय के भाषण में इसके पीरियड को ऐक्सटेंड करने की बात है, इससे कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन जो और अमेंडमेंट्स होते हैं उसमें कितने मिट जाते हैं, इसका आपको अंदाज नहीं हो सकता । पंचायत राज ऐक्ट में तीन अमेंडमेंट्स किये, एक बार गड़बड़ हुई तो दूसरा अमेंडमेंट ले आये यही तय नहीं कर पाये कि एस० डी० ओ० के यहां पड़ेगी या जुडिशियल अफसर के यहां पड़ेगी । क्यों नहीं आप नीचे के अधिकारियों पर कड़ी नजर रखते और कहा जाता है कि अगर ड्राफ्टिंग गलत होगी तो आप जिम्मेदार होंगे । आप अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट करते जायं और हाई कोर्ट उनको वायड डिक्लेयर करता चला जाय और फिर जुडिशियरी को दोष दें कि वह अड़ंगा लगाती है, यह उचित नहीं है । इसलिये लेजिस्टेटर्स की योग्यता पर हमारी सरकार की फिजूल खर्ची पर बड़ा दुख होता है । कितना रुपया पब्लिक का खर्च हो गया खाली अमेंडमेंट्स पर सरकार के अपने इस पवित्र युग में । किफायतशारी के रस्ते का यह भी एक सूत है । बूंद बूंद से भरे सरोवर टपकत रीतो होय । इस फिजूलखर्ची को अगर रोकते तो जनता का लाभ ही होता । इतना रुपया फिजूल खर्च किया गया और नतीजा कुछ नहीं निकला । गरीब किसान की कमाई को बरबाद किया और उसके हित का खयाल नहीं किया । यह मैं सब इसलिये कह रहा हूं कि अमेंडमेंट की बात इस समय सदन के सामने आयी । लाज बनाते हैं, गरीब का पैसा खर्च होता है, उससे टैक्स लेते हैं मगर अपनी बुद्धि का हम प्रयोग न करें और न महकमे के कान खींचें कि आइन्दा ऐसी गलती न हो, तो फिर फायदा क्या हुआ । जब हाई कोर्ट छींटा कशी करता है तो लेजिस्लेटर्स का सर झुक जाता है । आप अंतरिम जिला परिषद् का समय बढ़ाते जा रहे हैं, अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट ला रहे हैं इसका प्रभाव आप जानते हैं ? ऐसे ही अमेंडमेंट्स के द्वारा डेमोक्रेसी की जड़ को सरकार सुखा रही है । अतः सरकार को सोच कर ही कोई अमेंडमेंट लाना चाहिये ।

मैंने प्रवर समिति के लिये इसलिये कहा कि एक तो उसकी परिधि बढ़ायी जाय उसको अवसर दिया जाय, आप तो रहेंगे ही वहां, ऐसी चीज तो कोई हो नहीं सकती जहां आधे से ज्यादा आपकी छाया न रहे, लेकिन प्रवर समिति को इसलिये कहता हूं कि संभव है आपको वहां कोई बात अच्छी सूझ जाय । हमको भी निश्चिन्तता से बोलने का अवसर रहता है, अपने विचार अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं, सदन में ५, १० मिनट में ही बात कहनी पड़ती है, वहां कम से कम हम दिल खोल कर तो अपनी बात कह लेंगे, और जो उचित सुझाव आयें उन पर विचार करके प्रवर समिति निर्णय करेगी ।

आज जो अंतरिम जिला परिषद् बस्ती की है, गुप्ता जी होते तो मैं कहता, लेकिन मेरा किसी मंत्री पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, मैं सिद्धान्त की बात कहता हूं, क्योंकि आज वे समझते हैं कि हम मंत्री की गुड बुक्स में हैं, जो चाहें सो करें । हम यह नहीं होने देना चाहते । प्रवर समिति इस पर भी विचार करे । पहले तो लाये नहीं, अब ले आये । इनको अवसर पहले भी मिला था जब एमरजेंसी सिटिंग हुई थी । तब कहां अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक गुम हो गया था ? बाद में अध्यादेश पास कर दिया । अब कहेंगे कि अध्यादेश की लाज रखनी है, गवर्नमेंट की लाज रखनी है और गवर्नमेंट की लाज अन्तरिम जिला परिषद् को रखनी है । तो यह एक विशस सर्किल है । यह अवधि बढ़ा कर आपने, मैं अन्य जिलों की बात नहीं कहता, मेरे जिले का बड़ा अनर्थ किया है । वह रोग जो इतने दिनों से चल रहा था ६ महीने तक और चलेगा । मेरे जिले में तो अन्तरिम परिषद् को छप्पर तक का सामान नहीं मिला कि थनिया गाड़ कर छपरा छा देते ताकि बच्चे बैठ तो सकते । क्यों नहीं पहले से इस बात को सोचा गया ?

यह मेरा बड़ा जबरदस्त विरोध है हमारी सरकार की इस नीति के प्रति । पता नहीं इस एमरजेन्सी के बहाने पुरानी पद्धति चलाने के लिये कितनी चीजें बढ़ायी जायंगी ।

इन विचारों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करता हूं जो इस प्रकार है। "उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दे और समिति को विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।"

ऐसा जो मैंने प्रस्ताव किया इसके पीछे अपनी एक मंशा है । माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी ने अभी इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया । आप और सभी माननीय सदस्य इस बात से वाकिफ हैं कि संयुक्त प्रवर समिति में विधान परिषद् के भी सदस्य होते हैं । विधान परिषद् के सदस्यों को भी अन्तरिम जिला परिषद् की सदस्यता प्राप्त है । उनको भी हमारी तरह उन कार्यों का अनुभव है जो आज के मृत अवस्था के अन्तरिम जिला परिषद् कर रहे हैं । उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि देवरिया जिले के अन्तरिम जिला परिषद् ने हजारों आदमियों की नियुक्ति हाल में की । मेरी सूचना यह है कि ये नियुक्तियां पिछले आम चुनाव के अवसर पर की गयीं । उनसे कांग्रेसी उम्मीदवारों के पक्ष में दूसरे तरीके से काम लिये गये और ज्यों ज्यों मौके आते गये त्यों त्यों उनकी नियुक्तियों को कानूनी जामे पहनाये गये । इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के भी आरोप जिला परिषदों के विरुद्ध हैं । उनको यह भी आदेश दिये गये कि अब तक की सारी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाय । हजारों आदमी इंटरव्यू में आये, लाखों रुपया सर्फा किया गया किराये भाड़े में । देवरिया में क्या नहीं हुआ । उनसे अनैतिक काम कराये गये और उनकी मर्जी के विरुद्ध नौकरी की लालच में कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिये काम कराये गये । (कई सदस्य—बिलकुल गलत है) । आपको भी अवसर होगा । जो बात अखबारों में मौजूद है वही कह रहा हूं ।

कई सदस्य—

बिलकुल गलत बात है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

हल्ला क हे करते हैं आप भी कह लीजियेगा । जब बात सही कही जाती है तो कड़वी लगती ही है और मैं वह कड़वी देकर आज यह जरूर चाहता हूं कि मरीज ठीक हो जाय, वह कड़वी दवा पिये और अच्छा हो जाय जरा चरपराहट जरूर होगी । जो समझते हैं कि बात गलत है उनको सब्र रखना चाहिये मैं उनकी प्रत्येक बात सुनने के लिये तैयार हूं । लेकिन मेहरबानी करके अभी तो मैं निदान ही कर रहा हूं, दवा पिला नहीं रहा हूं, अगर दवा कड़वी लगेगी तो पी लीजियेगा और उससे लाभ जरूर हो जायगा । तो यह तो उदाहरण मैंने अन्तरिम जिला परिषद् के विरुद्ध बतलाया । अब जिस जिले गोरखपुर से मैं आता हूं वहां की बात सुनें । अभी १७ को या किसी और तारीख को अन्तरिम जिला परिषद् की बैठक थी । उसमें नरसिंह नारायण जी भी थे । आडिट रिपोर्ट १९६०–६१ की उस मीटिंग और उससे पहले की मीटिंग में एजेन्डे पर थी जब माननीय नवलकिशोर जी के भाषण के लिये वह एजेन्डा स्थगित किया गया था ।

एक सदस्य—

ऐसी बात नहीं हुई थी ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपको भी हक है कि आप कहेंगे । तो उस आडिट रिपोर्ट में चार्जेज क्या थे । चार्जेज यह थे कि इमारत का कंस्ट्रक्शन किया गया था और उसके लिये वहां के मेडिकल आफिसर इन्चार्ज ने यह लिखा था कि इसमें बालू और सीमेंट १० और १ के अनुपात में मिला हुआ है, थर्ड क्लास की ईंटें इस्तेमाल की गयी हैं, धनघोर अनियमिततायें बरती गयीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कल्पनार्थसिंह]

हैं । जब आडिट रिपोर्ट सामने आयी तो पूछा गया कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण आप इसका निराकरण नहीं कर सकते हैं । मैंने यह भी कहा था कि मेहरबानी कर के जो आडिट रिपोर्ट है उस पर विभाग द्वारा जो रिपोर्ट दी गयी है वह भी हिन्दी में सम्मानित सदस्यों को दे दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

अभी आप और बोलेंगे ?

श्री कल्पनार्थसिंह---

जी हां ।

श्री अधिष्ठाता---

तो अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और गणपूर्ति अभाव के कारण २ बजकर १४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कल्पनार्थसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि १४ मिनट तक घंटी बजती रही और हाउस का कोरम पूरा नहीं हुआ । आज रविदास जयन्ती मनाने के लिये लोग चाहते थे कि हाउस की छुट्टी हो । मैं इस बात पर खेद जरूर प्रकट करना चाहता हूं और इसके बाद में अपनी बात शुरू करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य ने जो कम्प्लेंट की यह बिलकुल जाहिर बात है, गवर्नमेंट का बिल है और गवर्नमेंट जब बिल लायी है तो गवर्नमेंट व्हिप्स को चाहिये कि वह कोरम को मेन्टेन करें । भविष्य में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

१४ मिनट जो हम लोगों का नुकसान हुआ है, यह जो बिल इसके बाद पेश होने वाला है उसमें वह १४ मिनट हम लोगों के कोटे में बढ़ा देना चाहिये । ११ तारीख को साढ़े पांच बजे तक इसको पास होना था, उसमें १४ मिनट बढ़ा देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---

यह सब चीजें हाउस के अधिकार की हैं । हाउस अगर चाहेगा तो मुझे ऐसा करने में कोई एतराज नहीं होगा । हाउस की राय ले ली जायगी । श्री कल्पनार्थसिंह अपना भाषण जारी रखें ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि गोरखपुर जिला बोर्ड में किस तरह आडिट रिपोर्ट पर गड़बड़ी की गई और मैं आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमने और माननीय नरसिंहनारायण पांडेय, दोनों ने यह चाहा था कि उस आडिट रिपोर्ट की छपी हुई हिन्दी की प्रतिलिपि सभी लोगों को मिल जाय और उस पर विभाग ने कौन-कौन सी कार्यवाही की है वह मिल जाय तो बड़ी सुविधा होगी । एजेन्डे पर लिखा था कि जो माननीय सदस्य देखना चाहें वह आ करके कार्यालय में देख सकते हैं । जब यह बात उनसे कही गई, तो उत्तर में कहा गया कि अगर छपवाकर बटवाया जायगा तो कागज खर्च होगा और पैसा ज्यादा खर्च होगा । जिस तरह की अनियमितता हुई उसके चलते अगर लाखों रुपये का गोलमाल हो, वह कबूल है, आडिट रिपोर्ट पर बहस न हो, यह कबूल है लेकिन यह कबूल नहीं है कि माननीय सदस्यों को उसकी प्रतिलिपि वह दे सकें । माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी

सदन के सदस्य हैं, वह देखना चाहते थे । जहां तक मेरी इन्फार्मेशन है वह कर्यालय में गये और उनको लिखित दे दिया गया कि आज आप यह रिपोर्ट नहीं देख सकते । (व्यवधान) कांग्रेस के ही चेयरमैन हैं। यह घटना मैंने एक ऐसे माननीय सदस्य के साथ बतायी जो इस सम्मानित सदन के भी सदस्य हैं । इस प्रकार की अन्तरिम जिला परिषदों की अनियमितता की गाथा एक बार नहीं अनेक बार इस सदन में गायी जा चुकी है । बार-बार सरकार की तरफ से यह वादे होते रहे हैं कि अब चुनाव हो जायगा, तब चुनाव हो जायगा, यह कानूनी दिक्कत है और वह कानूनी दिक्कत है । बार-बार दिक्कतों का हवाला दिया गया लेकिन सन् १९५९ से लेकर ६२ तक जब से यह अन्तरिम जिला परिषदें बनीं इनका चुनाव नहीं हो सका ।

आज भी यह कहा जाता है कि इनका कार्यकाल बढ़ा दो और अगर सत्य आप पूछिए तो सन् १९४८ से लेकर आज तक इन जिला परिषदों का कोई चुनाव नहीं हो सका । जितनी अनियमिततायें जिला परिषदों की हैं वह हर आदमी जो उसका सदस्य है जानता है और और लोग भी जानते हैं । आज अन्तरिम जिला परिषद् में दो तरह के कर्मचारी हैं । कुछ तो वह हैं जो पुराने जिला बोर्ड के कर्मचारी हैं और कुछ वह हैं जो नियोजन विभाग के कर्मचारी हैं । इन कर्मचारियों में भी उनके महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि के क्रम में फर्क है जिसकी वजह से आपस में उनमें द्वन्द चला करता है । उस द्वन्द का नतीजा यह होता है कि वहां काम सुचारु रूप से नहीं चल पाता है । अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष आज भी उतने सक्षम नहीं हैं, उन कर्मचारियों के लिये उतने सक्षम नहीं हैं जो नियोजन विभाग के हैं । वे अधिक सक्षम पुराने जिला बोर्ड के कर्मचारियों पर हैं । श्रीमन्, अच्छा होता इस गड़बड़ी को दूर करने के लिये एक अवसर रहता और इसको प्रवर समिति में भेजकर इस पर विचार किया जाता और सदन के सामने फिर यह आता और तब विचार होता । श्रीमन्, बहुत पुराना मर्ज जो अब ज्यादा उग्र हो गया है वह अन्तरिम जिला परिषद् में भी है, वह है गुटबन्दी । गुट विशेष के लोगों का आधिपत्य है । पार्टी विशेष को छोड़ दीजिये । मेरा तो यह भी कहना है कि एक पार्टी के गुट विशेष को तरजीह देने के लिये हमेशा अन्तरिम जिला परिषद् का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है और जब अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्ष जिला कलेक्टर थे तो बार बार इस सदन में कहा जा रहा था कि नानआफिशियल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाय लेकिन नानआफिशियल बोर्ड का अध्यक्ष होने पर गुट विशेष का काम हुआ । उनको लिया गया और उनकी अवधि बढ़ाने के लिये छूट दी जा रही है । यह सब क्यों हो रहा है ? यह इसलिये हो रहा है कि अव्वलन एक पार्टी विशेष और उस पार्टी विशेष में भी अपने गुट के आदमी हों तो ज्यादा अच्छा है । आजमगढ़ जिला बोर्ड और उन्नाव जिला बोर्ड इस बात के सबूत हैं कि जहां गैर कांग्रेसी अध्यक्ष हैं वहां रोजमर्रा एक न एक खुराफात पैदा की जा रही है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने मन से ऐसे अन्तरिम जिला परिषदों के कार्य काल को बढ़ाना प्रदेश की जनता के मनोबल को गिराना है और उनकी भावना को कुंठित करना है ।

एक बात और कही गई इसके उद्देश्य और कारणों में कि उत्तराखंड में ३१ दिसम्बर, १९६७ तक कोई चुनाव नहीं होगा और वहां जिला परिषदों को कायम नहीं किया जायगा । मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तानाशाही का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है । उत्तराखंड में आज आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर जिला परिषदें कायम हों । वहां उत्थान का काम हो । वहां नियोजन का काम बढ़ाया जाय । उन स्थानों पर जिला परिषदों का काम पूरा न करके उनको ३१ दिसम्बर, १९६७ तक पूरा करने की बात कही जाती है । ऐसा क्यों है ? अगले आने वाले चुनाव में मालूम होता है कि गुट विशेष के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा । इस डर से सन् १९६७ के बाद किया जा रहा है । इसलिये कि इस ५ साल के भीतर गुट विशेष वहां मजबूत किया जाय, उत्तराखंड की चिन्ता छोड़ कर, गुट की चिन्ता, पार्टी की चिन्ता के नाते यह ३१ दिसम्बर, १९६७ तक उत्तराखंड की जिला परिषदों के कार्यकाल को बढ़ाने की बात की जाती है । इसीलिये श्रीमन् , मैंने निवेदन किया कि अगर दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों की एक संयुक्त प्रवर समिति बैठ कर इन सारी बातों पर विचार करेगी कि इन परिषदों का समय १९६३ तक और १९६७ तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं, अगर बढ़ाया जा सकता है तो उसके लिये क्या-क्या नये संशोधन करने होंगे, तो वह उचित

[श्री कल्पनाथसिंह]

होगा । इसके लिये अत्यावश्यक है कि इस विधेयक पर संयुक्त प्रवर समिति में विचार हो और इसलिये प्रार्थना है कि सदन इस मेरे प्रस्ताव को कबूल करे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो यह विधेयक देखने में बड़ा सीधासादा मालूम होता है क्योंकि इसके द्वारा एक ही धारा में संशोधन करके उत्तराखंड डिवीजन में अंतरिम जिला परिषदों का कार्यकाल सन् १९६७ तक और प्रदेश के अन्य स्थानों की परिषदों का कार्यकाल ३० जून, १९६३ तक बढ़ाने की बात की गयी है, लेकिन मुझे इस सरकार के कार्यक्रम को देखने से कुछ दुख और तकलीफ होती है । कहा जाता है कि इमरजेंसी की स्टेट उत्पन्न हो गयी है इसलिये यह विधेयक लाया गया है । लेकिन जब मैं देखता हूं कि यह सरकार इमरजेंसी के नाम पर वास्तव में कितनी इमरजेंसी महसूस करती है तो मुझे दुख होता है । आज उत्तराखंड की क्या हालत है, वहां पर जिला परिषदों का चुनाव कराना क्यों आवश्यक है, यह देखने की बात है । वहां की जिला परिषदें वास्तव में जनता के सच्चे और सही प्रतिनिधियों द्वारा ठीक रूप से अपना कार्य नहीं प्रतिपादित कर पा रही हैं और जिसका नतीजा है कि आज जितनी सड़कें बननी चाहिये वह नहीं बन पा रही हैं और एक प्रकार की तानाशाहियत, डिकटेटरशिप वहां चल रही है । जब आप डेमोक्रेटिक कन्वेन्शन्स में आस्था रखते हैं तो यह कहना कि परिस्थितियां असामान्य हो गयी हैं और इसलिये हम कार्यकाल उनका बढ़ाना चाहते हैं यह कुछ नहीं सरकार की तिकड़म का ही एक सबूत है . . . . . .

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या 'तिकड़म' शब्द को आप पार्लियामेंटरी मानते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपना स्थान ग्रहण करें । वह शब्द सरकार के लिये प्रयोग किया जा सकता है । किसी माननीय सदस्य के लिये उन्होंने नहीं कहा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, इसी तरह से गोरखपुर की जिला परिषद् में माननीय सदस्य कार्य करते हैं तो देखें कि यह कहां तक पार्लियामेंटरी पद्धति को समझ पाते होंगे । श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार आज इमरजेन्सी की स्थिति को महसूस करती तो जनता का जो मनोबल टूट रहा है, उसको देखते हुए, कुछ उस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए था । आज जनता की क्या हालत है, आप श्रीमन अपने ही तरफ के जिलों को देख लीजिये, आप तो वहां के सदस्य हैं । वहां की जनता किस तरह से विक्षुब्ध है । आप उत्तराखंड डिवीजन में, तो जानते ही होंगे कि वहां पर सड़कों की क्या हालत है । वहां की सड़कों की खराब हालत देखते हुए हमने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा था और कई दफा मैं इस विधान सभा में भी दफा ५२ के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करता रहा हूं, परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है । आज इस सरकार के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि इमरजेन्सी का इस्तेमाल किस लिये किया जा रहा है और यह किस तरह से प्रदेश की जनता को समझाई जा रही है । मैं इसको तब समझ पाता जब कि सूचना मंत्री जी और उनकी सरकार किसी योजना के साथ उन सरहदी जिलों की सुरक्षा को भी जोड़ते । उत्तराखंड जिलों को बचाने की भी कोई आधारभूत योजना बनाते । उस जिले का महत्व स्वतः इसी से स्पष्ट है कि वे इलाके तिब्बत और चीन से लगे हुए हैं । उनकी सीमायें नैपाल को जोड़ती हैं । यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता कि आपने इमरजेन्सी को समझा है और जनता भी उसकी महत्ता को पूरी तरह से समझती । मैं अपने गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बहराइच और लखीमपुर-खीरी आदि इन सब जिलों की बात बताता हूं कि यह सभी उत्तराखंड और सरहदी इलाके से लगे हुए हैं । परन्तु वहां की हालत को देखते हुए बड़ा ही दुख होता है कि सरकार सही तरीके से कार्य नहीं कर

रही है वरन् वह अचेत है । मैं समझता हूं कि सरकार को भी सरहदी दर्रों के महत्व का पता होगा और यह भी मालूम होगा कि वहां पर किस तरह से चीन ने सड़कों का जाल बिछा रखा है, उन्होंने ल्हासा तक एकदम कनेक्ट कर दिया है और उनकी यही योजना भी है कि वे भविष्य में भी ऐसा ही करते चले जायं।

लेकिन मैं यह देखता हूं कि हमारी जिला परिषदें जिस तरह से कार्य कर रही हैं, उससे आज सरहदी जनता को सन्तोष नहीं हो रहा है क्योंकि उनका कार्य समय और परिस्थिति को देखते हुए अनुकूल नहीं कहा जा सकता । इसीलिये जब ऐसा संशोधन आता है तो मुझे कहना पड़ता है कि यह संशोधन जनतान्त्रिक पद्धति को देखते हुए नहीं लाया गया है और उसके अनुरूप नहीं है । माननीय कल्पनाथसिंह जी ने गोरखपुर जिले की जो हालत का वर्णन किया और उसकी ओर इशारा किया उस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि आडिट रिपोर्ट को जिला परिषद के अन्दर सही-तरीके से विचार करना चाहिए । जिस किसी ने भी अनियमिततायें की हों और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया हो, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए । और उनके ऊपर जिम्मेदारियों को निहित करना चाहिये जिससे कि जनतांत्रिक तरीके से काम परिषदों का चल सके । सरकारी अफसर जिन्होंने जनता के पैसों का अपहरण किया है उनके कामों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए । हमारे गोरखपुर जिले में तो एक अन्धेर मचा हुआ है । वहां तो आज बहुमत के आधार पर सारा कार्यक्रम किया जा रहा है । आप तो जानते होंगे कि एग्जिक्यूटिव कमेटी बनी थी जो कि जिला परिषदों के कामों को कन्ट्रोल करती थी । हमारे यहां ४०० अध्यापकों की नियुक्ति बिना एग्जिक्यूटिव कमेटी की राय के कर ली गयी---अध्यक्ष महोदय ने स्वयं कर ली और जब मामला जिला परिषद् में पेश हुआ तो अध्यक्ष ने कहा कि हमने तो नियमतः कर ली । मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न किये हैं और आज भी कर रहा हूं । क्या यही जनतंत्र है ? क्या जनतंत्र का मतलब होता है कि अल्पमत की एक न सुनें ? अगर अल्पमत सही रास्ते पर ले जाना चाहे तो भी आप उसे नजर-अन्दाज करेंगे ? ऐसा कहीं भी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में नहीं देखा गया है जैसा कि जिला परिषदों में चल रही है । जो जिला परिषदें छोटे पैमाने पर विकेन्द्रीकरण की यूनिट होने जा रही हैं वहां अगर जनतंत्र का गला घोटा जायगा तो मैं नहीं कह सकता कि जनतंत्र किस तरह से पनप पायेगा और किस तरह से गांवों और शहरों में उसका विकास हो पायेगा ।

जहां तक अध्यादेश की बात है और इमरजेन्सी का सवाल है और सरकार महसूस करती है कि उसकी आवश्यकता है तो उसके तरीके पर गौर करना पड़ेगा । कल राजस्व मंत्री ने कह दिया कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम एक रहें, हजार रहें, यह नेता सदन पर निर्भर करता है कि वह कितने आदमियों से मंत्रिपरिषद् और प्रदेश का काम चला सकता है । मुझे याद है, जब इंगलैण्ड में सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो वहां मंत्रिपरिषद् कितने का था ? माननीय राजस्व मंत्री उसको देखने की कृपा करें, समझने की कृपा करें, मैं तो केवल आप को रास्ता बता सकता हूं....

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य इसी तक सीमित रहें, आप यह बतलायें कि सीमा क्यों न बढ़ायी जाय ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मैं वही कह रहा हूं । मैंने इसलिए कहा कि चूंकि राजस्व मंत्री का दिमाग सठिया गया है । हमारे यहां जब बुजुर्ग ६० साल का हो जाता है तो कहा जाता है कि वह "सठिया गया ।" वह सठिया गये हैं, तो मैं उनको राय दे रहा था । उनको खयाल करना चाहिए कि अगर मंत्रि-परिषद कम होता है तो जनता के मनोबल पर उसका प्रभाव पड़ेगा । मैं महसूस करता हूं कि आज जो चुनाव को टाला जा रहा है यह जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आप सामान्य रूप से काम प्रदेश में कर रहे हैं, सारी क्रियाएं सामान्य रूप से चल रही हैं रात-दिन उद्घाटन हो रहे हैं । मिर्जापुर डैम के उद्घाटन में १७-१७ हजार रुपया खर्च होता है और जवाब दिया गया कि अभी और हिसाब किताब नहीं मिल पाया । क्या यही इमरजेन्सी है ? क्या इसी तरह से उसको कायम रख सकेंगे ? मैं तो कह सकता हूं कि अगर आपने चुनाव प्रणाली को इसी तरह

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

से टाला और टालते रहे तो आप जनतंत्र के मूलभूत सिद्धान्तों पर कुठाराघात कर रहे हैं और हम समझते हैं कि स्थिति ऐसी नहीं है कि चुनाव नहीं किये जा सकते। यह सरकार सारे कलाप कर सकती है और समय बढ़ा कर इलेक्शन भी टाल सकती है। मुझे तो शुबहा होता है कि यह सरकार कहीं जनरल इलेक्शन को भी संकट का नाम लेकर न टाल दे। हमारी सरहद पर चीन अपनी तैयारी कर ही रहा है और सरकार ऐसा कर सकती है चूंकि इसे अपने अन्दर विश्वास नहीं रह गया है। अगर इनकी तीसरे क्लास के जो पूंजीपति बन रहे हैं, अफसर लोग, अगर वे इनकी मदद न करें तो यह एक ड्राफ्ट नहीं लिख सकते और ये सेक्रेटरीज के ऊपर चल रहे हैं। तो जनतांत्रिक पद्धति को कायम रखने के लिये, चुनाव की पद्धति को कायम रखने के लिये, आप समय को न बढ़ावें। जिस तरह से सरकार सारे कार्यकलाप कर रही है उसी तरह से उत्तराखंड में भी चुनाव करा सकती है। माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने प्रवर समिति के लिये कहा। मैं यह समझता हूं कि सरकार को ऐसा विधेयक लाना ही नहीं चाहिये था जो चुनाव से सम्बन्धित था। जनतांत्रिक पद्धति में यह जरूरी है कि चाहे कोई भी मुसीबत हो, चुनाव होना ही चाहिये। ऐसा मैं महसूस करता हूं और प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन शुक्ल—

अधिष्ठाता महोदय, यह सीधा सादा संशोधन है परन्तु इसके माध्यम से इतनी बातें यहां कही गई हैं, इतने दूर-दूर के विचार लाने का प्रयास किया गया जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी और मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि उनका इससे कोई सम्बन्ध भी नहीं है। जो भी मन में आया कह दिया गया, ऐसी परम्परा का निर्वहन किया जा रहा है। यह प्रवर समिति को भेजा जाय, इस प्रकार का भी एक संशोधन प्रस्तुत है। एक तरफ कहा जाता है कि जिला परिषद् की कार्यशैली में बड़ा दोष है, उनके नियमों में बहुत दोष हैं, तो क्या मैं आप के माध्यम से यह कहा सकता हूं कि अगर यह संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय तो मूल विधेयक में संशोधन की कोई गुंजाइश है ? अगर ऐसा नहीं है तो वह इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। इतना ही नहीं, इस विधेयक पर संशोधन लाने के माध्यम से लोकल मामलों का भी जिक्र किया गया। कुछ ने गोरखपुर, कुछ ने देवरिया का और कुछ भाइयों ने बस्ती का जिक्र किया। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि जल्दी से जल्दी जिला परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव हो जाना चाहिये। इसका मतलब है कि जिला परिषदों के सदस्यों में उनका इतना बहुमत है कि वे वर्तमान कांग्रेसी अध्यक्षों को अपदस्थ कर सकते हैं। ऐसा वे समझते हैं। तो जब उनकी ताक़त वहां ज्यादा है तो इतनी अधिक अनियमिततायें क्यों होने देते हैं। इसकी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है।

यह भी कहा गया कि जहां गैर-कांग्रेसी अध्यक्ष हैं वहां की हालत बहुत अच्छी है। गैर कांग्रेसी अध्यक्ष वहीं होंगे जहां गैर-कांग्रेसी बहुमत होगा, तो फिर वहां की हालत तो बहुत अच्छी होनी चाहिये थी। वह क्यों नहीं है ? इन बातों पर यह आदरणीय सदन विचार करे कि यह अपने दिल का गुबार निकालने के लिये कही जा रही हैं या तथ्यों की तरफ़ भी कोई संकेत है। मैं गोरखपुर जिले से आता हूं। देवरिया में अगर कोई बात रही तो वहां के कांग्रसी सदस्यों ने सब से पहले उसकी नोटिस ली। गोरखपुर के लिये जो कुछ माननीय नरसिंहनारायण जी ने कहा मुझे उसे सुनकर बहुत दुख हुआ। यह कहा गया कि जिला परिषद् गोरखपुर में आडिट रिपोर्ट पर बहस नहीं हुई और वह प्रस्तुत नहीं हुई। जिस दिनांक को यह परिषद् बैठी थी और आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत होने की बात आई उसके पहले की मीटिंग में माननीय नरसिंहनारायण पांडेय और कल्पनार्थसिंह जी की निश्चित राय से....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं एक क्लेरीफिकेशन देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

बाद में दीजिये। अभी आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामलखन शुक्ल--

माननीय सदस्य की राय से, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, हाउस की कन्सैंस आफ ओपीनियन से यह तय हुआ था कि आडिट रिपोर्ट में जो लोग दिलचस्पी रखते हों.....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मैं इसे चैलेंज करता हूं।

श्री रामलखन शुक्ल--

जो कुछ भी वहां तय हुआ वह सब की राय से तय हुआ। जिस दिन परिषद् की बैठक हुई उस दिन भी आडिट रिपोर्ट मेज पर प्रस्तुत थी और हम सब लोगों ने यह कहा कि अगर माननीय नरसिंहनारायण जी और माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने उसका अध्ययन नहीं किया है तो हम यह प्रस्ताव करते हैं कि इन दोनों सदस्यों तथा इन्हीं की मर्जी से किसी एक और आदमी की एक समिति बन जाय और आडिट रिपोर्ट पर, उसके प्रतिवेदन पर हम विचार कर लेंगे। लेकिन माननीय नरसिंह नारायण जी ने वहां केवल प्रतिरोध और अवरोध प्रदर्शित करने का वातावरण तैयार किया, उन्होंने कहा कि देखो, हमने यह लिखवा लिया है। यह तिकड़म है, यह एक लेजिस्लेटर का कैरेक्टर है, आप की इजाजत से मैं यह कहूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आप इसे डिलीट कराइये, नहीं तो मैं बीच आफ प्रिविलेज मूव करूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने पहले जो कहा था, वह सरकार के लिये था। उन्होंने सरकार के लिये कहा था। इसलिये मैंने उसे असंसदीय करार नहीं दिया। (श्री रामलखन शुक्ल से) आपने व्यक्तिगत कहा है, आप इसे वापिस लीजिये।

श्री रामलखन शुक्ल--

मैंने तो आप की आज्ञा लेकर कहा है।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें इजाजत का कोई सवाल नहीं है। आप अपने इन शब्दों को वापस लें।

श्री रामलखन शुक्ल--

अगर आपको इस बात से तकलीफ होती है तो जब वे सरकार के लिये 'तिकड़म' शब्द का प्रयोग करते हैं तो मैं कहूंगा कि दल विशेष के लिये।

श्री अधिष्ठाता--

पहले आपने जो पर्सनल कहा, उसको वापस लीजिये।

श्री रामलखन शुक्ल--

मैं उसको वापस लेता हूं लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि दल विशेष ने ऐसा किया। तो जिला परिषद् ने जो कार्यवाही की वह बिलकुल जनतांत्रिक परम्परा के अनुकूल थी, लेकिन सारी गड़बड़ी की जिम्मेदारी उन माननीय सदस्यों पर थी।

कहा गया कि जिला परिषदों में गुटबन्दी हो रही है और उसमें भी एक विशेष गुट की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी दल विशेष की गुटबन्दी के बारे में यहां विचार करना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर यह अधिकार हमें भी दे दिया जाय तो यहां जितनी भी प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, उनके अन्दर जो गुटबन्दी है, उसकी चर्चा की जा सकती है। परन्तु ऐसा करना हम मुनासिब नहीं समझते हैं। इस तरह से हर प्वाइन्ट पर जनरेलाईजेशन करना कि अन्धेरगर्दी है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और यह सब कांग्रेस के मजबूत करने के लिये, कहने के कोई माने नहीं होते। अगर यह बातें हैं तो इलेक्शन पिटीशन चल रही हैं, सबूत दीजिये, अदालतों के सामने भी आप को सबूत देने का अधिकार है। किसी एक केस में सफलता प्राप्त करना ज्यादा लाभदायक होगा

[श्री रामलखन शुक्ल]

बनिस्वत इसके कि इस सुविधा प्राप्त मंच का इसके लिये इस्तेमाल करें। यह एक प्रिविलेज्ड फोरम है, यहां कोई बात कहने के पूर्व हमें सोचना चाहिये कि हमारी बात के पीछे कोई बल है या नहीं।

यह भी कहा गया कि जिला परिषद् गोरखपुर में ४०० अध्यापकों का चुनाव अनियमित हुआ। स्थिति यह है कि जिला परिषद् ऐक्ट के अन्तर्गत सारी कार्यवाही अभी मेल्टिंग पाट में है, उसका निर्माण हो रहा है। पहली जो कार्यकारिणी बनी हुई थी उसको सस्पेन्ड कर दिया गया। वह काम नहीं कर रही थी फिर कार्यकारिणी रि-इन्सटेट कर दी गयी। लेकिन बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष ने ही इस बात को प्वाइन्ट आउट किया कि चुनाव रद्द हो और जब तक एप्वाइन्टमेंट कमेटी से आदमी चुन कर न आयें, तब तक न हो। आदमी वहां से चुन कर आया और सारी कार्यवाही एप्वाइन्टमेंट कमेटी के सामने हुई। इन सारी बातों पर भी ध्यान न देकर यह कहना कि चुनाव नहीं हुआ, अब इसका तो कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता।

त्रिपाठी जी बड़े अच्छे वकील हैं उन्होंने आरम्भ में ही कहा कि कानून इतने बनते जा रहे हैं और इतने अमेंडमेंट्स हो रहे हैं कि वकील लोग उनको पढ़ नहीं पाते लेकिन त्रिपाठी जी को उनके बारे में सदन में बोलने का सदा ही अवसर मिल जाता है और यह अंग्रेजी जमाना तो है नहीं जहां जनता की इच्छाओं की कोई परवाह न की जाती हो। जैसे जैसे परिस्थिति विकसित होगी, अनेक प्रकार के विचार रखे जायेंगे, विरोध होगा और सुझाव आयेंगे, कानून को अधिक प्रौढ़ बनाने के लिये, उसको जनता के लिये अधिक उपयोगी बनाने के लिये, सरकार का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि वह कानून में संशोधन करे। मैं समझता हूं कि अगर सरकार यह करती है तो कोई बुरा काम नहीं करती। जब आप इतने सजग हैं कि एक इतना निर्दोष संशोधन जिसमें केवल ३० जून तक की अवधि बढ़ाने का सवाल है, उस पर जो कुछ हम कहना चाहते हैं उसे भी आप सुनने के लिये तैयार नहीं हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि इस संशोधन से जिला परिषदों की रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो भी आप इसे नहीं मानते और घंटों बातें करते चले जाते हैं, तो इसमें उलहना किस चीज का है?

यह कहा गया है कि हाई कोर्ट में, अदालतों में हमारा मस्तक शर्म से नीचा हो जाता है, अमेंडमेंट्स की वजह से। मैं समझता हूं कि उनको तो अपना मस्तक ऊंचा करके कहना चाहिये कि हमारी अदालतें ऐसी हैं जो गलत बातों को सुधारती हैं और सरकार उनके अनुकूल संशोधन लाती है। इसमें कोई शरमाने की बात नहीं थी। शरमाने की बात तो तब होती है जब कि इस आदरणीय सदन में तथ्यहीन व प्रमाणहीन बातें कही जाती हैं। लेजिस्लेटर्स का सम्मान तो इसी में है कि जिस सोसाइटी का वह प्रतिनिधि है, जिस दलगत राजनीति से उसका सम्बन्ध है, उसका स्पष्ट स्वरूप सबके सामने आवे। लेजिस्लेटर्स का अपमान तब होता है जब कि जनता की सही आवाज का वह प्रतिनिधित्व न कर सके। संशोधन से तो भूल को ठीक किया जाता है और इससे हमारे सम्मान में वृद्धि होती है। आज कल जिला परिषद की वजह से, या और भी तमाम चीजों का नाम लेकर मनोबल गिरने की बात कही जाती है। लेकिन वास्तव में मनोबल तो केवल इसलिये गिर रहा है कि आप अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिये राजनीतिक समन्वय नहीं कर पाते। जिस तरह का दृश्य अवसर इस सदन में उपस्थित कर दिया जाता है उससे भी मनोबल गिरता है क्योंकि जनता इसे देखती है और प्रेस में भी ये सारी बातें जाती हैं। अगर हम इस दृष्टि से सोचना प्रारम्भ कर दें तो मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें ठीक हो जाय।

उत्तराखंड डिवीजन की बात भी कही गयी। मैं समझता हूं कि यहां उत्तराखंड के जो प्रतिनिधि मौजूद हैं वे आप से ज्यादा उत्तराखंड की स्थिति के बारे में जानते व समझते हैं और वहां की बात वे अच्छी तरह से कह सकते हैं। लेकिन आप सीमान्त के जिलों पर भी चुनाव की बात लादना चाहते हैं। उत्तराखंड की बात उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिये कि वे वहां की सही व गलती के बारे में सोचें। मैं समझता हूं कि श्री नरसिंह नारायण पांडेय व श्री कल्पनाथसिंह के लिये देवरिया व गोरखपुर ही काफी है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और जो दूसरे आये हुए संशोधन हैं, उनका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

श्री नरसिंहनारायण पांडेय जी, स्पष्टीकरण के लिये मैं आपको केवल दो मिनट देता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मीटिंग में यह बात तय हो चुकी थी। जहां तक मुझे याद है, मीटिंग जो हुई थी उसमें श्री नवलकिशोर, उपमंत्री गृह विभाग द्वारा जिला परिषद् के सदस्यों के बीच में ३ बजे भाषण देने की बात हुई थी। हम लोग १ बजे ही वहां आकर बैठ गये थे। हम लोगों के खतम करने के बाद फौरन ही वह प्रस्ताव आया था। कोई कार्यवाही तो लिखी ही नहीं गयी, और इस समय एजेंडा यहां मेरे पास नहीं है वरना मैं दिखला देता कि वास्तविक बात क्या है। आप के द्वारा मैं इसको नोटिस भी देता हूं कि वहां कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई और माननीय सदस्य के खिलाफ मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाऊंगा, अगर एजेंडा मिल गया। मैं आप को बतला दूं कि जिस समय नवलकिशोर जी का भाषण शुरू हुआ उसके बाद आडिट रिपोर्ट के पास होने का कोई प्रस्ताव ही नहीं पेश हुआ। सिर्फ एजेंडे में यह है कि दूसरे रोज की मीटिंग में इसे रखा जायगा और मीटिंग ऐडजर्न हो गयी। हमसे यह कहा गया कि जिला परिषद् के सेक्रेटरी के कमरे में जाकर इसे आप देख लें। मैं वहां भी गया वहां पर भी सब लिखित चीफ एक्जिक्यूटिव आफिसर का मौजूद है कि मुझे उन्होंने देखने का अवसर नहीं दिया, उनका रिमार्क उसमें मौजूद है। यह एक अतिशयोक्ति है इस पर विचार होना चाहिये।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय त्रिपाठी जी द्वारा जो प्रवर समिति में इस बिल को भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके माध्यम से मैं इस अवसर पर क्षेत्र समितियों द्वारा जो कार्यों में अनेक कठिनाइयां आ रही हैं उनको सदन के सामने उपस्थित करूंगा। सरकार का कहना है कि यह तो एक इन्नोसेंट विधेयक और छोटा सा संशोधन है लेकिन अगर आप देखें तो पता चलेगा कि सरकार की इस कार्यवाही से जनता में किस प्रकार की भावना प्रजातन्त्र के बारे में बनती है। सन १९४७ जब से बोर्ड का चुनाव हुआ, १९५८ तक कोई चुनाव नहीं कराये गये। जब बराबर कहा गया कि चुनाव नहीं होंगे तो जनता की क्या भावना बनेगी। अन्तरिम जिला परिषदों के कानून के अन्दर जिलाधीशों को अधिकार दिया गया और उसके बाद चुनाव कराके अब यह अन्तरिम जिला परिषद् का कानून हमारे सामने आया, यह कहना कि उसके बाद हमें मौका नहीं था, यह गलत है। १४ तारीख तक असेम्बली यहां रही और उसके बाद आर्डिनेंस लाया गया, एक लाइन का संशोधन तो सरकार दिसम्बर में ही एक दिन का असेम्बली का समय बढ़ा कर ला सकती थी। लेकिन वह कायदे कानून के आधार पर कोई काम नहीं करना चाहते, कहा जा रहा है कि इसमें कोई खास बात नहीं है कोई परिवर्तन नहीं है, यह तरीका गलत है। जब चुनाव का समय निश्चित होता है और जनता में एक भावना होती है और उसके करने का मौका आता है तो चुनाव में अड़ंगा लगा कर जनता की भावना को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। हमारे यहां क्षेत्र परिषद् का चुनाव हुआ लेकिन सरकार जानबूझकर संशोधन जनवरी में नहीं लाई उसे पहले नहीं लाई, दिसम्बर में भी १४ दिन का सेशन हुआ लेकिन टाल दिया और आर्डिनेंस के द्वारा संशोधन किया गया। आज इस चुनाव को टालने की स्थिति से जनता के मन में जो भावना पैदा होती है कि सरकार चुनावों को अपनी इच्छा के अनुसार और अपने आदमियों को समय पर लाने के लिये चुनाव अपने ढंग से कराना चाहती है। कोई खास बात अवश्य है जो ऐसा किया जा रहा है और इसी कारण से इसका विरोध इधर से होना स्वाभाविक है।

कहा जाता है कि यह केवल समय बढ़ाने का संशोधन है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि वह यह क्यों करने जा रहे हैं इसके साथ ही कि यह उत्तराखंड के अन्तर्गत लागू नहीं रहेगा। अगर सुरक्षा के नाम पर यह कह किया जा रहा है तो यह केन्द्रीय सरकार भी डी० आई० आर० के द्वारा कर सकती थी। उत्तराखंड की क्षेत्र समिति को इससे निकालने की बात हमारी समझ में नहीं आती, जो वहां के लोग हैं वह इस राज को जरूर जानते होंगे कि सरकार ऐसा क्यों कर

[श्री रक्षपालसिंह]

रही है, क्या मतलब है ? वर्ना उसको वहां से खत्म करने की बात उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का बात थी, वह केन्द्र कर सकता था। इसके अलावा अन्तरिम जिला परिषद् और जिला परिषद् का भ्रम भी बहुत दूर तक निर्मित हो गया है। फतेहपुर में ४ बैठकें हुईं और वहां पर इस बात पर ही घंटों विवाद होता रहा कि यह अमुक बैठक जिला परिषद् की है या कि अन्तरिम जिला परिषद् का है। घंटों विवाद होने के बाद झगड़ा बना ही रहता है, छोटी-छोटी बातों के लिये झगड़ा होता है, तीन ब्लाकों में लगातार यही हालत है। ग्राम सेवक, सेक्रेटरीज के ट्रांसफर आदि के बारे में ब्लाक प्रमुख और जिला परिषद् में झगड़ा चल रहा है। पौण्ड की आमदनी की एक नई समस्या है। इसका अधिकार ब्लाक को है लेकिन परिषद् कहती है कि हमारा अधिकार है। अध्यापकों की नियुक्ति, ट्रांसफर के बारे में भी यही हालत है। अभी हमारे यहां के अध्यक्ष ने कहा आपात कालीन स्थिति है इसलिये अध्यापक नहीं रखे जायेंगे, बल्कि कई शिफ्ट चला कर काम पूरा करेंगे लेकिन इधर हम लोग १४ दिन के लिये यहां आये उधर ३००, ४०० मास्टर नियुक्त हो गये, न मालूम किस प्रकार। इसलिये यह दिक्कतें मेरी राय में सभी जगह हैं। इस लिये जो अन्तरिम अवस्था सरकार कायम रखना चाहती है यह ठीक नहीं है। लोगों को संदेह होता है कि जून में भी चुनाव होंगे कि नहीं। इस प्रकार के काम जो सरकार कर रही है इससे प्रजातंत्र पर चोट पहुंचती है। वैसे तो यह आर्डिनेंस है इसको रेगुलेराइज करना ही है परन्तु जिला परिषद् की परेशानियों की तरफ सरकार ध्यान दे कर उनको G. O. द्वारा दूर करने का प्रयास करेगी। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं नहीं आशा करता था कि छोटे से इस संशोधन विधेयक पर इतने भाषण होंगे। दो, तीन बातें मुझे कहनी हैं।

पहली बात यह है कि विधेयक में कहा गया है कि इसलिये इसमें संशोधन करना पड़ा क्योंकि पिछली बैठक में जिला परिषद् अधिनियम में संशोधन किया गया था इसलिये जल्दी में चुनाव नहीं करा सके। दूसरे ३० जून तक जो समय बढ़ाने की बात है इसमें सरकार की दूरदर्शिता ही है क्योंकि हम लोग चन्दा इकट्ठा करने में व्यस्त थे इसलिये जो चुनाव टाला गया यह परिस्थिति के अनुकूल है।

माननीय कल्पनाथसिंह जी ने कहा कि उनके जिले में हजारों अध्यापकों की नियुक्तियां नियमित ढंग से नहीं हुईं। मैं कहता हूं यह तो उनके लिये और एक मौका मिला क्योंकि जुलाई में अध्यापकों की नियुक्ति होती है वह इसके विरोध में जनता को तैयार करें ताकि चुनाव में उससे फायदा उठा सकें। यह अच्छा मौका है और काफी समय भी तीन, चार महीने का है।

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जल्दी जल्दी अमेंडमेन्ट लाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो एक प्रगतिशील पार्टी है। अगर हम अपने प्रदेश के स्वायत्त शासन के इतिहास को देखें तो मालूम होगा कि जब जैसी स्थिति आयी है वैसा परिवर्धन करते गये हैं और करते जायंगे। हम विकासवादी हैं। समयानुकूल परिस्थितियों को बदलते रहते हैं।

कुछ लोगों ने चर्चा की कि अध्यापकों के ट्रांसफर में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन सरकार ने तो अब ब्लाक प्रमुख को यह अधिकार दे दिया है। तो आप ऐसी स्थिति बनाइये कि आप के प्रमुख जायं, आपके अध्यक्ष जायं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जहां गैर कांग्रेसी अध्यक्ष हैं वहां बहुत गड़बड़ी है। वहां गड़बड़ी तो होगी ही क्योंकि वहां कांग्रेसी अध्यक्ष नहीं हैं। जहां जहां हमारे अध्यक्ष हैं वहां कोई गड़बड़ी नहीं है।

जो और बातें कही गयीं मैं समझता हूं उनका इस संशोधन विधेयक से कोई संबंध नहीं है। जब पिछले सत्र में इस पर अमेंडमेन्ट चल रहा था उस समय ये सारी बातें विस्तार से कही गयीं थी और एक एक खण्ड पर विचार हुआ था। मैं समझता हूं कि आधे घंटे में यह सदन इसको पास कर देगा, इस आशा से मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन विधेयक आया है इस पर मैं अपना बहुत ही प्रबल प्रतिरोध उपस्थित करना चाहता हूं। वह इसलिये कि जो यह कहा गया कि यह बहुत ही निर्दोष संशोधन है। तो देखने में तो बहुत निर्दोष मालूम होता है, केवल समय बढ़ाने की बात है, लेकिन जिस मंशा और जिस प्रकार से यह किया जा रहा है यह बहुत ही खतरानाक बात है और खासतौर से जनवाद के लिये तो बहुत ही खतरनाक है। हम रोज अपने भाषणों में और जो स्वरूप बनाते हैं प्रशासन के ढांचे का उसमें निरन्तर कहते हैं कि हम पंचायत राज कायम करने जा रहे हैं, शासन का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं और उसकी सब से सुदृढ़ और उपयोगी इकाई जिला स्तर पर होगी। लेकिन जिला इकाई के भाग्य को आप देखें तो आजादी के बाद सब से बड़ा मखौल इसी इकाई के साथ किया गया है। सन् १९४८ से आज तक इस जिला इकाई का प्रजातांत्रिक ढांचा नहीं हो पाया। वहां वयस्क मताधिकार से आज तक कोई व्यवस्था नहीं लागू की जा सकी। सन् १९४८ में जो चुनाव हुआ था वह भी बालिग मताधिकार के आधार पर नहीं था। उसके बाद हमारे देश में तीन साधारण निर्वाचन हुए लेकिन जिला स्तर पर निर्वाचन नहीं हुए। सन् १९४८ के चुनाव के बाद सन् १९५९ तक उन्हीं लोगों को अधिकार में रखा गया जो बालिग मताधिकार से नहीं चुने गये थे। आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर जब पूरा ढांचा बदल रहा था तब भी जिले के भाग्य को उन लोगों के हाथ में छोड़ दिया गया जो जनता की सही नुमायन्दगी नहीं करते थे।

इसके बाद यह महसूस किया जा रहा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट इतना आउट डेटेड हो चुका था कि उसके अन्दर परिवर्तन होना चाहिये। शासन के विकेन्द्रीकरण के स्वरूप के अनुसार नियोजन की अच्छी व्यवस्था लागू हो, उसको प्रभावकारी ढंग से लागू कर सके उसके लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के अन्दर अमेंडमेन्ट किये गये। वह पास हुआ। उसके बाद फिर उस स्वरूप को भी बदल दिया गया। और इसके बाद जो यह सरकार कहती है कि इमरजेंसी के कारण लाया गया है, मैं इसको बिलकुल नहीं मानता हूं। उसका कारण इमरजेंसी नहीं है। उसका एकमात्र कारण यह है कि आज तक सरकार के दिमाग में जिला स्तर पर क्या किया जाय बिलकुल स्पष्ट नहीं है, निश्चित नहीं है। पिछले ५, ६ बार जो संशोधन आये हैं उसमें कभी बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बात की गयी। कभी कहा गया कि चुनाव प्रत्यक्ष होंगे और कुछ अप्रत्यक्ष होंगे। कभी कहा गया कि नहीं जिला स्तर पर जो हमारे शासन के सब से बड़े अधिकारी हैं कलेक्टर उसको हेड बनायेंगे, कभी इस इकाई पर जिले के उच्चाधिकारियों को बैठाया गया और बैठाया ही नहीं गया उनको वोट देने का भी अधिकार दिया गया, जिसका सदन के अन्दर मजबूती के साथ प्रतिरोध भी किया गया लेकिन सरकार ने उसको भी नहीं माना यह तो हालत है कि जो सबसे ज्यादा मौलिक इकाई जिसके लिये यह कहा जाता है कि वह जनवाद की आधारशिला है उसके लिये कहा गया कुछ और कार्य उसके बिलकुल विपरीत किया गया।

अभी कुछ दिन पहले बंशीधर जी पान्डेय ने जिलों के अन्दर दौरा किया और वहां दर्जनों भाषण दिये जिसमें उन्होंने कहा कि जिले की इकाई को बहुत मजबूत किया जायगा। उन्होंने जिलाधीश को गवर्नर और जिला परिषद को मुख्य मंत्री का स्वरूप प्रदान किया। क्या यही उसका स्वरूप होने जा रहा है। कारण स्पष्ट है कि आपके दिमाग में यह बात साफ नहीं है कि हमारा अन्तरिम जिला परिषद् जो जिला परिषद होने जा रहे हैं उनका क्या स्वरूप होगा। मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

यह बात भी याद है कि जब पिछली मर्तबा अन्तरिम जिला परिषद् का स्वरूप निर्धारित हो रहा था माननीय मुख्य मंत्री संपूर्णानन्द जी उस समय थे। उन्होंने तमाम नेता विरोध दलों की मीटिंग बुलाई थी। उसमें इस बात पर विचार हुआ था कि उसका क्या स्वरूप होना चाहिये। बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आयी हुई थी। हम लोगों का यह निश्चित मत था कि यह चुनाव प्रत्यक्ष होने चाहिये। जब हमने उनको चुनाव का अधिकार दिया है और विधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनकर आने का अधिकार है और सबसे बड़ा जनवाद लोक सभा के सदस्यों को अधिकार दिया है कि प्रत्यक्ष चुने जायं तो कोई वजह नहीं हो सकती कि हम उस चुनाव को यहां न रखें जिससे वहां के मेम्बर जनवाद की इकाई में भी बन सकें। क्या हुआ। मुझे वह भी याद है कि हमारे सूबे के जो उच्चाधिकारी हैं डेवलमेन्ट कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी, इनकी तरफ से सरकार के ऊपर पूरा दबाव पड़ रहा था कि परिषद् के चुनाव अप्रत्यक्ष कराये जायं। नौकरशाही एक तरफ थी और जनता के प्रतिनिधि हम दूसरी तरफ थे। अधिकारी लोग इसलिये चाहते थे कि अप्रत्यक्ष चुनाव हो ताकि अधिक से अधिक अधिकार सरकारी अधिकारियों के हाथ में रहे और जनप्रतिनिधियों के हाथ में न रहे। कई मीटिंगों के बाद एक समझौता हुआ कि दो तिहाई चुनाव प्रत्यक्ष हों और एक तिहाई चुनाव अप्रत्यक्ष हों। इस आधार के ऊपर वहां एक स्वरूप निश्चित होने की बात हुई। लेकिन जब विधेयक आया तो इसका उलटा हो गया। यानी दो तिहाई चुनाव अप्रत्यक्ष और एक तिहाई प्रत्यक्ष चुनाव की बात हुई। मुझे वह दिन भी याद है जब इस सदन के अन्दर कितना प्रबल विरोध हुआ था। उसके बाद फिर दूसरा समझौता हुआ कि आधे चुनाव प्रत्यक्ष और आधे अप्रत्यक्ष हों।

इसके बाद जिला परिषद् बिल आया। लेकिन मुझे बहुत सख्त अफसोस है कि जिस बात को सरकार के भूतपूर्व लोग जो आज के मंत्रियों से कम जिम्मेदार नहीं थे और बहुत से इस मंत्रिमंडल के सदस्य उस समय भी थे इस सदन के लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का आदर करते हुए और जनवादी परम्पराओं के विचार से इस बात को माना था लेकिन नौकरशाही का दबाव निरन्तर पड़ता रहा और उसमें नौकरशाही की अन्त में विजय हुई और सरकार ने घुटने टेक दिये और सारे के सारे चुनाव अप्रत्यक्ष करने की घोषणा की गयी। लेकिन श्रीमन्, जब एक सदन एक कानून बनाता है तो उसकी मर्यादा होती है, हम उसकी इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं। लेकिन विरोधी पक्ष अपनी भावना को उचित ढंग से रखता है उसको सरकार नहीं मानती है, ठुकरा देती है, फिर भी एक संसदीय परम्परा है कि जब एक कानून बन जाता है तो उसको हम सब मानते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कानून के बनने के बाद क्यों नहीं उसके अनुरूप जिला परिषद् बनाये गये? क्यों उसको टालने की कोशिश की गई? आज इमर्जेन्सी के बहाने की बात मैं नहीं मान सकता हूं। सरकार के दिमाग में नक्शा साफ होना चाहिये था। आपने बड़े इलेक्शन्स लोक सभा और विधान सभा के टाल दिये लेकिन उस पर हमने कोई एतराज नहीं किया क्योंकि हम सुरक्षा के लिये खड़े हो रहे थे इसलिये हमने सोचा कि किसी तरह का वितंडावाद नहीं होना चाहिये। जिस समय चीन हमारे देश की भूमि पर मार्च कर रहा था तो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था। उस समय कितने ही अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक उपस्थित थे लेकिन हमने वाद विवाद का उस समय बिल्कुल अन्त कर दिया था। लेकिन सरकार को भी हमारी भावना की कद्र करनी चाहिये।

इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिये। इसमें पैसा कितना खर्चा होगा, कितना कंवेसिंग होगा, क्यों नहीं चुनाव करा दिये जाते? इमर्जेन्सी का सेन्स होना चाहिये सरकार खुद अपने कामों से इसको तोड़ती है। मैं नहीं कहता कि इमर्जेन्सी उठा ली जाय। लेकिन उसके नाम पर छोटे-छोटे कामों को टालना ठीक नहीं है। इससे तो जिस बात पर विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए उसके लिये भी लोगों को कहने का मौका मिलता है। यह मेरा सरकार से कहना है।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे कि जिला परिषद् और विकास खण्ड समितियों का क्या संबंध होगा? दोनों के क्या अधिकार हैं? आज भ्रम पैदा होता है कि कौन अधिकार

जिला परिषद् के होंगे और कौन विकास खण्ड समिति के होंगे। अध्यापकों के स्थानान्तरण का अधिकार विकास खण्ड समितियों को दिया गया है। विकास खण्ड समिति का अध्यक्ष कोई स्कीम लेकर आता है लेकिन जिला परिषद् का अध्यक्ष उसको उलट देता है और कहता है कि यह आपका अधिकार नहीं है। इस तरह से संघर्ष होता है और बजाय सहयोग के बाधा उपस्थित होती है। मैं केवल एक बात कहना चाहता था कि सरकार का निश्चय इसके ऊपर साफ होना चाहिये कि जिला परिषदों का क्या स्वरूप होगा और इस बात को लागू करना चाहिये। इसको टालना ठीक नहीं होगा। आपके दिमाग में चित्र साफ होना चाहिये और निश्चित अवधि के अन्दर चुनाव होने चाहिये वरना लोगों के दिलों में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा होता है। इसी सदन में स्वायत्त शासन मंत्री माननीय शर्मा जी ने पिछली बार जब इसको पेश किया था तो अवधि निर्धारित की थी। लोगों ने कहा था कि हमें भरोसा नहीं रह गया है इसलिये कि कई बार अवधि निर्धारित की गई है और बराबर सरकार टालती रही है तो निश्चित कहिये कि कितने समय के अन्दर चुनाव हो जायंगे।

शर्मा जी ने उस वक्त खड़े होकर कहा था इस सदन के अन्दर कि मैं इसको कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह समय जो निर्धारित किया जा रहा है निश्चित रूप से इसके ऊपर चुनाव होगा। क्या मैं इस अवसर पर पूछ सकता हूं नम्रता के साथ कि जिस बात को शर्मा जी ने कहा था वह पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से कहा था, उन्होंने एक वचन दिया था इस सदन को, क्या उस वचन का भंग हुआ या नहीं और क्या वह आपके अन्दर एक अविश्वास का कारण बनता है या नहीं? और मैं फिर चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से बचन दें कि क्या जो आप अवधि बढ़ा रहे हैं क्या उस अवधि तक निश्चित रूप से जिले के प्रशासन का स्वरूप विधिवत निर्वाचन द्वारा निश्चित हो जायगा या नहीं? जनवाद में आखिर बातों के ऊपर विश्वास करना पड़ता है और करना भी चाहिए, लेकिन उस विश्वास को तोड़ने का अवसर आप न दें। इसी अनुरोध के साथ मैं आपके द्वारा फिर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को और अपने आश्वासनों को वह पूरा करें।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अन्तरिम जिला परिषद् संशोधन विधेयक के संबंध में जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं। इस पर जो दो चार भाषण हुए उनको सुनने से मुझे तो कुछ विचित्र सा लगा। संशोधन विधेयक छोटा सा है। महामान्य राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किया, विधान सभा का सत्र आरम्भ होने पर यह आवश्यक था कि उसको कानून का स्वरूप दे दिया जाय। उसकी स्वीकृति के लिये वह विधान सभा में पेश हुआ है। प्रवर समिति के पास भेजकर के मैं नहीं समझ पाता कि कौन सा संशोधन उसके अन्दर लाया जायगा। जो बातें इस समय कही गई वह वही बातें थीं जो पिछले दिनों क्षेत्र समिति विधेयक के संबंध में कही गई थीं, उनके अलावा कोई और नयी बात नहीं कही गयी। तर्क यह दिया गया कि इस वक्त जो परिषद् है उसमें अध्यापकों का तबादला, उनकी नियुक्ति वगैरह ठीक ढंग से नहीं हो रही है। हजारों की संख्या में उनकी नियुक्ति वगैरह के बारे में तमाम एक से एक संकल्प विकल्प और शंकायें प्रस्तुत की गईं। जहाँ तक उनकी नियुक्ति का संबंध है यह आम तौर से सब जानते हैं कि पहले जूनियर हाई स्कूल पास अध्यापक उम्मीदवार रखे जाते थे। इस वर्ष चूंकि अंग्रेजी शिक्षा का अध्यापन तीसरे दर्जे से शुरू कर दिया गया इसलिए हाई स्कूल पास यानी अधिक योग्यता वाले व्यक्ति रखे गए हैं, उसमें कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए थी।

और ज्यादातर जो बातें कही गई वह चुनाव के बारे में कही गई और माननीय चन्द्रजीत यादव को सुनने से तो सन् १९४८ से लेकर आज तक का पूरा इतिहास जिला परिषदों का सामने आ गया। मैं उनके दृष्टिकोण को तो सही मानता नहीं क्योंकि हर एक आदमी का अलग अलग सोचने का तरीका होता है लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि सन् १९४८ के बाद जिन परिस्थितियों के अन्दर सरकार चल रही है उसमें हमारे देश का बिलकुल कायापलट हुआ और प्रजातांत्रिक शासन हमारे यहां चालू हुआ, हमने शासन के विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाया। मैं इस बात

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

को नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जो शासन दिल्ली से चलता था उसको यदि गांवों से लेकर दिल्ली तक चलाना चाहते हैं तो यह स्वाभाविक है कि उसकी रूपरेखा निश्चित करने में काफी समय लगेगा, काफी उसके लिए चिन्तन करना पड़ेगा और काफी सोचना पड़ेगा। आज गांव सभा से लेकर लोक सभा तक, पहले गांव सभा है, क्षेत्र समिति है, जिला परिषदें हैं और फिर विधान सभायें हैं और लोक सभा है। इस प्रकार जब शासन सूत्र की कड़ी एक दूसरे से जोड़ते हैं तो इसमें कांग्रेस क्या कोई भी सरकार होती, उसको काफी चिन्तन करना पड़ता और सोच समझकर उस चीज को लाना पड़ता।

मैं यह बताना चाहता हूं कि गांव से लेकर के प्रदेश के बीच में जिले की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है। जिले के प्रशासन को यदि हम प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं तो उसमें अवश्य ही समय लगेगा। सन् १९४८ के बोर्ड को कहा जा रहा है वह भी एक मिथ्या दोषारोपण है। सन् १९४८ के बाद कई प्रकार के उलट-फेर इन जिला परिषदों में हुए। आखिर चुनाव का मतलब क्या है? चुनाव का मतलब है कि दूसरे प्रतिनिधि आयें और वह अपनी विचारधाराओं को रखें। तो क्या यह कहा जा सकता है कि जो सन् १९४८ में जिला परिषद् के सदस्य थे वही आज तक चले आ रहे हैं। बार-बार फिर दूसरे सदस्य आयें हैं जो वर्तमान अधिनियम के अन्दर इस समय काम कर रहे हैं। जैसा क्षेत्र समिति अधिनियम पास किया है और उसके अनुसार जो चुनाव होना है उसका बहुत बड़ा अंश पूरा हो चुका है। वर्तमान विधायक, एम० पी० और ब्लाकों के प्रमुख जिला परिषद् के सदस्य नियुक्त हो चुके हैं और उन सदस्यों की अवधि ५ वर्ष की है। अब जो थोड़ा अंश बाकी रह गया है जिसको हमने पिछले दिनों स्वीकार किया है। यह मन्तव्य है कि जो बात बहुमत से स्वीकार होगी वह स्वीकार मानी जायगी। जब ऐसी परिस्थिति है और यह सभा इसको स्वीकार कर चुकी है कि एक सदस्य और क्षेत्र समिति से आयेगा और कुछ उसमें एक्स आफिशियो सदस्य होंगे तो वह जिला परिषद् पूरी मान ली जायगी। जो थोड़ा सा अंश रह गया है उसको पूरा करने के लिये कुछ समय की आवश्यकता होगी। उसी के लिये यह ४ महीने का समय मांगा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो यह ४ महीने का समय मांगा जा रहा है उसके अन्दर इतनी कठिनाई प्रस्तुत करना बड़े आश्चर्य की बात है।

माननीय कल्पनाथसिंह जी और माननीय नरसिंहनारायण जी ने अपने जिले की बातें बतलायीं। उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन उत्तराखण्ड के बारे में कहा गया कि उत्तराखन्ड की स्थिति इस समय कोई पृथक बात नहीं है। उत्तराखण्ड की स्थिति हमारे प्रदेश में एक पृथक स्थिति है। श्रीमन्, आप स्वयं प्रदेश के उस भूभाग से संबंध रखते हैं; आप जानते हैं कि वहां की क्या समस्यायें हैं। जब एक विशेष परिस्थिति है तो उसको लाकर इसमें जोड़ा जा रहा है। कल्पनाथसिंह जी ने गुट मजबूत करने की बात कही कि आपको (कांग्रेस) के आने की आशा नहीं है। मैं समझता हूं सब पार्टी के लोग परिषद् में मौजूद हैं। उसमें पी० एस० पी० और सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी हैं। जो जिस तरह से जिले के एम० एल० एज० हैं वह सब उसके अन्दर हैं। तो इसमें गुट विशेष की बात नहीं आती। जब एक ही पूरी पार्टी नहीं है तो कैसे एक गुट आ सकता है। इसलिये ३१ दिसम्बर तक उसकी अवधि बढ़ाने की बात कही जाती है। इसके सिवाय और चारा नहीं है। जब तक सदन उसकी अवधि नहीं बढ़ायेगा तो काम नहीं चल सकता।

इसी तरह से नियमानुकूल जब यह विधेयक सदन के अन्दर आया है तो ३० जून तक इसका समय बढ़ाने की बात कही गई है। मैं समझता हूं इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। मेरी समझ में जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है वह उपयुक्त नहीं है और उसकी आवश्यकता नहीं है। उस आध्यादेश को कानून की शक्ल देना है इस वजह से ३० जून तक शान्तिपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिये। इस बात की आशा रखनी चाहिये कि इसमें देर नहीं होगी। सरकार नहीं चाहती है कि चुनावों में विलम्ब हो। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, अंतरिम जिला परिषद् संशोधन विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव माननीय कल्पनाथसिंह ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, सरकारी पक्ष की ओर से बराबर कहा गया है कि यह संशोधन विधेयक बहुत ही छोटा-सा है। इसमें कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर हमारे माननीय सदस्य शुक्ल जी ने कहा कि इसमें समय का दुरुपयोग हो रहा है। मैं स्वयं देख रहा था कि शुक्ल जी ने स्वयं काफी समय लिया। यदि उनके हिसाब से समय की व्यवस्था की जाय तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर तीन दिन का विवाद होना चाहिये। यदि छोटा-सा विधेयक है तो अधिक समय लेने की आप लोगों को क्या आवश्यकता है? सरकारी पक्ष की ओर से क्यों अनावश्यक दलीलें दी जा रही हैं सरकारी पक्ष के सदस्यों द्वारा क्यों १५ मिनट का समय लिया जाता है? मैं भी कहता हूं कि बिलकुल एक लाइन का यह संशोधन विधेयक है लेकिन उसका प्रभाव क्या होगा और क्या हो रहा है, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आप कहते हैं कि विकेन्द्रीकरण के सिलसिले में बहुत सारे अधिकार पंचायत के तीनों स्तरों पर दिये जा रहे हैं। मैं तो आप से नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में बदकिस्मती से और आपकी पार्टी की सरकार की कृपा से या कुचक्र से यहां विकेन्द्रीकरण नहीं हो रहा है बल्कि हर स्तर पर सरकारीकरण हो रहा है इस सरकारीकरण की मनोवृत्ति के कारण विकेन्द्रीकरण का जो पवित्र उद्देश्य है वह चौपट हो रहा है। जिला परिषद् का जो अधिनियम स्वीकृत हुआ है उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें एक-एक नियम, उपनियम से सरकारीकरण की गन्ध आती है। अन्तरिम जिला परिषद् संशोधन विधेयक जो आज प्रस्तुत है उसमें आप परिषदों का कार्यक्रम ३० जून तक बढ़ाने की बात कह रहे हैं। यह तो बिलकुल वही शतप्रतिशत सरकारीकरण का एक नमूना है। आज आपकी जिला परिषदों का नियोजन के काम पर, उसमें खर्च होने वाले धन पर कोई नियन्त्रण नहीं है। आज सारे विकास की कारगुजारी जी० ओ० के अनुसार संचालित होती है। आज जी० ओ० राज इस प्रदेश में कायम है। जहां तक पंचायतों और खंड विकास समितियों और जिला परिषदों के कार्यों का सम्बन्ध है, हर कार्य के लिये जी० ओ० निकलता है और उसके आधार पर सारी कार्यवाही इस प्रदेश में चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को यहां लाकर आप जी० ओ० राज इस प्रदेश में ६ महीने के लिये और बढ़ाना चाहते हैं। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जी० ओ० राज को तत्काल आप समाप्त करें।

अधिष्ठाता महोदय, कहा गया कि जून तक चुनाव हो जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पिछले दिसम्बर में इस आदरणीय सदन की बैठक हो रही थी, उस समय यह विधेयक क्यों नहीं ले आया गया। यदि आप ईमानदारी से चाहते तो यह संशोधन उस समय पेश किया जा सकता था और आपकी कथनी और करनी में भेद न होता और अब तक चुनाव हो गये होते। आखिर जिला परिषद् अधिनियम में आपने संशोधन किया, प्रत्यक्ष चुनाव को आपने हटाया। वह अधिनियम स्वीकृत हुआ। मैं जहां तक समझता हूं, उस पर महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी है। उस समय संशोधन करने से आप जानवरी में या ज्यादा से ज्यादा १५ फरवरी तक चुनाव करा लिये होते और फरवरी से जिला परिषदों का विधिवत् गठन हो जाता। अतः मैं कहना चाहता हूं कि आपकी मंशा साफ नहीं है। आप इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। आप तत्पर नहीं हैं। आप चाहते हैं कि दुविधा की स्थिति इस प्रदेश में जारी रहे। आप चाहते हैं कि आपका बृहदकार मन्त्रिमंडल कायम रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें अधिकांश मन्त्री शायद ८० फीसदी तो अवश्य ही ऐसे हैं जो सचिवालय आदेशपत्रों पर टीप लगाते हैं, केवल अंगूठा लगाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आज यह सरकार आई० ए० एस० अफसरों के हाथ का खिलौना बनी

[श्री मैनेजर सिंह]

हुई है। यह महिला मन्त्रालय जिसके द्वारा यह विधेयक लाया गया है, उसका प्रतिनिधित्व सभा-सचिव महोदय करते हैं और वे ही इसको कदाचित संचालित भी करते हैं। आपके मन्त्रालय की भी अजीबो-गरीब स्थिति है। सभासचिव होते हुये भी, मैं यह समझता हूं कि आप ही उसके कर्त्ता-धर्ता हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इस जी० ओ० राज्य को तत्काल समाप्त करिये। मेरा यही कहना है कि इसको संयुक्त प्रवर समिति में जाना चाहिये जो कि एक सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे। संयुक्त प्रवर समिति में इस की अवधि जो आप चाहते हैं वही ३० जून, १९६३ रखी जाय, वही रख दी जाय अथवा ३१ मार्च ही रखी जाय। इसका विधिवत् निर्धारण वहां पर हो जायगा। आपने कहा कि इमरजेंसी की स्थिति के कारण ही इस ओर ध्यान नहीं गया। उसका बहाना आप उत्तराखंड में जहां कि आप चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, कर रहे हैं। मेरी तो इस सरकार से खास शिकायत है और मेरा यह निश्चत मत है कि यह सरकार आज इमरजेंसी का अहसास नहीं कर रही है। वह अपने कार्यकलापों को छिपाने के लिये केवल इमरजेंसी का बहाना करती है। सरकार सच्चाई के साथ अनुभव नहीं कर रही है।

एक बात उधर से कही गई कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हम चाहते हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जनता को अधिकार देने की बात आती है तो आप विकेन्द्रीकरण को भूल जाते हैं। इसी विकेन्द्रीकरण को वहां उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिये, परन्तु आप अपने स्वार्थवश ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप सब्ज बाग जनता को दिखलाते हैं, प्रदेश की पंचायत संस्थाओं से आप वादे करते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि आप उनका उपयोग उत्तराखंड में क्यों नहीं करते हैं और उसको आप क्यों भूल जाना चाहते हैं। वहां वालों को भी कुछ अपने अधिकारों का सदुपयोग करने दीजिये। परन्तु आप तो केवल इमरजेंसी ही के भुलावे में जनता को रख रहे हैं और कोई ठोस कार्य नहीं कर रहे हैं। आप लोग अपने प्रधान मन्त्री के राग में राग ही अलाप रहे हैं। यह कहा जाता है कि फ्रंट, फील्ड और फैक्टरी में ही हमारी लड़ाई होगी। जो फील्ड की लड़ाई है आप उसको भी युद्ध की संज्ञा देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जनता जुट जाय। क्या आप यह चाहते हैं कि फ्रंट की लड़ाई में उत्तराखंड की जनता पीछे रहे और वह चुपचाप बैठी रहे। यदि आपके इस नारे में जरा भी सच्चाई है, तो वहां भी समान रूप से एक ही अवधि में, चुनाव कराने चाहिये और विधिवत जिला परिषदों का वहां भी गठन होना चाहिये। आप इमरजेंसी के नाम पर और दूसरे कार्य करते है क्यों कि वह आपके लिये नहीं हैं, आपके मन्त्रिमंडल के लिये वह नहीं हैं। माननीय जेल मन्त्री जी मौजूद हैं। वह भी आजकल बड़ी वकालत इस सरकार की करते हैं और इस वृहदाकार मन्त्रिमंडल की करते हैं। जब मैं कांग्रेस में था, उस समय मैं भी आपके सम्पर्क में रह चुका हूं। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि यह गुटबन्दी की पुरानी बीमारी इस कांग्रेस की है। मैं आपके द्वारा माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल यह बीमारी भयंकर रूप में है। आप यह एकता का नारा केवल दिखावे के लिये ही लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

सत्यता जरूर है। पांडेय जी उस वक्त कांग्रेस में नहीं थे। वह पढ़ते होंगे स्कूल, कालिज में। आज हालत क्या है मन्त्रिपरिषद की? मैंने कल एक कार्य के सिलसिले में जानना चाहा कि गवर्नमेंट प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी, किस मन्त्री के इन्तजाम में है। पहले तो मैं समझा कि हमारे बुजुर्ग ठाकुर हुकुमसिंह साहब उद्योग मंत्री थे तो उनके पास ही था, अतः मैं ठाकुर फूलसिंह के यहां गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है। एक मंत्री ने कहा कि यह नियोजन मन्त्री के हाथ में है। वहां मालूम हुआ कि वहां भी नहीं है। मैंने आधे घंटे पता लगाया तो मालूम हुआ कि जो "अतिरिक्त मुख्य मन्त्री" हैं मार्शल माननीय बनारसीदास जी उनके पास है, वैसे वे हैं सूचना मन्त्री।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमारे पास आते तो जल्दी इत्तला दे देता।

श्री अधिष्ठाता--

आपको समय का ध्यान रहे।

श्री मैनेजरसिंह--

विभागों के बटवारे का यह नक्शा है। मालूम नहीं, कौन विभाग किसके पास है। सूचना मन्त्री से चुर्क फैक्ट्री और प्रिसिशन इंस्ट्रमेंट फैक्टरी से क्या सम्बन्ध है। यह सब कांट-छांट कर लगाया गया है। जेल मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप त्याग-पत्र दीजिये। व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूं, आप क्यों पड़े हैं इस मन्त्रिपरिषद् में? आपकी कोई पूछ नहीं है। आपकी काबलियत का कोई उपयोग नहीं है, आप प्रचार कीजिये कांग्रेस का। एक नमूना पेश कीजिये, वैसा नहीं जैसा हमारे विचित्र भाई ने किया। उन्होंने इस्तीफा दिया, सारे अखबारों में निकला, बधाई के तार आ गये और अभी मन्त्री बने हुये हैं, और बने रहेंगे, ऐसा मालूम होता है। वृहताकार मन्त्रिपरिषद् की वकालत छोड़ कर त्यागपत्र दें और निकल जायं। उचित बटवारा न होने से दैनिक कार्य में अस्त-व्यस्तता हो रही है। आप इमरजेंसी की बात करते हैं और उस समय विभागों का उचित बटवारा नहीं होगा तो प्रशासन बिगड़ेगा और पग-पग पर कार्यों में कठिनाई आयेगी और सुरक्षा के कार्य को धक्का लगेगा।

यह आर्डिनेंस अनावश्यक था। इसको उस जनवाद को दिखाने के लिये लाये हैं जिसकी दुहाई चन्द्रजीत जी ने की। यह चुनाव टालने का तरीका है। चन्द्रजीत जी यादव ने २० बार जनवाद-जनवाद कहा। उनका जनवाद वही डिक्टेटरशिप वाला है जिसमें डंडे से सारा कार्य होता है। इस इमरजेंसी के नाम पर कांग्रेस और कम्यूनिस्टों का गठबन्धन हो गया है और लोगों को शक हो गया है कि जेल मन्त्री जी भी 'फेलो ट्रैवलर' वाले हो गये हैं। लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि वे उधर जायेंगे। आपके ऐसे वक्तव्य निकले हैं कि लोगों को कुछ भ्रम होने लगा है। फिर भी मैं कह सकता हूं कि वे एक पथ के पथिक नहीं हो सकते। जनवाद का नाम लेकर, विकेन्द्रीकरण का नाम लेकर, प्रजातंत्र का नाम लेकर अध्यादेश जारी किये जाते हैं। इससे जनता का विश्वास प्रजातंत्र से डिगता जा रहा है। जनता को यह दिखाया जाता है कि सरकार के पास ऐसा अस्त्र है कि वह बिना सदन की स्वीकृति के ही कोई कानून बना सकती है। इससे अधिनायकवाद की मनोवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। हमारे संविधान में जो पवित्र अधिकार राज्यपाल का विशेष परिस्थियों के लिये है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और आप प्रजातंत्र से जनता का विश्वास हटा रहे हैं। अगर आप आर्डिनेंस लागू करते तो चोरी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध करते।

हमारे मित्र शुक्ला जी देवरिया जायं तो उनको मालूम पड़े कि वहां की क्या स्थिति है। माननीय राजस्व मंत्री जी से वहां की स्थिति के बारे में पूछ लें और भारतीयजी अपनी छाती पर हाथ रख कर जो स्थिति वहां की बतायें उसको मान लें।

अभी माननीय बसंतलाल जी ने जो तीन दरबारी सदस्यों में से एक हैं, कहा कि नार्मल ट्रेनिंग के लिये हाई स्कूल पास इसलिये कर दिया कि शिक्षा का स्तर बढ़े। मैंने भी इसका समर्थन किया था और चाहता था कि शिक्षा का स्तर बढ़े। वह तभी बढ़ सकता है जब कि अध्यापक योग्य हों। जब आप ने यह नियम बनाया कि अध्यापिकी के लिये सेकेंड डिवीजन हाई स्कूल होना आवश्यक है तो मैंने आचार्यजी और श्री केशभानराय जी को धन्य-वाद दिया। लेकिन उन्होंने खुद ही इस नियम का उल्लंघन किया है और सरकार ने नार्मल ट्रेनिंग के लिये हाईस्कूल फेल को मौका दिया है, ८ पास को दिया है। यह दुमुंही बात क्यों हो रही है? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आप की कथनी और करनी में भेद है।

हर विभाग में घूसखोरी हो रही है। माननीय साथी नरसिंहनारायण जी के नाम से गोरखपुर से एक पत्र आया है। श्री केदारनाथ ने लिखा है कि मैं राजनीतिक पीड़ित हूं।

[श्री मैनेजरसिंह]
तेल के लाइसेंस के लिये गोरखपुर में दरख्वास्त दी है वे राजनीतिक पीड़ित हैं और उन्होंने बड़े कष्ट के साथ लिखा है कि 'मुझसे कहा जा रहा है कि ७०–७५ रुपये सुरक्षा कोष के लिये चन्दा दूं, तब तेल का लाइसेंस मिलेगा। मैं समझता हूं जिस राज्य क अधिकारी इस तरह का आचरण करते हों, वे ऐसा करके सुरक्षा के कार्य को धक्का ही पहुंचा रहे ह ।

श्री अधिष्ठाता—
यह विषयान्तर हो रहा है, आप इस बिल की परिधि के अन्दर ही बोलें।

श्री कल्पनाथसिंह—
सुरक्षा का जो ढंग है उसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह—
एक बात मैं विशेषकर सरकारी पक्ष से कहना चाहता हूं कि इस बात पर गौर करें कि ३० जून, १९६३ तक जो ६ महीने का समय आप बढ़ा रहे हैं इससे आप का घरेलू द्वन्द्व भी उभड़ रहा है। मैं तो आप की पार्टी के हित के लिये ही कहता हूं कि आप अविलम्ब चुनाव करावें। हमारे जिला बलिया में सरकारी पार्टी के ही अध्यक्ष डाक्टर रामदहिनराय जी हैं। आप के यहां दलबन्दी है। एक तो वित्त मंत्री जी की पार्टी है और दूसरी गुप्ता जी की पार्टी है। इसके अलावा कुछ लोग बीचबिचवा हैं जो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। हमारे जिले के ही एक माननीय सदस्य जो पहले गुप्ता पार्टी में थे अब आज कल वित्त मंत्री जी की पार्टी के साथ मिले हुए हैं और वहां गठबंधन किया जा रहा है कि बलिया अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष को इसी बीच में हटाया जाय, जब कि आप का जी० ओ० है कि जुलाई, १९६३ तक कोई न हटाया जाय। आप की पार्टी के लोग ही उस अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिये हस्ताक्षर कराते फिरते हैं और आज की संकटकालीन स्थिति में बलिया का आपकी पार्टी का कोई राजनीतिक कार्यकर्ता सुरक्षा कोष के लिये चन्दा तक वसूल करने का प्रयास नहीं कर रहा है। आप से मेरी प्रार्थना है कि आप जांच करा लें कि सुरक्षा के कार्य को छोड़ कर सब लोग येनकेन प्रकारेण मिल जुल कर किसी न किसी तरह से अध्यक्ष को हटाने की ही कोशिश कर रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि जितनी जल्दी आप चुनाव करा लें उतना ही अच्छा होगा। जो भी आयेगा वह नये चुनाव से होगा। इसमें देर करने से जैसा कि मैंने पहले कहा आपकी घरेलू-दलबन्दी ही उभड़ेगी और कोई काम नहीं चलेगा। इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इसको प्रवर समिति में जाने दें ताकि वहां इसमें सुधार किया जाय और जल्द से जल्द चुनाव की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं श्री कल्पनाथसिंह के द्वारा इस विधेयक के संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—
श्री जगन्नाथ राव जी, मैं आप को ५ मिनट दे रहा हूं।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—
बहुत अच्छा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—
श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने कल शाम को अमेंडमेंट दिया और वह छपा नहीं है तो वह लिया जायगा या नहीं? क्योंकि नियम के मुताबिक कम से कम दो दिन बहस होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—
आप अपना स्थान ग्रहण करें, मैं अभी मालूम करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि किसी विधेयक पर अपनी नियमावली के अनुसार कोई समय की सीमा नहीं बांधी जा सकती जब तक कि इस विषय में सदन कोई प्रस्ताव न कर ले। आपने माननीय सदस्य को कहा कि केवल ५ मिनट ही आप को दूंगा, तो क्या यह सदन नियम के अनुकूल है ?

श्री अधिष्ठाता--

इसके लिये बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय साढ़े ४ बजे तक पास करने का है, हाउस म समय की व्यवस्था को ठीक करने के लिये ही यह समय निश्चित किया गया है। अब हर सदस्य के लिये समय निर्धारित करने का मुझे अधिकार है ताकि एक मिनट भी सदन का समय अधिक न लगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

यह ५ बजे तक है।

श्री अधिष्ठाता--

अभी इस पर ४ भाषण होने हैं, जिन्होंने इसको मूव किया है श्री कल्पनार्थसिंह को बोलना है, श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी को बोलना है और मंत्री जी को भी बोलना है, और इसके बाद वोटिंग भी होना है और क्लाजवाइज बहस होना है, इसलिये मैंने समय ५ मिनट का उनको दिया है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, हम रिपब्लिकन्स की बड़ी अवहेलना होती है, उन्हें अवसर ही नहीं दिया जाता। डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा था .....

श्री अधिष्ठाता--

आपको मुझ से शिकायत नहीं होना चाहिये, मैं तो जब यहां बैठता हूं आपको जरूरत से ज्यादा समय देता हूं।

श्री जगन्नाथ राव--

अधिष्ठाता महोदय, असाध्य रोग से जर्जरित अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक पर मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। यह विधेयक सन् १९४७ से यहां लागू है और जैसा कि पूर्ववक्ताओं ने बताया, इस बिल पर बीच में कई बार संशोधन आ चुका है और सरकार ने बराबर आश्वासन दिया है कि चुनाव इस समय तक हो जायगा। इसको ३०-६-१९६३ तक चलने की बात कही गई है, लेकिन हमें सन्देह है कि आगे चल कर वह यह कहने लगेंगे कि अब गर्मी खत्म हो रही है और बरसात में ऐसा काम होगा, इस वास्ते ३० जून के बाद भी आप उनका पुनर्गठन न कर सकेंगे।

मैं दो शब्द इन परिषदों के कार्यों के विषय में भी निवेदन करूंगा, जिस तरह से यह परिषदें चल रही हैं वे भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गयी हैं। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि हर जिले में ही शायद यह समस्या है कि ट्रेण्ड अध्यापकों की जगह पर अनट्रेण्ड रखे जाते हैं, वे चुनाव के पहले रखे गये और उनका उपयोग चुनाव में किया गया। जब दूसरी बार फिर समय आया तो फिर अनट्रेण्ड को रखा गया। अपनी पार्टी को सुदृढ़ बनाने का उनका यह एक पग है, यही मेरा विचार है। दूसरे जितने भी उनके नार्मल स्कूल हैं सारे प्रदेश में ही शायद यह स्थिति होगी कि जब भी इन टीचर्स की भर्ती के आवेदन-पत्र लिये जाते हैं तो उनसे यह भी पूछा जाता है कि आप किस कास्टीटुएंसी के हैं। इस तरह से कांस्टीटुएंसी का नाम लेकर उनको चुना जाता है। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि सेकेन्ड क्लास हाईस्कूल टीचर रखे जायंगे, ताकि पढ़ाने की सुविधा रहे। अब अधिकतर ८ वीं कक्षा पास और दसवीं कक्षा फेल रखे गये हैं। कहीं पर दसवीं कक्षा पास हों तो हों। जिन दसवीं पास लोगों के आवेदन-पत्र थे उन पर विचार नहीं किया गया। ये लोग उन्हीं कांस्टीटुएंसी के लोग हैं जिनसे विरोधी जीत कर आये हैं।

[श्री जगन्नाथ राव]

तीसरे मैं यह निवेदन करूंगा कि हर जिले में इन अध्यापकों के ट्रान्सफर के बारे में भी घपला होता है, वहां पर गुटबन्दी का वातावरण खड़ा किया जाता है, हमारे यहां एक अध्यापक हैं कि जो उत्तरी क्षेत्र के हैं। जौनपुर नगर से २० मील उत्तर के जो अध्यापक हैं उनको २० मील दक्षिण की तरफ़ भेज दिया जाता है, यानी अपने घर से उनको ४० मील दूर रखा जाता है। आप सोच लें कि छोटी तनख्वाह पाने वाला आदमी कैसे इतनी दूर घर से रह सकता है और यह इसलिये किया जाता है कि उन्होंने चुनावों में सत्तारूढ़ दल का साथ नहीं दिया। शनिवार के दिन वह अपने घर के लिये चलते हैं तो सोमवार और मंगल को लौट कर आते हैं। इस तरह से अध्यापकों को प्रतिशोधात्मक भावना से काले पानी भेजा जाता है।

इसी तरह से प्राइमरी पाठशालाओं की दुर्दशा करायी जा रही है। उनकी इमारतें ऐसी हैं कि बरसात के दिनों में लड़कों को घर भगा दिया जाता है। ऐसी इमारतों के बनाने के लिये जहां लड़के पढ़ते ही नहीं वहां, पैसा दिया जाता है और जहां लड़के पढ़ते हैं वहां पैसा दिया नहीं जाता। नतीजा यह होता है कि पाठशालाएं ध्वस्त होती जाती हैं।

इससे भी भयंकर स्थिति सड़कों की और पुलियों की हैं, खर्च तो बहुत किया जाता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता। बरसात में वे सड़कें नाले के रूप में दिखाई पड़ती हैं। ८–१० मील का रास्ता पैदल भी पूरे दिन में पूरा नहीं हो पाता। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की हालत तो छोड़ दीजिये। साधारण सड़कों की भी कभी मरम्मत नहीं हो पाती। ऐसे ठेकेदारों को टेंडर दिये जाते हैं जो कुछ काम नहीं करते और पैसा खा जाते हैं। एक सड़क का निर्माण १ लाख रुपये का श्रमदान करके किया गया। उस पर कंकड़ डालने के टेंडर जिला परिषद् ने मांगे। जो टेंडर देता है वह इस प्रकार से भयभीत है कि ३०, ४० परसेंट उस को पहले दे देना पड़ेगा तब उसको रुपया मिलेगा। पुलियां बनती हैं दूसरे साल टूट जाती हैं। यह अंतरिम जिला परिषद् के कार्यों की दुर्दशा है। जिस काम में परिषद् हाथ लगाती है उसको चौपट कर देती है। एक सड़क की बात बताऊं, सड़क में लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई होती है, लेकिन गहराई नहीं सुनी होगी। हमारे यहां एक सड़क है जिसका ५३,००० रु० पर ठेका दिया गया और काम क्या हुआ? ६ फर्लांग सड़क बनी, २ फ़र्लांग छोड़ दी गई। कई बार प्लानिंग अफ़सर को बताया गया, परिषद् से कहा गया कि सड़क कम से कम ऐसी बनायी जाय कि सदर स्थान तक जुड़ जाय, लेकिन एक मील में आधा मील बन गई और आधा मील अधूरी रह जाती है। ब्लाक के केन्द्र तक पक्की सड़कें नहीं हैं। यह सब काम परिषद् में गुटबन्दी के आधार पर होते हैं, जिसके कारण कोई काम सुचारुरूप से नहीं हो पाता है। और आज कल तो इमरजेंसी का बहाना मिल गया है।

सूचना मंत्री (श्री बनारसीदास)—

आप का सुझाव क्या है, जिला परिषद् तोड़ दी जाय?

श्री जगन्नाथ राव—

इन सड़ी गली परिषदों को जल्द से जल्द खत्म कीजिये। मैं यह निवेदन कर दूं कि जून की बात जो आप कह रहे हैं वह भी आप नहीं कर पायेंगे। तब कहेंगे कि अब तो बरसात के दिन हैं, इनमें कैसे जिला परिषदों का निर्माण होगा। प्रत्यक्ष चुनाव कराने से आप भागते हैं। अगर आप ग्राम राज्य चाहते हैं तो उसके लिये यह जरूरी है कि क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों में डायरेक्ट चुनाव करायें। वह तो आप करना चाहते नहीं और सलाह भी मांग रहे हैं। अगर मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें तो बजाय अप्रत्यक्ष चुनाव के प्रत्यक्ष चुनाव करावें और शीघ्र से शीघ्र इनका गठन करें, ताकि कम से कम अध्यापकों का कालापानी तो रुके।

इन शब्दों के साथ जो इसमें संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन और इसे प्रवर समिति में भेजने का जो संशोधन है उसका विरोध करता हूं। संशोधन विधेयक तो इतना स्पष्ट है कि इस पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी से स्पष्ट हो जायगा कि क्या कारण है संशोधन लाने का। अवधि बढ़ाने की बात है। इसमें दो कारण हैं। एक तो उत्तरा खंड में परिषदों की स्थापना की बात है और दूसरे ३१ दिसम्बर, १९६२ तक चुनाव कराने की जो बात थी उसकी असमर्थता के सम्बन्ध में कहा गया है कि इसमें जो बालिग मताधिकार के सम्बन्ध में संशोधन हुआ और कुछ सुझाव आये जिनका समावेश किया गया, इन तमाम बातों के कारण ३१ दिसम्बर तक की बात कार्य रूप में परिणत नहीं की जा सकी और अब ३० जून तक करने की बात है। लेकिन मैं यह निवेदन कर दूं कि अब जिला परिषद् का रूप एक सुसंगठित रूप है और उसका लगभग पुनर्गठन हो चुका है। अब उसमें कोई विशेष नयी बात नहीं आने वाली है। इसलिये अगर दो, चार महीने बाद चुनाव कराने की बात है तो तब कोई नयी बात नहीं हो जायगी जो अब न कराने में बढ़ा घाटा ही हो जायगा। तो जब उसका स्वरूप निश्चित हो चुका है तो प्रवर समिति में भेजने का कोई औचित्य नहीं दिखायी देता।

कुछ माननीय सदस्यों ने बालिग मताधिकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में कुछ बातें कहीं। आप जानते हैं कि गांव पंचायत समिति आदि में प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि हर एक में प्रत्यक्ष चुनाव ही हो और तमाम पैसा खर्च किया जाय और इसको आप भी उचित नहीं समझेंगे। श्रीमन, मैं उत्तराखंड के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। जाहिर है कि चीनी आक्रमण के भय से जितना उत्तराखंड प्रभावित है उतना अन्य प्रदेश प्रभावित नहीं है। इमर्जेन्सी का रूप मैंने जिस समय महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर विवाद हुआ था, उस समय बताया था कि इस अवधि में किसी भी डिग्री में हमारे राष्ट्रपति के हाथ में शासन आ सकता है और जितनी आवश्यकता होगी उतनी डिग्री तक हमारे शासन व्यवस्था का अधिकार उनके पास रहेगा। फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर दिये जायेंगे। फेडरल शासन यूनिटरी हो जायगा। इसलिये जो इस समय इमर्जेन्सी है उसमें दखलन्दाजी न करें तो अच्छा है। यदि सुरक्षा को ठीक रखें तो अच्छा है। जो हमारा संशोधन विधेयक है वह उचित है और जो बातें इस संशोधन विधेयक के बारे में कही गई हैं वे औचित्य नहीं रखतीं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्यामलाल जी, आप केवल ५ मिनट बोलें।

श्री श्यामलाल--

श्रीमन, हमें १५ मिनट दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता--

मजबूरी है, समय नहीं है।

श्री श्यामलाल--

श्रीमन, हम अकेले अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें बोलने का समय दिया और उम्मीद करूंगा कि आयन्दा हमें पूरा न्याय मिलेगा। भारतवर्ष गांवों का देश कहलाता है। इसको भूलना नहीं चाहिये और गांवों की इकाई व्यक्ति है। पहले व्यक्ति है फिर परिवार है, फिर गांव है, फिर तहसील, फिर म्युनिसिपैलिटी, फिर अन्तरिम जिला परिषद, फिर विधान सभा, लोक सभा और पार्लियामेंट आती है।

श्रीमन, हमारे विधान के अन्दर एडल्ट फ्रेन्चाइज के अधिकार मिले हुये हैं। मैं एक दृष्टान्त उपस्थित करना चाहता हूं। कबीरदास जी ने कहा कि "बोये पेड़ बबूल के आम कहां से खाये"। एक बिल्डिंग है श्रीमन, जिसका आधार तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप है और ऊपर से डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र की कलई दिखाई जाय तो श्रीमन, जब जड़ तानाशाही की होगी

[श्री श्यामलाल]
तो कलई कैसे डैमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र की होगी । दुनिया में दो रायें हैं । डैमोक्रेसी (प्रजातंत्र) और डिक्टेटरशिप (तानाशाही)। अमेरिका, इंगलैंड, फ्रांस और स्विटजरलैंड आदि देशों में डैमोक्रेसी है और रूस, चीन वगैरह में डिक्टेटरशिप है । भारतवर्ष में इन दोनों का संमिश्रण है ।

श्री अधिष्ठाता---

आप इंटिलेक्चुअल बात पर न जाकर विषय पर आ जायं तो अच्छा है ।

श्री श्यामलाल---

श्रीमन, यही तो हमारी भूमिका है । भारतवर्ष को डेमोक्रेटिक समझूं या डिक्टेटर समझूं । मैं कहता हूं कि इसकी आत्मा तानाशाही की है और यह चोगा पहने है प्रजातंत्र वाद का । हम सिद्ध करना चाहते हैं ? जब विधान सभा या लोक सभा का चुनाव होता है तो जिला परिषद् और म्युनिसिपैलिटी वोट नहीं देते हैं बल्कि इंडिविजुअल वोट देता है । यह कांग्रेसी संस्था जिला परिषद् के चुनाव न कराकर इंडिविजअल्स को कांग्रेस कलर में बदल देना चाहती है । श्रीमान, हम आपके सामने यह जीता जागता उदाहरण रखना चाहते हैं । अध्यापकों की जो नियुक्ति जिलों में अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा हो रही है उसमें भ्रष्टाचार ही विद्यमान है । बस्ती जिले की हालत मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ऐसे ही अध्यापकों की नियुक्ति अन्तरिम जिला परिषद् के चैयरमैन कर रहे हैं, उसके बड़े बाबू ऐसे ही अध्यापकों की नियुक्ति कर रहे हैं जो कांग्रेसी हैं इतना काफी नहीं है इसके अलावा २, ३ महीने की तनख्वाह बाबू जी को दें । ऐसे अध्यापकों की ही नियुक्त हो रही है । मैंने जितने अध्यापकों की सिफारिश की उनमें से केवल २५ फीसदी भी नियुक्त नहीं हो पाये । तो हम यह कहना चाहते हैं कि आज जो रवइया कांग्रेस ने अख्तियार किया है वह न्याय पर आधारित नहीं है .....

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---

मैं इस बात की सिफारिश करता हूं कि ऐसे फरिश्तों को अन्तरिम जिला परिषद् के अन्दर रख दिया जाय ।

श्री श्यामलाल---

हम यह कहना चाहते हैं कि चुनाव होना चाहिये । यह डिक्टेटरशिप का एक सबूत है गत १३, १४ वर्ष से ये चुनाव नहीं हो पाये हैं । जितने जिले हैं उनमें करीब करीब एक्सेप्शनल केसेज में ही अपोजीशन पार्टी का कोई अध्यक्ष होगा । हम समझते हैं कि पूरी यू० पी० में १,२ जगह ही अपोजीशन पार्टी का अध्यक्ष है । वही अध्यक्ष चलते आ रहे हैं । चुनाव होना जरूरी है । यह डिक्टेटरशिप का जीता जागता नमूना है । हमारे देश ने प्रजातन्त्र की प्रणाली को माना है और हमारे संविधान में भी वही बतलाया गया है । हमारा यह निवेदन है कि यह सरकार अपनी इस प्रणाली को बदले और अपने रुख को बदले, जिला परिषद् के चुनाव हों और नये अध्यक्ष आयें ।

एक बात कहना चाहता हूं कि हम विरोधी दल के एम०एल०ए० जब अन्तरिम जिला परिषद् की मीटिंग में जाते हैं तो उनकी वकत नहीं होती । हम लोगों की सुनवाई नहीं होती क्योंकि वे समझते हैं कि मिनिस्टर उनके हैं और सरकार उनकी है । हमारी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज की तरह से हुआ करती है । हमारे अपोजीशन की आदरपूर्वक सिफारिश की भी पूछ नहीं होती । हम भी माननीय सदस्य हैं और जनता ने हमको चुना है । हमारी भी कुछ जिम्मेदारी हैं और हमारे भी कुछ अधिकार हैं लेकिन जितने उसके चैयरमैन हैं और जितने उसके अध्यक्ष हैं वह जानते हुये भी कोई सुनवाई नहीं करते । एक बात और बतलाना चाहता हूं कि सरकार के जितने चेयरमैन हैं वे हृदय से भले ही बुरे हों लेकिन अगर कांग्रेस मिनिस्ट्री की दलाली करते हैं तो वह सब से अच्छे हैं । करप्शन में भी अगर पकड़ गये लेकिन अगर उनके पास चाटुकारिता है, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, चापलूसी करते हैं तो वे अच्छे हैं, क्योंकि कांग्रेसपार्टी के दृष्टिकोण से यदि वह चाटुकारिता नहीं करता है तो बुरा है । यहां जितना शासन है, जितना

स्टाफ है वह उसी करप्शन पर आधारित है । आपके जो अफसर आपकी चाटुकारिता करते हैं वे भले हैं, आपके दृष्टिकोण से अच्छे हैं और जो चाटुकारिता और आपकी दलाली नहीं करते, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, भले ही वे अच्छे हों, आपके दृष्टिकोण से बुरे हैं और कोई न कोई आरोप लगा कर उन अफसरों को निकाल दिया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता---

आप रिपीटीशन बहुत कर रहे हैं और कोई नयी बात नहीं कहते । आपका समय भी समाप्त हो गया है इसलिये मैं आपको और अधिक समय नहीं देता।

(श्री बंशीधर पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कमलासिंह यादव---

मान्यवर, मैंने प्रवर समिति में भेजने के लिये अमेंडमेंट दिया था और उसमें एक मेरा कट-मोशन भी है, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला । जिन सदस्यों ने कोई संशोधन नहीं दिया था उन तक को बोलने का अवसर मिला है, लेकिन मुझे समय नहीं मिला तो. . . .

श्री अधिष्ठाता---

आपको समय दिया जायगा । लेकिन ज्यादा समय नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिये ।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, मैं सोचता था कि एक छोटा सा विधेयक है और इस पर ज्यादा समय नहीं लिया जायगा क्योंकि जब अभी जिला परिषद् विधेयक पेश किया गया था उस समय तीन दिन तक इसी प्रकार की तमाम बातें माननीय सदस्यों ने सदन के समक्ष कहीं थीं । एक ओर जब १९५८ में जिला बोर्डों को आर्डिनेन्स द्वारा समाप्त कर के अन्तरिम जिला परिषदों की स्थापना अध्यादेश द्वारा की गयी थी और जिलाधीशों को चेयरमैन बनाया गया था तो यह आवाज आयी कि सरकारी अधिकारी को अध्यक्ष बना दिया गया । उस व्यवस्था को समाप्त करके अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम द्वारा जब अन्तरिम जिला परिषदों की स्थापना की गयी और जब चेयरमैन आये तो एक दूसरी आवाज आयी कि यह तो सरकारी अधिकारियों का दल है और वे ही इस परिषद् का संगठन करते हैं । मैं बहुत ही अदब से उधर के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पंचायती राज की व्यवस्था को आप सोचें, समझें । मैं नहीं कहता कि आप नहीं समझते, लेकिन सोचिये कि आखिर यह है क्या । पंचायती राज इसीलिये आया है कि जो डेमोक्रेटिक प्लानिंग है जिसको वर्टिकल इकानामी कहते हैं उसको स्थापित करने के लिये, शासन को जो केन्द्रित व्यवस्था पर है, उसको जनता की नीचे की इकाई पर ला कर डिसेंट्रलाइज किया जाय । पंचायती राज इस बात की अपेक्षा करता है । यह परम्पराओं का, मान्यताओं का, बन्धुत्व का राज है । कानून और कायदे इसके फ्रेमवर्क हो सकते हैं। पंचायती राज आदेश नहीं करता । वह जनता से इस बात की अपेक्षा करता है कि बहुमत से, अल्पमत से, सर्वसम्मति से, जनता की जो इकाइयां हैं उनके स्तर पर जो निर्णय हों उनके कार्यान्वयन में जनता का पूरा सहयोग होगा । पंचायती राज इस तरह से नहीं आ सकता कि आप पर आरोप लगायें और कहें कि ब्योरेक्रेसी बढ़ रही है । ऐसा करने से तो ब्योरेक्रेसी बढ़ेगी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ह्रास होगा । हमें आपको इस ढंग को सुधारना होगा । आप कहते हैं कि १९४७-४८ के बाद चुनाव नहीं हुये । मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिला बोर्ड का ऐक्ट अंग्रेजों की देन थी । सन् १९२२ के ऐक्ट के अनुसार जिला बोर्डों की रचना हुई थी । फिर अन्तरिम जिला परिषदें आयीं । चन्द्रजीत जी यहाँ नहीं हैं । उन्होंने कहा कि आपने बड़े अधिकार देने की बात कर रखी है । सही बात है । बहुत बड़े अधिकार दिये हैं और उनको पूरा करने की जिम्मेदारी न केवल इधर के सदस्यों की है, बल्कि जैसा मैंने पहले कहा, पंचायती राज में आपसे भी अपेक्षा की जाती है । और आपसे ज्यादा अपेक्षा की जाती है कि उस पंचायती राज के बने हुये ढांचे में अगर कहीं कोई त्रुटि हो, तो उसे दूर करने में सहायक हों । उसमें गलतियाँ होना स्वाभाविक है, वह गलतियाँ और भी बढ़ सकती हैं, लेकिन उन्हें दुरुस्त करना होगा और उसकी

[श्री बंशीधर पांडेय]

जिम्मेदारी हमारी और आपकी, इस लेजिस्लेचर में बैठे हुये सदस्यों की है जो जा कर क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के स्तर पर उसके सदस्य होते हैं और सदस्य ही नहीं होते बल्कि उनकी राय की अपेक्षा की जाती है, देखा जाता है कि वह कैसे बोलते हैं, कैसी मान्यताओं और परम्पराओं को वह सीख कर आते हैं, क्योंकि उन्हीं से इन सब बातों को वहां जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों के जो सदस्य होते हैं वह सीखेंगे । (व्यवधान) बी०डी०ओ० कोई विलायत का तो नहीं है । वह भी तो इसी घर का आदमी है । मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, हमारे और आप में से ही बहुत से सदस्य आते हैं और कहते हैं कि इस बी०डी०ओ० की तरक्की कर दो, इसको सजा कर दो, तो वह भी तो इसी घर का आदमी है, इसी परिवार का ही लड़का है ।

उत्तराखंड में इमर्जेंसी की बात कही गई । जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है सरकार ने बहुत बड़ा प्रयत्न किया कि जल्दी से जल्दी जिला परिषदों के चुनाव हो जायं । हम चाहते थे कि जो अप्रैल का बजट अधिवेशन था, मई के महीने में वह उसी वक्त आ जाय । लेकिन उसे मौका नहीं मिला । फिर ३० जुलाई से जब दूसरी बैठक की शुरुआत हुई, तब हमने प्रयत्न किया, मगर उसमें भी नहीं आया । उसके बाद इमर्जेंसी अधिवेशन हुआ था उसमें आ सका । अभी शायद उस पर गर्वनर महोदय की स्वीकृति भी नहीं मिल पायी है और वह ऐक्ट भी शायद नहीं बन पाया है । तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के सामने क्या चारा था सिवाय इसके कि ३१ दिसम्बर, सन् १९६२को जो उसकी अवधि समाप्त हो रही थी, उसको वह बढ़ाती और सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि जितना समय हम बढ़ाना चाहते हैं उसके बीच में हम जिला परिषदों की रचना कर लें । इस पंचायती राज की रचना अब तक न हो पाने के संबंध में बहुत सी बातें कही गईं लेकिन शायद लोगों ने पंचायत राज नियमों को पढ़ा नहीं । उसके दो स्तर बन चुके । गांव सभायें बन चुकीं, क्षेत्र समितियों की भी रचना जुलाई में हो चुकी । १८ जुलाई से क्षेत्र समिति और जिला परिषद् ऐक्ट इस प्रदेश में लागू हो गया है । अन्तरिम जिला परिषद्, जिला परिषद् ऐक्ट का प्रयोग कर रही हैं । अब केवल जिला परिषद् की रचना बाकी है । जिला परिषदें भी ३० जून के अन्दर ही अन्दर अगर कोई विशेष परिस्थिति न आगयी, इमरजेंन्सी शब्द को मै इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अगर कोई बहुत बड़ी लड़ाई वगैरह नहीं हो गयी या और कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आयी तो उनकी रचना हो जायगी । सरकार चाहती है और उसने एक टेन्टेटिव कार्यक्रम भी बना रखा है जिसके अनुसार जिला परिषदों के चुनाव की तारीखें आप के सामने आयेंगी और उनका चुनाव ३० जून से पहले हो जायगा ।

उत्तराखंड में हमने जिला परिषदों की रचना को भी निलम्बित कर दिया है, वह सीमा सुरक्षा का प्रश्न है और भारत सरकार के विशेष आदेश पर उन तीन जिलों की रचना की गयी है, सुरक्षा की दृष्टि से हमने पहले भी, इस इमरजेंन्सी के पहले भी तय किया था कि यह ऐक्ट इन उत्तराखंड के तीन जिलों में लागू नहीं होगा और हम अभी भी उन तीन जिलों में इस ऐक्ट को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं । लेकिन जैसे हमने ३० जून, सन् १९६३ को प्रदेश के और जिलों की जिला परिषदों के लिये कायम किया है, वैसे ही १९६७ तक उन के लिये भी निर्धारित कर रखा है। उस बीच में यह सदन और यह सरकार वहां पर जिला परिषद् ऐक्ट को लागू कर सकने की स्थिति में हो जायगी तो अवश्य लागू कर देगी ।

जिला परिषदों में भ्रष्टाचार की बात कही गयी । अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर बहुत सी बातें कही गयीं । मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब आप किसी अध्यक्ष को इस प्रकार कहते हैं । आखिर अध्यक्ष कौन है ? वह जनता का ही तो प्रतिनिधि है । आप चाहते हैं कि जिलाधीश अध्यक्ष बना दिये जायं ? जब पिछली बार हमारा जिला परिषद् संशोधन विधेयक पेश था तो कमिश्नर को, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को कुछ अधिकार दिये गये उस समय बहुत से सदस्यों ने कहा कि यह तो सरकारी अधिकारियों को आपने अधिकार दे दिया । लेकिन दूसरी तरफ अगर जिला परिषद् के अध्यक्ष को अधिकार दिया जाता है तो पुनः इसी तरह की बात कही जाती है । तो दोनों तरफ से यह कहा जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से जब आप

विचार करते हैं और सोचते हैं तो जिला परिषदों की रचना में आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिये। जिला परिषदें सही माने में तीसरी, क्षेत्र समितियां चौथी और गांव पंचायतें पांचवी, इस पंचायती राज्य की पांच सरकारों की योजनाओं में से तीसरी, चौथी और पांचवी सरकारें होंगी यही नहीं, क्रमिक विकास से आप देखेंगे कि सरकार जैसे जैसे इसका उत्तरदायित्व बढ़ता जायगा और जिला परिषदें अपने कार्य को करने लगेंगी उनसे क्षेत्र समितियों को अधिकार दिये जायेंगे और उन अधिकारों को हम स्थानान्तरित करते जायेंगे। ब्लाक कमेटीज ऐसी ऐडमिस्ट्रेटिव एजेंसीस होंगी उनके लिये ऐसा समय आयेगा जो बजट वगैरह आयेगा वह सब धीरे धीरे उन क्षेत्रों की उनके द्वारा ही होगी। गांव प्रधान आज हम देखते हैं कि ८, १० सालों के बीच में क्षेत्र समितियां मजबूत हो जायेंगी और जिला स्तर पर फंक्शनल कमेटीज काम करने लगेंगी और जैसे इस सदन में होता है इसी प्रकार वहां भी फंक्शनल कमेटीज जैसे मेडिकल की, एजूकेशन की, सिंचाई की आदि उसी तरह से कार्य करेंगी। यही तो रोज शिकायतें आती हैं कि जिला स्तर पर अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनते। जिलाधीश को छोड़कर, और अधिकारियों को ए और बी कैटेगरी में रखा गया है और डिस्ट्रिक्ट लेविल पर सारे अधिकारियों के लिये यह आदेश हैं कि वे आफिसर्स ऐंड सरवेन्टस आफ दि जिला परिषद् भी होंगें और बी लिस्ट में इस अमेंडिंग बिल में हमने यह अधिकार दे रखे हैं कि समय समय पर जैसे जैसे सरकार उपयुक्त समझेगी सारे अधिकारों को अधिकारियों के हाथों से लेकर जिला परिषदों को स्थांरित करती जायगी। यह हमारा दृष्टिकोण है जिसके अनुसार काम होगा।

तो श्रीमन्, इस बिल को ३० जून, १९६३ तक और उत्तराखंड के इलाकों के लिये ३१ दिसम्बर, १९६७ तक मियाद बढ़ाने के लिये पेश किया गया। मैं पुनः यही निवेदन करूंगा कि यह छोटा सा विधेयक है। मैंने आपसे स्थिति बता दी कि यह बिल जो अमेंडिंग बिल है, अभी ऐक्ट नहीं बन पाया है तो ऐसी स्थिति में हमारा वर्तमान अन्तरिम जिला परिषद् या ३१ दिसम्बर को समाप्त कर दिये जाते और फिर इस बीच में कलेक्टर को बैठाया जाता। वह नहीं किया गया और उनके टाइम को एक्सटेंड किया गया और इस बीच में सरकार वह सारे प्रयास करेगी और यदि कोई विशेष परिस्थिति न आये तो जिन कार्यक्रमों को बना रखा है वह पूरे हो जायेंगे, वह चुनाव हो जायेंगे। प्रवर समिति किस बात पर विचार करेगी केवल मियाद बढ़ाने की बात है। हम यहीं बैठकर विचार कर सकते हैं और जैसा माधो प्रसाद जी त्रिपाठी ने कहा था कि हम यह बात इसलिये लाये हैं कि चूंकि हमको मौका नहीं मिलता है इसलिये मैं इस के द्वारा अपनी सारी बातें कह देना चाहता हूं। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने वह बातें कह दीं। तो जो संशोधन माननीय माधो प्रसाद जी और मैनेजरसिंह जी ने रखा है अब उस की जरूरत नहीं रह गयी है, मैं उसका विरोध करता हूं और फिर प्रस्ताव करता हूं कि मैंने जो इस पर सदन द्वारा विचार करने का प्रस्ताव किया है सदन उसको स्वीकार करेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप भी त्रिपाठी जी, सिर्फ ५ मिनट बोलेंगे।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, वैसे तो मुझे जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि इसलिये कि मुझे अवसर नही मिलता मैं यह प्रस्ताव ले आया हूं। लेकिन मैं प्रवर समिति की बात को इतना बलपूर्वक अभी भी इसीलिये कहता हूं कि मै यह समझता हू कि इनकी नियत अब भी शुद्ध नहीं है। अभी भी उन्होंने अन्त में एक वाक्य का प्रयोग किया कि "यदि विशेष परिस्थिति न हुई तो"; तो विशेष परिस्थिति की बनावट तो इनके हाथ में है। यह बना देंगे। इनकी नीयत का अन्दाजा इसी से लगता है।

दूसरी बात यह है कि इसको सन् १९६७ तक पेश करने की बात है आपका कहना यह है कि उत्तराखंड में इसको रोक दिया जाय, जब कि दूसरा चुनाव आ रहा है। मैं तो यह कहूंगा कि

---

*वक्ता ने भाषण का नवीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

आपकी नियत शुद्ध नहीं है । आप विशेष परिस्थितिवश ही ऐसा कर रहे हैं । आप देखें कि जून में बहुत लू चलेगी और वर्षा का मौसम आ जायगा, उस समय वहां पर वोटिंग कैसे होगी ? आपने न फरवरी रखी, न मार्च रखा, न अप्रैल रखा और खाली जून ही रखा । यह इस बात का द्योतक है कि आपकी नियत साफ नहीं है । इसलिये मान्यवर, मेरी राय यह है कि इसको संयुक्त प्रवर समिति के सुपर्द कर दिया जाय । कौन जाने आपका ही काम हो जाय और वहां से भी १९६७ के लिये रिकमेन्ड हो जाय । इसलिये आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इसको संयुक्त प्रवर समिति को अवश्य भेजें ।

दूसरी बात आपने रिप्रेजेन्टेटिव बाडी की कही । उसमें भी आप देखें कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं । मैं आपसे सहमत नहीं हूं । मेरा आप पर यह खुला आरोप है कि आप बजाय विकेन्द्रीकरण करने के केन्द्रीकरण की नीति में ही अधिक विश्वास करते हैं और राग अवश्य अलापते हैं विकेन्द्रीयकरण की नीति का । अब मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता हूं । अगर आपकी ऐसी भावना है तो पता नहीं वह कहां तक उचित है । परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जो प्रतिनिधि की परिभाषा है वह हम कैसे बदल सकते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचर के वातावरण में वहां पर अनियमिततायें ही फैली हुई हैं । इन परिस्थितियों को देखते हुये यह आवश्यक है कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में अवश्य भेजा जाय । अन्त में फिर मैं यही कहूंगा कि आपकी नीयत साफ नहीं है और कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही और १९६७ में चुनाव होने के कारण ही आपने इस प्रस्ताव को रखा है । मैं बलपूर्वक कहता हूं कि मैं इसको वापस नहीं ले सकता ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय कल्पनाथसिंह जी अपना भाषण संक्षेप में दें ।

*श्री कल्पनाथसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं संक्षेप में ही कहूंगा । मैंने बड़े गौर से माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये भाषण को सुना और मैं ऐसा समझता हूं कि वह शायद यह सोचे कि हम इस संशोधन को वापस ले लेंगे, तो उनको निराशा ही होगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज वह जिला परिषद् भ्रष्टाचार का आखाड़ा बनी हुई है । यह सही है कि आज भी वहां जनतांत्रिक प्रणाली के द्वारा ही वहां पर मान्यता देना अधिक उत्तम है । परन्तु इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि वहां पर भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया जाय । केवल आपको ही तकलीफ इससे नहीं होती है बल्कि हमको भी इससे महान कष्ट होता है और चुने हुये प्रतिनिधि के विरुद्ध ऐसा कहना पड़ता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इसे संयुक्त प्रवर समिति को अवश्य भेजें जो कि इन बातों पर ठंडे दिल से विचार करेगी कि आखिर इस भ्रष्टाचार के उन्मूलन का रास्ता क्या है ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपने कहा कि यह बी०डी०ओ० हम लोगों में से ही होते हैं कोई विलायती नहीं होते । यह सही है कि वह हमारे ही घरों के लड़के होते हैं । परन्तु इस प्रकार की दलीलें अंग्रेजों के राज्य में ही दी जाती थीं । इसका उदाहरण यह पुलिस वाले हैं जो कि डंडे से मारते हैं और फर्जी मुकदमे कायम करते हैं । परन्तु आपतो कम से कम उन बातों को न अपनावें और लचर दलीलों को न लें, जो कि अंग्रेजों के जमाने में दी जाती थीं । यह कहकर उनके कार्यों पर परदा नहीं डाला जा सकता कि वह हमारे आपके घर के हैं ।

तीसरी बात, त्रिपाठी जी ने इशारा किया विशेष परिस्थिति की ओर । उसी संशोधन में कहा गया कि संशोधन हम नहीं करा सके, गवर्नर की स्वीकृति नहीं हो सकी, तो अब इसकी क्या गारंटी है कि इसके लिये गवर्नर की स्वीकृति हो जायगी, विशेष परिस्थिति नहीं रहेगी । तब की बजाय आज तो ऐसे ही संकटकालीन स्थिति है इसलिये हम तीन जिले छोड़ दे रहे हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सन् १९६७ के लिये। अब तो तीन छोड़ रहे हैं, फिर कल आयेंगे कि और जिलों को भी छोड़ दीजिये। इसी प्रकार का मासूम संशोधन तब भी चला आयगा। (लाल बत्ती होने पर) अभी दो मिनट और दे दें।

आज ५ सरकार हैं। एक सरकार बी०डी०ओ० की है जहां सभापति जाकर "जी हुजूर आज भी कहता है और ये दावे से कहता हूं कि अगर मंत्री जी तैयार हों तो मैं न्योता देता हूं कि वह अपनी समिति में बैठ कर देख लें जहां से मेम्बर हैं। पंचायत सेक्रेटरी कहता है तुम सरकारी आदमी हो। ग्राम-सेवक साहब कहलाता है और कहा जाता है कि यह क्रमिक विकास है। यह तो केंद्रीकरण का ढंग है, विकेंद्रीकरण का नहीं। यह आपका आश्वासन ढपोरशंख वाला आश्वासन है कि कहा हजार दो तो कहा लाख ले लो, करोड़ ले लो, शंख ले लो महाशंख ले लो। दूसरे मंत्री जी मौजूद हैं। उन्होंने भी वादा किया था कि चुनाव होगा और उतनी मजबूती से कहा था जितनी मजबूती से ये मंत्री नहीं कह पा रहे हैं। उसके बावजूद भी आजतक नहीं हुआ। तो आगे होगा, इसकी क्या गारंटी है। अगर करना था तो निश्चित रूप से कहते कि जिला परिषदों का बालिग-मताधिकार के आधार पर चुनाव अवश्य कराया जायगा, चाहे कुछ भी हो। उसमें संकटकालीन स्थिति में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। उत्तराखंड में जहां बड़े सब्जबाग दिखलाये, वहां क्यों नहीं लागू करते? अगर नहीं करते तो स्पष्ट है कि आपने गुटबन्दी के लिये सारी बातें की है। इन शब्दों के साथ मैं संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

क्या मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, त्रिपाठी जी ने और कल्पनाथ जी ने कोई नयी बात तो रखी नहीं, वही बातें फोर्स देकर कह दिया है। मैं फिर से आपको बता दूं कि विशेष परिस्थिति की बात का जो दूसरा अर्थ लगाया जाता है, वह भ्रम आपके दिमाग में है। यह एक विशेष परिस्थिति के लिये ही है, इसलिये मैं फिर से इन प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उत्तराखंड के चुनाव में कौन सी परिस्थिति है?

श्री बंशीधर पांडेय—

वहां जिला परिषदों की रचना का हमने कार्यक्रम ही नहीं रखा है और सुरक्षा इमरजेंन्सी आने के पहले ही नहीं रखा है। वे नये जिले बनाये गये है जल्दी ही आवश्यक व्यवस्था कर दी जायगी। इसलिये मैं प्रवर समिति के सुझाव का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९६३, को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो विधेयक की परिधि को विस्तृत कर सके और अपना प्रतिवेदन आगामी एक माह में प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३, को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दे और समिति को विधेयक की परिधि भी बढाने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२ १९५८ की धारा १ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अधिनियम, १९५८ की धारा १ की उपधारा (३) में अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६२ को समाप्त हो जायगी के स्थान पर अंक तथा शब्द "३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायेगी सिवाय उत्तराखंड डिवीजन के जहां यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९६७ को समाप्त हो जायेगी।" रख दिये जायें।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड २ की तीसरी पंक्ति में '३० जून, १९६३' के स्थान पर '३१ मई, १९६३' रख दिया जाय।

जून में गरमी ज्यादा होती है और चुनाव में थोड़ी डिफीकल्टी होती है। इस विधेयक में बहुत सी खामियां हैं। यह पार्टी पोलीटिक्स या गुटबन्दी का अखाड़ा बनाया जा रहा है। अभी उपाध्यक्ष के चुनाव हुए। अध्यक्ष के चुनाव में अफसरों को वोट देने का अधिकार नहीं था लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव में अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया। उसका गलत इस्तेमाल होकर नतीजा यह हुआ कि अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के लोगों को उपाध्यक्ष बनाने के लिये अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस प्रकार यह अनुचित प्रयोग अपनी ताकत का किया।

दूसरे, श्रीमन्, आप देखते हैं कि प्रधान अपने ब्लाक के अध्यक्ष को चुनता है। उसमें से एक नुमाइंदा अन्तरिम जिला परिषद में भी आता है। एक पंच के चुनाव में ६ रुपये का और प्रधान के चुनाव में १२ रुपये का फार्म बिकता है। जब एम० एल० ए० और एम० पी० का नामीनेशन का फार्म का दाम केवल १० नये पैसे है तो क्या वजह है कि पंच और प्रधान का फार्म का दाम ६ रुपये और १२ रुपये रखा गया है। मंत्री जी बतलावें कि किस नियम के अनुसार या किस ऐक्ट के अनुसार यह किया गया है। इस प्रकार से इस प्रदेश की जनता से लाखों रुपया वसूल किया जाता है। भ्रष्टाचार के बारे मे कहा जाता है लेकिन यह तो डकैती है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बहुत कम समय लें। ५ बजे तक इसको समाप्त होना है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं केवल उन बातों पर ही जाना चाहता हूं जिन पर सरकार का ध्यान होना चाहिये। साथ ही तृतीयस्तरीय ढांचे और पंचायत राज की बात कही गयी और कहा कि वह इसलिये लाया गया कि सारे स्थानीय निकायों का समन्वय हो जाय। लेकिन इसके लिये जो कार्यवाही की जा रही है वह बिलकुल गलत ढंग से की जा रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से ही हम लोग इस फेवर में थे कि बालिग मताधिकार से चुनाव होने चाहिये और इसके लिये हमने आन्दोलन किया और इसलिये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट पास हुआ उसमें बालिक मताधिकार रखा गया। इससे लोग अधिक से अधिक संख्या में चुन कर आये। धारा १८(६) के अनुसार बालिग मताधिकार से चुनाव होते रहे। लेकिन फिर सरकार ने यह कह कर कि इसमें धन और शक्ति बहुत खर्च होती है और इससे जो रुपया बचेगा उसको दूसरे रच-

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नात्मक कार्यों में लगाया जायगा, इसको बदल दिया और इनडायरेक्ट चुनाव का तरीका कर दिया। और अब दो तिहाई सदस्य इनडायरेक्ट वे में चुन कर आते हैं। विधान परिषद् के मेम्बरों का चुनाव भी इन्हीं के द्वारा होता है। हो सकता है कि आगे सरकार यह कहे कि विधान सभा के मेंबर भी इसी प्रकार से चुन जाया करेंगे। यह जाल इसलिये पूरा जा रहा है कि दूसरी पार्टी के लोग न आ सकें।

विधान सभा की जब भी कोई कमेटी बनती है तो उसमें हर पार्टी के सदस्य को मौका दिया जाता है लेकिन अन्तरिम जिला परिषद की कमेटी में अपोजीशन के किसी भी सदस्य को नहीं लिया गया है और उसमें केवल एक ही पार्टी के लोग रखे गये हैं। यह मेरे यहां की बात है। इस प्रकार से गुटबन्दी कायम करने की कोशिश की जा रही है। उनका तो प्रयत्न यह रहता है कि कोई अपोजीशन का आदमी आ ही न सके। कुरसी को बचाने के लिये ही सारी कोशिश की जा रही है। मैं सुरक्षा के बारे में केवल इतना कह दूं कि मैं उसमें बाधक नहीं होना चाहता, लेकिन हमारे गाजीपुर में १००–२०० आदमी भी आ जायं तो हमारे पास कोई हथियार उनका मुकाबला करने के लिये नहीं है, न कोई ट्रेनिंग ही वहां के लोगों को दी गयी है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन रखता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय––

कमलासिंह जी ने ३० मई की बात कही तो हमने तो ३० जून अंतिम तिथि रखी है। उससे पहले भी हो सकता है। और बातें उन्होंने अमेंडमेंट के सिलसिले में नहीं कहीं। इसलिये उनके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहता।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि खंड २ की तृतीय पंक्ति में "३० जून, १९६३" के स्थान पर "३१ मई, १९६३" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २ १९६२ का निरासन।

३––उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ निरस्त किया जाता है और यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित की गयी अधिनियमिति हो।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३

उ०प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को संशोधत करने के लिये :––

विधेयक

उ०प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८
उ० प्र० अध्यादेश संख्या २, १९६२

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने के लिये, राज्यपाल ने ३१ दिसम्बर, १९६२ को उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ प्रख्यापित किया था,

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय,

अतएव, भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम १—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, शीर्षक और प्रस्तावना इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल (संशोधन) विधेयक, १९६३

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

यह बहुत छोटा सा विधेयक है और इसीलिये माननीय सदन ने इसके लिये आधा घंटा समय रखा। इस विधेयक में सिर्फ यह संशोधन किया जा रहा है कि सन् १९६२ जो कि खत्म हो गया उसकी जगह सन् १९६५ कर दिया जाय। इस जगह पर साधारणतः म्युनिसिपल बोर्ड बनाने की बात थी, जिसके लिये नगर का हर तरह से विकास करना जरूरी था और उसी लिये डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया जिससे कि बीच में यह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तब तक शायद चुनाव होकर बोर्ड भी बन जाय। इसलिये इसके पीरियड का एक्सटेंशन करना लाजिमी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल (संशोधन) विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी परिधि को विस्तृत कर सके और जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत कर दे।'

मान्यवर, यह ऐक्ट १३ दिसम्बर, १९५४ को बनाया गया और ३१ दिसम्बर को इस पर स्वीकृति मिल गयी। सन् १९५९ तक इस नगर के विकास का काम पूरा होना था। नगर में सड़कें, नालियां, ड्रेनेज आदि बनाने का एस्टीमेट किया गया था और सारी चीजें स्वीकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की गयी थीं। सबने यह कल्पना की थी कि नगर का विकास बहुत तेजी से होगा और पंजाब से आने वाले शरणार्थियों को वहां बसाया जायगा। इस योजना को ३१ दिसम्बर, १९५९ तक पूरा हो जाना चाहिये था ताकि वहां का बोर्ड अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन अभी तक उस काम को पूरा नहीं किया गया और माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी नहीं बतलाया कि किस कारण से नगर के विकास की व्यवस्था नहीं हो सकी। इस संबंध में सदन को अन्धकार में रखा गया कि किन कारणों से नगर का पूरा उत्थान नहीं हो सका। समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्री जी ने इस पर कोई प्रकाश क्यों नहीं डाला। आपके द्वारा मैं निहायत अदब के साथ माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस का क्या कारण है कि वहां पर क्यों शरणार्थी लोग फार्म छोड़ कर जा रहे हैं, वहां पर तीसरे साल जमीन बोई जाती है और क्या कारण है कि उन को लाभ नहीं हुआ, वह उखड़ कर चले गये। उन के क्वार्टर्स बेकार पड़े हैं उनमें कोई नहीं रहता। जिन शरणार्थियों ने कर्ज लिया है उस को माफ करने के प्रार्थना पत्र लगे हैं, जो जमीने जोती भी उन को भी माफ करने के प्रार्थना पत्र लगे हैं। ऐसी सूरत में जानकारी के लिये इसको प्रवरसमिति में भेजना उचित है। वहां पर २८ नलकूप बनने के बाद एक दिन भी नहीं चले। इस स्कीम पर लगभग २ करोड़ रुपया मंत्री जी ने व्यय किया है, वह किस काम आया यह कुछ पता नहीं है। वहां पर अभी तक कोई भी उद्योग कायम नहीं हो सका है। एक मेरठ के सज्जन ने वहां पर शुगर मिल लगाने के लिये लाइसेंस लिया और उसके बाद उन्होंने कोयले में ब्लेक किया वह दोषी पाये गये और अभी तक न मालूम उसमें क्या हुआ, न उनका लाइसेंस किसी दूसरे को ही दिया गया ताकि वहां चीनी की मिल खुल सकती और गरीब वहां के लोग काम में लग जाते। जब वहां यह स्थिति है कि मकान खाली हैं, नलकूप चलते नहीं और सारी ऐसी बातें हैं, एक साल फसल होती है एक साल गैप हो जाता है, २ करोड़ रुपया खर्च हो गया और अवधि बढ़ाने की बात सोची जा रही है। वहां पर लाइसेंस मिल का दिया जाय ताकि अच्छे ढंग से वहां आबादी हो जाय और जो रिफ्यूजी भाग गये हैं और खाली क्वार्टर पड़े हैं वह सब बस जायं। इस सारी स्थिति पर विचार कर के इसको प्रवर समिति में भेजा जाय।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, वैसे मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है और आज ही इसे पास होना है। एक बात मैं कहूंगा कि हस्तिनापुर की जो स्कीम थी उसके विषयों में अभी सदस्यों के दिमाग में ठीक गंध नहीं है। जिन्होंने इस स्कीम के बारे में सुना है उन के मन में दरअस्ल इस वक्त तक कल्पना यही होगी कि यह स्कीम असफल रही है और करोड़ों रुपया इस पर खर्च हुआ है। इस को एक पवित्र विचार से जरूर खोला गया था लेकिन यह कुछ विवेकहीन सी स्कीम रही। जैसे सरकार ने बिना सोचे समझे अन्य स्कीमों को आरम्भ किया और अन्त में हानि हुई वही इस में भी हुआ। रुपया खर्च हुआ और जिस काम के लिये हुआ वह पूरा नहीं हुआ लोग भाग आये, पहले यातायात के साधन नहीं थे, कोई वहां व्यवसाय नहीं था जीवन निर्वाह के साधन नहीं थे लोग वहां से भाग आये वर्ना क्या कारण है जैसा कि सुना जाता है कि वहां की जमीन तोड़ी गई लेकिन उससे सफलता नहीं मिली। ऐसी परिस्थिति में इस विधेयक को लाने के पहले और इस की अवधि बढ़ाने के पहले हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम जान लें कि इस योजना को अब भी आगे बढ़ाना हितकर होगा या नहीं और क्या फाइनेंसेज आज की परिस्थिति में कहते हैं कि इसे आगे बढ़ाया जाय। इसका पूरा नक्शा सदन के सामने लाना चाहिये, यह स्थिति है, इतना खर्च हो चुका है इतना अभी खर्च होना बाकी है और अगर आगे नहीं चलायेंगे तो स्कीम अधूरी रह जायगी क्योंकि संभव है कि कोई लाभ न हो और सारा पैसा बेकार ही चला जाय।

इस प्रकार की कोई कल्पना सदन के सामने होनी चाहिये थी। लेकिन कुछ नहीं बताया गया। हस्तिनापुर टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट बना, कुछ काम सरकार ने किया, वह काम पूरा हुआ कि नहीं हमको कुछ पता नहीं। आपने आर्डिनेंस पास किया अब उसको ऐक्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

का रूल देना है, ठीक है, लेकिन हमको सही स्थिति से तो अवगत कराया जाता। अगर आप अनौपचारिक रूप से हमारी राय लेते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा सदन अपनी सहमति नहीं दे सकता। आप कहते हैं हमारी सहायता करो। क्या सहायता करें जब कि हमको किसी चीज के बारे में कुछ बताया ही न जाय। एक मर्तबा मैं पी०ए०सी० के सिलसिले में मेरठ गया, कार्य वश वहां से लौटना पड़ा, हस्तिनापुर न जा सका, लेकिन जो मैंने वहां सुना इस स्कीम के बारे में उससे यही पता चला कि यह कोलोसल वेस्ट है और अगर आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है तो हमको सारी स्थिति बतायें। मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था जिसमें लिखा था चर्चिल जब खड़े हुये वार टाइम के समय तो उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि बरमिंघम पर गोली चली तो कितने आदमी मरे, कितने घायल हुये तो उन्होंने जवाब दे दिया कि ३२५ मरे, २२५ के मरहम पट्टी हुई। लोगों ने कहा आपने यह कैसे कह दिया क्या अपोजीशन वाले पता नहीं लगायेंगे। तो उन्होंने कहा कि ६ महीने तक तो हमारे यहां से कोई जवाब ही नहीं जायगा, पता क्या लगा पायेंगे। अतः इस भ्रम को दूर करने के लिये, जो आप कर रहे हैं वह सचमुच अच्छा है और रुपये का सदुपयोग होगा तो इसको प्रवर समिति में भेजें। जिस तरह आप कहते हैं कि यह विधेयक इन्नोसेंट है उसी प्रकार हम भी कहते हैकि प्रवर समिति में भेजने का संशोधन भी बड़ा इन्नोसेंट है। अगर आप यही चाहते हैं कि हमने एक स्कीम रखी उसको आगे तक ले जायंगे चाहे कुछ हो तब तो कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर सोच समझ कर काम लिया जाय तो उचित यही होगा इसको प्रवर समिति को जाने दें। इस विचार से मैं माननीय हिम्मतसिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो कार्यकाल बढ़ाने का संशोधन पेश किया है उस पर मुझे आपत्ति नहीं है क्योंकि बहुत सी इनकी मजबूरियां हैं। लेकिन एक बात कहना है। अभी दो माननीय सदस्यों ने जिक्र किया करोड़ों रुपया खर्च हुआ सरकार का जिसका सचमुच में सदुपयोग नहीं हुआ। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। मोदीनगर में मकान बनाने के लिये २० लाख के करीब रुपया दिया गया आप सोचते थे भारत सरकार देगी। लेकिन इस घपले में बहुत घाटा हुआ। मकान इतने रद्दी किस्म के बने कि उनकी हालत आज भी खराब है और रहने लायक नहीं है। कई सज्जनों ने लायसेंस लिये आपको धोका दे कर, एक के बारे में मुझे पता है कि ढाई लाख रुपया चीनी मिल खोलने के लिये लिया और जो जमीन जमानत में दी उसको वह ४, ५ जगह और दे रखे थे। जब मैंने इस प्रश्न को उठाया तो पता नहीं सरकार ने पैसा वापस लिया कि नहीं। अतः व्यापक पैमाने पर हस्तिनापुर की जांच होनी चाहिये। इसके लिये मैं चाहूंगा एक कमेटी बने चाहे शासन की हो, या दोनों सदनों की हो या स्वतंत्र व्यक्ति मुकर्रर करें, कम से कम तीन व्यक्तियों की कमेटी हो जो पूरी छानबीन हस्तिनापुर के बारे में करे और सरकार को रिपोर्ट दे कि रुपया जो खर्च किया गया उसका सही उपयोग हुआ या नहीं मोदी को जो रुपया दिया गया उसकी क्या हालत है, मकानों, फार्मों की क्या हालत है। रिपोर्ट आने पर गंभीरता से विचार किया जाय। इसलिये मैं चाहूंगा मंत्री जी इसकी जांच करायें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

श्रीमन्, श्री हिम्मतसिंह जी ने बहुत हिम्मत कर के लेकिन बहुत शरमाते हुये जो प्रस्ताव रखा और हस्बमामूल हमारे तिवारी जी ने 'एज एन एडवोकेट आफ आल लास्ट केसेज' उसको सपोर्ट किया बदकिस्मती से मुझे उसकी मुखालिफत करनी पड़ती है। हिम्मतसिंह जी ने फरमाया कि इसकी बाबत इस सदन को बताया ही नहीं गया, बिल्कुल अंधेरे में रखा गया और खुद ही उन्होंने बताया कि इस आदरणीय सदन ने १९५९ में इस विधेयक को पारित किया था। जिस समय यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विचार नहीं किया।

पारित किया गया था मेरा ख्याल है उस समय भी इस सदन में समझदार लोग थे, बाल की खाल निकालने वाले आदमी थे और अपोजीशन के लोग भी थे। इतने भोले और सीधे वे लोग नहीं थे कि जो हमने कह दिया उसको उन्होंने वेद वाक्य मान कर स्वीकार कर लिया हो। सच्ची स्थिति इसकी यह है कि मैं जब इस बिल को पायलट कर रहा हूं तो वास्तव में हस्तिनापुर की जो स्कीम हुई उसको जस्टिफाई करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। इसके अलावा यह स्कीम इस सरकार की तो थी ही नहीं। यह तो सेंट्रल गवर्नमेन्ट की स्कीम थी। उसने ३३ लाख या कितने रुपये इसमें खर्च किये, एक टाउनशिप बनायी। बाद में उसने कहा कि अब हम इस स्कीम को नहीं चलाना चाहते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के सामने सवाल यह आया, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट का ताल्लुक सफाई से, नालियों से, लाइट से है, कि ये सब चीजें वहां हों या न हों या अपोजीशन के मेम्बर्स की राय मानकर उन लोगों से कहा जाय कि चूंकि गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम खत्म कर दी इसलिये तुम सब लोग यहां से भागो। कोई भी आदमी जिसका दिमाग सही काम कर रहा है यह प्रस्ताव नहीं ला सकता। ऐसी हालत में वहां पर कुछ म्युनिसिपल प्रबंध होना चाहिये या नहीं। एक स्कीम है जिसको यह मान लिया जा सकता है कि फेल हो गयी, उसमें दुरुपयोग हुआ, लेकिन जहां तक मेरा प्रस्ताव है उससे यह बिल्कुल इर्रेलीवेन्ट है। अब सवाल यह है कि जो वहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं वहां सफाई आदि का कोई प्रबंध होना चाहिये या नहीं और अगर होना चाहिये तो उसका खर्चा कहां से आये। इतना पैसा आज वह स्थान बरदाश्त नहीं कर सकता कि म्युनिसिपल बोर्ड या नोटीफाइड एरिया की तरह से चल सके। तो झख मार कर, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ रही है वहां सफाई वगैरह करना स्टेट गवर्नमेन्ट के लिये लाजिमी हो गया। तो हमने उनसे मांग की कि आप एक अनवांटेड चाइल्ड हमें दे तो रहे हैं तो उसका कुछ खर्चा दीजिये। उन्होंने कहा कि हम ८० हजार रुपया सालाना के हिसाब से खर्च करेंगे लेकिन हर साल इसमें २० परसेंट कम कर देंगे और ५ साल बाद फिर नहीं देंगे। पहले साल ही खर्च हुआ ज्यादा और ग्रांट मिली कम। करीब १८–१९ हजार रुपया ज्यादा खर्च हुआ। हमने कहा कि हम से यह नहीं चल सकता। तो उन्होंने वह रकम हमको दे दी। लेकिन सवाल यह है कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट इसको चलाना नहीं चाहती तो स्टेट गवर्नमेन्ट इसमें स्टेप इन करे या यह कह दे कि स्टेट गवर्नमेन्ट कुछ नहीं करेगी? यह बड़ी इर्रेस्पांसिबिल पोजीशन होगी। आखिर स्टेट हमारी है। चाहे कहीं से भी लोग आये हों, हमारे भाई हैं, हमारी रेस्पांसिबिलिटी है। और यह आदरणीय सदन यह नहीं कह सकता कि हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे, उनकी रक्षा नहीं करेंगे, उस नगर की सफाई नहीं करेंगे, कोई प्रबंध नहीं करेंगे। इसीलिये यह बोर्ड बनाया गया है और कोशिश यह की जा रही है कि अगर इस बैड बारगेन को सुधारा जा सके तो सुधारा जाय। आशा की गयी थी कि शायद १९६२ तक हो जायगा। मैं आज भी वादा करने को तैयार नहीं हूं कि १९६५ तक यह होगा। मैं क्यों कहूं? हमारे अपने हाथ की बात भी वह नहीं है मेरे डिपार्टमेंट को उसमें सीधा सभी काम करना भी नहीं है। हजारों लाखों आदमियों का सम्बन्ध है। कौन बसना चाहता है, कौन नहीं बसना चाहता है। लोगों से हम कहते हैं कि यहां ठीक हो गया है, बसते हैं लोग फिर निकल जाते हैं। ऐसी हालत में जो करना ही जिससे हम बच नहीं सकते उसके लिये मेरा डिपार्टमेंट आपके सामने आया है कि कीजिये। हो सकता है १९६५ तक चले या उसके बाद भी जरूरत पड़े तो ले आयें २, ३ साल के लिये कि इसको एक्सटेंड कर दीजिये क्योंकि यह अनिवार्य काम है जिसके लिये इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी नहीं है उसको करना ही पड़ेगा।

प्रवर समिति का जो संशोधन है उसकी क्या आवश्यकता है। अगर प्रवर समिति में जो सज्जन बैठेंगे उनमें से एक आदमी भी कुछ सजेन्शस दे सकें और उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकें तो मैं यह वादा करता हूं कि मैं उन सजेशन्स को कबूल करूंगा और इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करूंगा। हमें कोई प्लेजर नहीं होता है कि नुकसान का काम हो लेकिन प्रवर समिति में भी तो कोई एक्सपर्ट्स नहीं होंगे। यदि कोई सज्जन कोई सजेशन्स देना चाहें तो वे उद्योग विभाग से कंटेक्ट पैदा करें ताकि हजारों लोगों का भला हो सके। कोशिश की जा रही है कि हाउस टैक्स लिया जाय। लेकिन इससे सिर्फ ९ हजार रुपये सालाना मिलेगा जो एक मामूली नोटीफाइड

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

एरिया की भी तो आमदनी उससे ज्यादा होती है। तो और सोर्स आफ इन्कम को भी देखना पड़ेगा। अगर वह हो जाते हैं तो फिर इस ऐक्ट को बढ़ाने की इस ऐक्ट को प्रोलांग करने की जरूरत नहीं रहेगी; वहां पर कोई नोटीफाइड एरिया या म्युनिसिपल बोर्ड बना दिया जायगा। उसके जरिये से वे अपने आप अपना बोझा उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हिम्मतसिंह जी इतना समझने के बाद अब हिम्मत करके इस प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

*श्री हिम्मतसिंह--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कुछ बातें दबा रखी थीं जो अब साफ कर दी गयी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हिम्मत करके संशोधन रखा था। ऐसी बात नहीं है। मैं समझता था कि मंत्री जी हमेशा बाद में सफाई पेश करते हैं। अब मंत्री जी ने बताया कि ८० हजार रुपया मिलता है और उसमें २० हजार रुपया हर साल कम होगा। अब अगर यह बिल प्रवर समिति में चला जाता तो यह तो सही है कि प्रवर समिति में कोई एक्सपर्ट तो होगा लेकिन वहां यह निश्चित हो सकेगा कि वहां कौन इंडस्ट्री चलेगी कौन नहीं चलेगी। मेरठ के लिये शुगर इंडस्ट्री के लिये लाइसेंस अभी है लेकिन परमिशन नहीं है तो ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, उनको उस प्रवर समिति में विचार दिया जा सकता है। विकास की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि उस शहर को उजाड़ दीजिये या उसको न बसाया जाय लेकिन चीज यह है कि जहां कुयें हैं मकान बने हुये हैं। वह क्यों खाली पड़ा हुआ है? क्यों लोग भाग रहे हैं? इन सारी चीजों की सफाई हो जायगी। जो रुपया सेंट्रल गवर्नमेन्ट दे रही है उसके लिये भी सोचना आवश्यक है। इन सब बातों पर विचार करने के लिये प्रवर समिति में अगर चला जायगा तो कोई पाप तो नहीं हो जायगा।

अभी मंत्री जी ने बताया कि हाउस टैक्स से ९ हजार रुपया आयेगा तो कौन सी मदें हैं जिन्हें आगे बढ़ाना है। खास बातें अभी भी मंत्री जी ने नहीं बतायी हैं कि इतना कम पड़ता है। इसीलिये मैं कहता हूं कि इसको प्रवर समिति में रख दिया जायगा तो बातें साफ हो जायेंगी। और कुछ न कुछ नई बात मंत्री जी के पल्ले पड़ेंगी। जैसे कि स्लम क्लियरेंस में बहुत सी बातें सामने आई थीं और मानी गईं। इसमें भी हो सकता है कि सुझाव आयें। इसलिये मंत्री जी इसको मान लें।

श्री अधिष्ठाता--

आप वापस ले रहे हैं?

श्री हिम्मतसिंह--

जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपनी परिधि को विस्तृत कर सके और जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ तथा ३

२—हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४ की धारा १ की उपधारा (३) में अंक "१९६२" के स्थान पर "१९६५" रख दिये जायें ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४, १९५५ ई० की धारा १ का संशोधन

३—हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित की गयी अधिनियमिति हो ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६२ का निरसन यू० पी० ऐक्ट १, १९०४

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम १९५४ का प्रचलन बनाये रखने की व्यवस्था करने के लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४, १९५५ ई०

विधेयक

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ राज्यपाल द्वारा, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ के अधीन प्रख्यापित किया गया था,

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १,१९६२

और यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाये ,

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षक

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, शीर्षक और प्रस्तावना इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३ पारित किया जाय ।

माननीय हिम्मतसिंह जी ने कहा कि मैंने छिपाकर रखा था । १९५९ में जब यह पेश किया गया था तो सारी बातें कह दी गई थीं । मैंने कहा कि हर साल २० हजार रुपये की कमी पड़ती है । सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने ८० हजार रुपया दिया पहली साल और २० हजार की कमी पड़ने पर हमने उनसे मांगा तो हमें वह रुपया मिल गया हर साल वे रुपया देंगे या नहीं, यह सवाल है । लेकिन हमारे सामने चित्र साफ है कि वे खर्चा कम देंगे और हमें बरदाश्त करना होगा । ९ हजार की आमदनी होगी । इसके सिवाय मैं और क्या चित्र सामने रखूं । इसलिये मुझे आशा है कि यह पारित किया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और सोमवार को साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २७ मिनट पर सोमवार, ११ फरवरी, १९६३ के १०-१/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
८ फरवरी, १९६३।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३८ पर)

तालिका

इस वर्ष एच०टी०सी०, जे०टी०सी० तथा एल०टी० में मनोनीत किये गये व्यक्तियों का विवरण ।

	मनोनीत किये गये व्यक्तियों की संख्या
१—एच टी० सी०	१,७७५
२—जे० टी० सी०	११४
३—एल०टी०	१६०

संसद पुस्तकालय सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४८ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस जिले की निम्नांकित सड़कें सम्मिलित हैं—

चालू योजनायें—

सड़क का नाम	तहसील	लम्बाई
		मी०फ०फी०
१—अमौली–चांदपुर–बरवा–सहबाजपुर	खजुहा	१६–४–०
२—जहांनाबाद–बमौली	खजुहा	७–०–०
३—बेहरा–हथगांव	खागा	४–४–०
नई योजना:—		
४—गाजीपुर—अमासीघाट	फतेहपुर	८–०–०

भवन पुस्तकालय उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५१ पर)

शाहजहांपुर जिले में प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गई सड़कों की सूची

क्र० सं०	सड़क का नाम	लम्बाई जो प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत थी मी० फ०		पूर्ण हुई मी० फ०		अनुमानित लागत	मार्च, १९६१ तक खर्च	विवरण
१	पवइयां-मैलानी सड़क ..	१९	६	१९	६	५,२०,९००	५,२२,०८३	कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूर्ण हो गया।
२	धाई घाट जलालाबाद	३	०	३	०	२,२४,५००	१,८५,०१९	,, ,,
३	अल्लागंज, रघुनाथपुर ..	४	०	१	४	२,४९,५००	६०,१५७	शेष कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रगति पर है।
४	जरैनपुर, उसावन ..	१४	६	—	—	७,९३,०००	३,४७,५००	कार्य प्रगति में है।
५	शाहजहांपुर-निगोही बिसलपुर ..	२०	२	५	६	७,५०,०००	४,४०,०००	शेष कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में हो रहा है।
६	गोला बिलसंडा	१८	०	—	—	११,८०,०००	४,०२०	कार्य प्रगति में है।
	योग ..	७९	६	३०	०	३७,१७,९००	१५,५८,७७९	

प्रतिष्ठान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५७ पर)

ठेकेदार का नाम	ठेका देने की तिथि	मील नम्बर	विवरण	कार्य खतम करने की तारीख	कार्य का भुगतान कब किया गया
१	२	३	४	५	६
श्री निर्भीक नरायनसिंह	९-१२-५८	९, १० व १२	मिट्टी का कार्य	१५-१-६०	३-६०
,, राधाकिसन खरवार	९-१२-५८	११	,,	३१-१२-५९	३-६०
,, राधाकिसनसिंह	२४-१२-५८	१३	,,	३०-६-५९	३-६१
,, निर्भयनरायनसिंह	३१-१२-५८	१०	कंकड़ का कार्य	३१-७-५९	३-६०
,, मोतीलालराय	३१-१२-५८	१३	,,	१५-७-५९	३-६०
,, रामजतनराम	२-१-५९	१२	,,	,,	३-६०
,, हरिहरप्रसाद	२७-६-५९	७ से ९	पुलिया का कार्य	३१-१२-५९	३-६०
,, उमाशंकर पाठक	१-७-५९	९ से १७	मिट्टी का कार्य	१५-४-६०	५-६१
,, मारकन्डेसिंह	१-७-५९	११	,,	३१-१-६०	३-६०
,, जटाधारी पाठक	२३-७-५९	१०	,,	३०-४-६२	Payment under correspondence
,, अमीरचन्दसिंह	१२-८-५९	१२ से १६	,,	२५-७-६०	८-६१
,, महेन्द्रनाथ शर्मा	२९-९-५९	५ से ९	पुलिया का कार्य	१५-७-६०	६-६२

अनुवाद विधान सभा

,, ,,	..	..	१०–५–६०	९	कंकड़ का कार्य	३१–१०–६१	७–६२
,, जटाधारी पाठक	..	..	२६–१०–६०	११	,,	कार्य शुरू नहीं किए	—
,, ,,	..	..	२६–१०–६०	१२	,,	,,	—
,, ,,	..	..	२६–१०–६०	१०	,,	,,	—
,, विक्रमासिंह	..	..	१२–११–६०	९, १३, १९, २०	पुलिया का कार्य	३१–१–६२	३–६२
,, गौरीशंकर	..	..	४–२–६१	९	मिट्टी का कार्य	कार्य शुरू नहीं किए	—
,, नकछेदीप्रसाद	..	..	६–२–६१	१७	,,	२५–२–६२	३–६२
,, विक्रमासिंह	..	..	२२–१–६२	१६	सीधा रोत ईटा भराई	कार्य शुरु नहीं किए	३–६२
,, बालेसरराम	..	..	२२–१–६२	१०	कंकड़ का कार्य	,,	—
,, महेन्द्रनाथ शर्मा	..	..	१८–१–६२	९	,,	११–४–६२	१०–६२
,, शिवदयाल शर्मा	..	..	१२–१–६२	९	मिट्टी का कार्य	११–४–६२	१०–६२
,, हरिशंकर पाठक	..	..	१६–२–६२	१२	कंकड़ का कार्य	कार्य शुरु नहीं किए	—
,, विक्रमासिंह	..	..	२९–१–६२	१७	सीधा रोत ईंटा भराई	,,	—
,, गोरखनाथ	..	..	६–२–६२	१३	कंकड़ का कार्य	२०–७–६२ काम अधूरा है	Payment under disposal
,, रामनाथराम	..	..	३१–५–६२	९	मिट्टी का कार्य	३०–११–६२	Do
,, विक्रमासिंह	..	..	१५–२–६२	१५	कंकड़ भराई	कार्य शुरू नहीं किए	,,

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६४ पर)

वर्ष १९५९--६० में श्री दुर्गा जी डिग्री कालेज चडेंसर आजमगढ़ के छात्रों को स्वीकृति स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के आश्रितों की छात्रवृतियों की सूची

क्रम-संख्या	छात्र का नाम	कक्षा	स्वीकृत छात्रवृत्ति की धन-राशि (माह जुलाई, १९५९ से जून, १९६०,)
१	त्रिभुवननाथ पांडेय ..	बी० एस० सी० एग्रीकलचर प्रथम वर्ष	३० रु० प्रतिमाह
२	राजेन्द्रसिंह	"	" "

छात्रवृत्तियों का भुगतान जुलाई, १९५९ से अप्रैल, १९६० तक हो चुका है। मई और जून, १९६० का भुगतान शेष है।

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७० पर)

प्रतिलिपि–प्रार्थनापत्र श्री अवधबिहारी, ग्राम सभापति, मामखोर दिनांक २१–११–१९६२

श्रीमान् जिलाधीश महोदय,
जनपद गोरखपुर।

सेवा में,

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीगण मौजा मामखोर तप्पा मजूरी परगना धुरियापार, तहसील बांसगांव के रहने वाले हैं।

यह कि हम लोगों ने देश की संकटकालीन परिस्थिति को देख कर अपने हल्के के लेखपाल को राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अपनी हैसियत के मुताबिक क्रमशः १० रु०, १० रु०, १० रु०, ५ रु०, ५ रु०, ५ रु०, ५ रु०, ५ रु०, ४ रु०, ४ रु० दिए। हम लोगों के अलावे गांव के तमाम लोगों से लेखपाल ने इसी प्रकार पैसा लिया और कुछ लोगों को रसीद भी दिया परन्तु हम प्रार्थीगण अपनी दी हुई धनराशि का एक भी रसीद न पाये। हम लोगों को यह सन्देह है कि हम लोगों की उपर्युक्त धनराशि देश के रक्षा कोष में न जाकर लेखपाल महोदय के द्वारा हड़प लिया गया।

यह कि हमारे गांव में दिनांक १७ व १८ नवम्बर को कलेक्शन तहसीलदार महोदय ने आकर कुछ २१७ रुपये (दो सौ सत्रह रूपये) वसूल किये परन्तु तहसीलदार महोदय के आकस्मिक आगमन पर लेखपाल महोदय ने जनता से यह मना किया कि आप लोग इनको चन्दा न दें बल्कि हमें दें। तहसीलदार के चले जाने पर लेखपाल महोदय ने उपर्युक्त चन्दे वसूल किये तथा इसके अलावे अन्य लोगों से चन्दे वसूल किये गये।

अतः श्री मान् से प्रार्थना है कि देश की ऐसी परिस्थिति में एक सरकारी कर्मचारी के ऐसे कर्त्तव्य पर ध्यान दे कर उचित कार्यवाही करें।

प्रार्थीगण,
अवध बिहारी, मु०
ग्राम सभापति, मामखोर।
ता० २१–११–६२

दस्तखत निम्नलिखित
उमा सुकुल
खुनखुन
सारदा शुक्ल
रामकीसुन
नागेसर।
जंगबहादुर।
रामबिसुनी।

निसानी अंगूठा निम्नलिखित
पतिराज
तुलसी
बसराज हरिजन

सील
ग्राम सभा मामखोर।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७२ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३

उत्तर प्रदेश में भूमि एवं जल साधनों के संरक्षण तथा सुधार संबंधी विधि को संशोधित और संहत करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

(२) यह प्रथम अनुसूची में उल्लिखित जिलों में तुरन्त प्रचलित होगा । शेष जिलों में यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे और विभिन्न जिलों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

परिभाषाएं

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में--

(१) किसी ऐसी भूमि के संबंध में जिसे योजना के कार्यान्वय से लाभ हुआ हो या होने की संभावना हो, "लाभग्राही" का तात्पर्य--

(क) भूमिधर या सीरदार द्वारा धृत भूमि के संबंध में, उस भूमिधर या सीरदार से है; और

(ख) किसी अन्य संबंध में, भूमि के ऐसे स्वामी, धारक या अध्यासी से है, जिसे भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि में उसके हित के प्रकार और योजना के कार्यान्वय से भूमि को हुए या संभावित लाभों को दृष्टि में रखकर, नियत रीति से लाभग्राही घोषित करे;

(२) "भूमि संरक्षण अधिकारी" का तात्पर्य धारा ८ के अधीन नियुक्त अधिकारी से है;

(३) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड से है;

(४) "सभापति" का तात्पर्य बोर्ड के सभापति से है ;

(५) सिवाय धारा ६ के प्रयोजनों के लिए, "कलेक्टर" के अन्तर्गत अपर कलेक्टर भी है ;

(६) "आयुक्त" के अन्तर्गत अपर आयुक्त भी है;

(७) "निदेशक" का तात्पर्य कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश से है, और इसके अन्तर्गत अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, भी है;

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९६१

(८) "खण्ड" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा ३ के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में निर्दिष्ट किया जाये:

(९) "योजना" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी योजना से है;

(१०) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(११) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची से है;

(१२) "भूमि एवं जल संरक्षण" का तात्पर्य भूमि एवं जल साधनों के उद्धार, अनुरक्षण तथा सुधार से है और द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक उपाय इसके अन्तर्गत है ;

(१३) "सचिव" का तात्पर्य बोर्ड के सचिव से है ;

(१४) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(१५) "कार्य" का तात्पर्य योजना के अधीन किये जाने वाले किसी कार्य से है और इसके अन्तर्गत योजना के अधीन व्यवस्थित या लगाया गया पशुचर अथवा वन भी है ;

(१६) "जिला समिति" का तात्पर्य धारा ६ के अधीन स्थापित जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति से है;

(१७) पद "भूमिधर" और "सीरदार" के वही अर्थ होंगे जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिये गये हैं। १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

अध्याय २

प्रशासन तन्त्र

बोर्ड की स्थापना और उसका संघटन

३—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, राज्य के लिए एक भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी।

(२) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(क) कृषि विभाग के प्रभारी मंत्री, जो सभापति भी होंगे;

(ख) उप मंत्रियों और सभा सचिवों में से दो, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी;

(ग) राज्य सरकार के कृषि विभाग के सचिव;

(घ) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, जो सचिव भी होंगे;

(ङ) विधान-सभा के तीन सदस्य और विधान-परिषद् के दो सदस्य, जिन्हें यथास्थिति, विधान-सभा या विधान-परिषद् चुनेगी;

(च) पांच से अनधिक सदस्य जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी; और

(छ) पांच से अनधिक सदस्य जिन्हें खण्ड (क) से (च) तक में उल्लिखित सदस्य अनुमोदित करेंगे।

सदस्यों का कार्यकाल

४—(१) धारा ३ की उप-धारा (२) के खण्ड (च) या खण्ड (छ) में उल्लिखित सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(२) यदि कोई सदस्य उस पर न रहे जिसके कारण वह बोर्ड की सदस्यता का पात्र हुआ हो, तो वह सदस्य न रहेगा।

बोर्ड के कृत्य

५---बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे:---

(क) भूमि एवं जल संरक्षण के लिए नीतियां निर्धारित करना;

(ख) योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों के समन्वय के और उनके संबंध में कठिनाइयां दूर करने के उपाय और साधन निकालना;

(ग) योजनाओं के अन्तर्गत की गयी प्रगति की समीक्षा करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायें ।

जिला समितियों की स्थापना और उनका संघटन

६--(१) प्रत्येक जिले के लिए नियत रीति से एक जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति स्थापित की जायेगी ।

(२) जिला समिति में निम्नलिखित होंगे:---

(क) कलेक्टर, जो उस का सभापति भी होगा;

(ख) अन्तरिम जिला परिषद् या जिला परिषद् का अध्यक्ष;

(ग) जिले में नियोजन विभाग के कार्य का प्रभारी अधिकारी;

(घ) जिला कृषि अधिकारी;

(ङ) भूमि संरक्षण अधिकारी, जो जिला समिति का सचिव भी होगा;

(च) जिले या उसके किसी भाग में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता;

(छ) जिले या उसके किसी भाग में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले प्रभागीय वन अधिकारी (डिवीजनल फारेस्ट आफिसर्स);

(ज) जिले की क्षेत्र समितियों के प्रमुख; और

(झ) कलेक्टर द्वारा प्रतिवर्ष नियुक्त किये जाने वाले तीन से अनधिक ऐसे व्यक्ति जो भूमि एवं जल संरक्षण में अभिरुचि रखते हों:

प्रतिबन्ध यह है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रभागीय वन अधिकारी या प्रमुख को जिला समिति की केवल उन कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा जिनका संबंध किसी ऐसे क्षेत्र की योजना से हो, जिस पर वह उक्त अभियन्ता, अधिकारी या प्रमुख के रूप में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो ।

(३) जिला समिति की सदस्यता या उसकी किसी कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार से संबंधित किसी विवाद का निर्णय उसके सभापति द्वारा किया जायेगा जिसका उस विषय में निर्णय अंतिम होगा ।

जिला समिति के कृत्य

७---जिला समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे---

(क) भूमि एवं जल संरक्षण कार्य में लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्यवाही करना;

(ख) जिले या उसके किसी भाग का सर्वेक्षण करने, आधार सामग्री एकत्र करने तथा योजनाएं तैयार करने और तत्संबंधी आनुषंगिक कृत्यों का सम्पादन करने के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी को निदेश देना,

(ग) इस प्रकार तैयार की गयी योजनाओं पर विचार और उनका अनुमोदन करना ;

(घ) योजनाओं के यथोचित कार्यान्वय को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करना और तद्धीन कार्य की प्रगति देखते रहना;

(ङ) योजनाओं का दक्षतापूर्ण कार्यान्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिशें करना;

(च) योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों का पालन करना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायें।

भूमि संरक्षण अधिकारी

८—(१) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक भूमि संरक्षण अधिकारी नियुक्त करे :

प्रतिबन्ध यह है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक जिलों के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है या एक ही जिले में एक से अधिक व्यक्ति भूमि संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं।

(२) भूमि संरक्षण अधिकारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायें।

अध्याय ३

भूमि एवं जल संरक्षण योजना तैयार करना

भूमि एवं जल संरक्षण योजना तैयार करना

९—(१) जिला समिति यह संकल्प कर सकती है, और यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का निदेश दिया जाय तो वह अवश्य ऐसा संकल्प करेगी, कि जिले या उसके किसी भाग में भूमि एवं जल संरक्षण का कार्य हाथ में लिया जाये।

(२) उपधारा (१) के अधीन जिला समिति के संकल्प पर भूमि संरक्षण अधिकारी योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी होंगी—

(क) योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार और उसके ब्योरे;

(ख) प्रस्तावित कार्य के ब्योरे;

(ग) योजना के कार्यान्वय का कार्यक्रम;

(घ) योजना के कार्यान्वय के उपाय और साधन;

(ङ) अभिकरण, जिसके या जिनके द्वारा कार्य किया जायेगा; और

(च) ऐसे अन्य विवरण जो नियत किये जायें।

योजना पर विचार और उसका अनुमोदन

१०—(१) प्रारूप योजना जिला समिति के समक्ष रखा जायेगा जो उस पर विचार करेगी और उपधारा (२) तथा (३) के अधीन उसे प्रकाशित करने की आज्ञा देगी।

(२) जिला समिति द्वारा प्रकाशन की आज्ञा दी जाने पर, भूमि संरक्षण अधिकारी नियत प्रपत्र में एक नोटिस तैयार करेगा जिसमें इस बात का उल्लेख

होगा कि योजना कहां और किस समय सर्व-साधारण द्वारा निःशुल्क देखी जा सकती है। नोटिस का प्रकाशन, कलेक्टर, भूमि संरक्षण अधिकारी, तहसीलदार और खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालयों में चिपका कर किया जायेगा। वह उस गांव या उन गांवों में जिनके संबंध में प्रारूप योजना हो, डुग्गी पिटवाकर भी प्रकाशित किया जायेगा।

(३) प्रारूप योजना की एक प्रति उस खण्ड की कृषि एवं उत्पादन समिति को भेजी जायेगी जिसमें कार्य किया जायेगा। समिति एक विशेष बैठक में, जो उक्त प्रयोजन के लिये बुलायी जाये योजना पर विचार करेगी और प्रारूप योजना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, भूमि संरक्षण अधिकारी को लिखित रूप में ऐसी आपत्तियां भेज सकती है जो वह आवश्यक समझे।

(४) उपधारा (२) के अधीन नोटिस के प्रकाशित होने पर कोई भी व्यक्ति जिस पर योजना का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, डुग्गी पीटकर प्रकाशन किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी को लिखित रूप में आपत्तियां भेज सकता है।

(५) यदि अनुमत समय के भीतर उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन कोई आपत्ति न की जाये, तो यथाप्रकाशित योजना अन्तिम हो जायेगी।

(६) यदि अनुमत समय के भीतर उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कोई आपत्ति की जाये, तो भूमि संरक्षण अधिकारी नियत रीति से उसकी सुनवाई करेगा और आपत्तियों सहित अपना प्रतिवेदन जिला समिति को प्रस्तुत करेगा।

(७) आपत्तियों और उपधारा (६) के अधीन प्रस्तुत प्रतिवेदन पर तथा किसी अन्य ऐसे प्रतिवेदन पर जिसके भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने की वह अपेक्षा करे, विचार करने के पश्चात् जिला समिति योजना को परिष्कार सहित या बिना किसी परिष्कार के अनुमोदित कर सकती है और इस प्रकार अनुमोदित योजना अन्तिम हो जायेगी।

योजना का प्राविधिक पहलू

११—(१) निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति जिला समिति की प्रत्येक ऐसी बैठक में उपस्थित रहेगा जिसमें प्रारूप योजना के संबंध में आपत्ति विचाराधीन हो।

(२) धारा १० की उपधारा (७) में किसी बात के होते हुए भी, जिला समिति, निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति की सहमति के बिना कोई ऐसा परिष्कार न करेगी जिससे कि प्रारूप योजना के प्राविधिक पहलू पर कोई प्रभाव पड़े।

(३) किसी परिष्कार से प्रारूप योजना के प्राविधिक पहलू पर प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय जिला समिति के सभापति द्वारा किया जायेगा।

योजना का प्रकाशन

१२—योजना के अन्तिम हो जाने के पश्चात्, भूमि संरक्षण अधिकारी, नियत रीति से एक सामान्य नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें यह सूचना दी जायेगी कि योजना अन्तिम हो गयी है और नोटिस में उल्लिखित स्थान पर सर्वसाधारण द्वारा वह निःशुल्क देखी जा सकती है।

१३—धारा १० में किसी बात के होते हुये भी,—

योजना में अनुवर्ती परिवर्तन तथा भूल सुधार

(१) निदेशक, योजना में ऐसे छोटे-मोटे परिवर्तन कर सकता है जो किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भूमि में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप किसी भी समय आवश्यक हो जायें ।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा परिवर्तन जो किसी लाभग्राही के प्रतिकूल हो, उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना न किया जायेगा ।

(२) यदि भूमि संरक्षण अधिकारी का समाधान हो जाये कि योजना में कोई लिपिक या गणना-सम्बन्धी भूल है तो वह उसे, स्वतः अथवा हित रखने वाले व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र देने पर, नियत रीति से सुधार सकता है ।

अध्याय ४

भूमि पर अस्थायी कब्जा करना और प्रतिकर का भुगतान

भूमि पर अस्थायी कब्जा करने के लिये आज्ञा

१४—(१) यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाये कि योजना के कार्यान्वय के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि किसी भूमि पर अस्थायी कब्जा कर लिया जाये तो वह आज्ञा द्वारा, भूमि संरक्षण अधिकारी को पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाये, उस भूमि पर अस्थायी कब्जा करने का निदेश दे सकता है ।

(२) कलेक्टर, आज्ञा द्वारा, समय-समय पर अस्थायी कब्जे की अवधि बढ़ा सकता है, किन्तु अस्थायी कब्जे की अवधि किसी भी दशा में, कुल मिलाकर दस वर्ष से अधिक की न होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ "भूमि" के अन्तर्गत कोई ऐसी भूमि नहीं है जिस पर कोई स्थायी प्रकार का भवन हो या जो किसी धार्मिक प्रयोजन के लिये प्रयुक्त होती हो ।

भूमि पर कब्जा करना

१५—भूमि संरक्षण अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी धारा १४ के अधीन आज्ञा के अनुसरण में भूमि पर अस्थायी कब्जा कर लेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि कब्जा करने के दिनांक तथा अभिप्राय को, उक्त दिनांक से कम से कम सात दिन पूर्व नियत रीति से विज्ञापित किये बिना कब्जा न किया जायेगा ।

कब्जे की अवधि का प्रतिकर

१६—(१) भूमि पर कब्जा करने के दिनांक के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र, कलेक्टर नियत रीति से जांच करेगा और प्रत्येक ऐसे वर्ष या वर्ष के भाग के लिये, जिसमें भूमि के उक्त अस्थायी कब्जे में रहे, देय प्रतिकर और उसे पाने के हकदार व्यक्ति का अवधारण करेगा ।

(२) प्रतिकर का अवधारण करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायेगा:—

(क) अस्थायी कब्जा किये जाने के दिनांक से ठीक तीन वर्ष पूर्व की अवधि में भूमि से प्राप्त शुद्ध औसत वार्षिक आय और उस भूमि के विषय में जिसकी कोई ऐसी आय न हो उक्त अवधि में, उस स्थान की उसी प्रकार की अन्य भूमि से प्राप्त शुद्ध औसत वार्षिक आय, यदि कोई हो;

(ख) बेदखली के परिणामस्वरूप व्यक्ति को हुई क्षति, यदि कोई हो;

(ग) भूमि को हुई या संभावित क्षति, यदि कोई हो; और

(घ) ऐसी अन्य बातें जो कलेक्टर को उक्त अवधारण के प्रयोजनों के लिये संगत प्रतीत हों ।

(३) उपधारा (१) के अधीन किये गये अवधारण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस अवधारण के दिनांक से तीस दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है जो उस पर ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे ।

(४) इस प्रकार अवधारित प्रतिकर का भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा जो इस धारा के अधीन उसका हकदार पाया जाये और ऐसा भुगतान कर दिये जाने पर राज्य सरकार तथा उसके अधिकारी उस अवधि के प्रतिकर के सम्पूर्ण दायित्व से अन्तिम तथा पूर्ण रूप से उन्मुक्त हो जायेंगे जिसके सम्बन्ध में भुगतान किया गया हो ; किन्तु इससे किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिकर पाने के उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिसे वह यथोचित विधि-प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे इस अधिनियम के अधीन भुगतान किया गया हो, प्रवर्तित करने का हकदार हो ।

कब्जे की वापसी

१७--(१) जब भूमि से अस्थायी कब्जा हटाना हो, और किसी भी दशा में अस्थायी कब्जे के लिये निश्चित अवधि की समाप्ति के पूर्व, कलेक्टर, नियत रीति से जांच करने के पश्चात्, लिखित आज्ञा द्वारा --

(क) यह अवधारित करेगा कि किस व्यक्ति को कब्जा वापस करना है; और

(ख) यह घोषित करेगा कि उसे भूमि का कब्जा उस दिनांक को वापस किया जायेगा, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाये ।

(२) उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक को भूमि का कब्जा उसमें उल्लिखित व्यक्ति को दिया गया समझा जायेगा ।

(३) उपधारा (२) के अधीन कब्जा दिये जाने पर राज्य सरकार तथा उसके अधिकारी कब्जा वापस करने के सम्बन्ध में संपूर्ण दायित्व से अन्तिम तथा पूर्णरूप से उन्मुक्त हो जायेंगे किन्तु इससे किसी अन्य व्यक्ति के भूमि सम्बन्धी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिसे वह यथोचित विधि प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे भूमि का इस प्रकार कब्जा दिया गया हो, प्रवर्तित करने का हकदार हो ।

अध्याय ५

योजना का कार्यान्वय

कार्य निष्पादित करने के लिये निदेश

१८--(१) भूमि संरक्षण अधिकारी नोटिस द्वारा, किसी लाभग्राही से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट किसी कार्य को उसमें उल्लिखित रीति से और (उसमें उल्लिखित) अवधि के भीतर अपने व्यय से करे ।

(२) यदि लाभग्राही भूमि संरक्षण अधिकारी को लिखित रूप से यह सूचित करे कि वह कार्य को उपयुक्त समय के भीतर करने में असमर्थ है या यदि कार्य तदर्थ निश्चित दिनांक तक या ऐसे और समय के भीतर, जिसकी भूमि संरक्षण अधिकारी अनुमति दें, उक्त अधिकारी के संतोषानुसार न किया जाये, तो भूमि संरक्षण अधिकारी उस कार्य को करा लेगा और किये गये व्यय को लाभग्राही से मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करेगा ।

(३) उपधारा (१) और (२) में किसी बात के होते हुये भी, यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि किसी कार्य को भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा करवा लेना जन-साधारण के हित में होगा तो वह उस कार्य को करने का उक्त अधिकारी को निदेश दे सकता है और उस कार्य का व्यय, भूमि संरक्षण अधिकारी लाभग्राही से, या लाभग्राहियों से ऐसे अनुपात में जो कलेक्टर निश्चित करे, मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करेगा ।

(४) यदि व्यय का भुगतान लाभग्राही या लाभग्राहियों द्वारा नियत समय के भीतर न किया जाये तो उस लाभग्राही या उन लाभग्राहियों पर उस पर ऐसा ब्याज देने का भी उत्तरदायित्व होगा जो नियत किया जाये ।

भूमि संरक्षण अधिकारी का प्रगति प्रतिवेदन देना

१९—(१) भूमि संरक्षण अधिकारी, ऐसे आकार में और ऐसे अन्तरालों पर जो नियत किये जायें, जिला समिति को योजनाओं के निष्पादन में हुई प्रगति का प्रतिवेदन देगा ।

(२) प्रगति के प्रतिवेदन की एक प्रति कृषि निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को भी भेजी जायेगी ।

(३) निदेशक, योजनाओं की प्रगति पर बोर्ड को त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।

राजस्व अभिलेखों में अधिकारों और दायित्वों की प्रविष्टि

२०—भूमि संरक्षण अधिकारी योजना के अन्तर्गत कार्य पूरा हो जाने पर नियत आकार में एक विवरण तैयार करेगा जिसमें वह लाभग्राहियों के अधिकारों तथा दायित्वों को दिखायेगा और उसे कलेक्टर को भेज देगा जो विवरण-पत्र के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा रखे गये संगत ग्राम अभिलेखों तथा नक्शों में प्रविष्टियां करायेगा ।

दायित्वों का निर्वहन

२१—(१) धारा २० के अधीन विवरण-पत्र में निर्दिष्ट लाभग्राही का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—

(क) योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य का अनुरक्षण तथा उसकी मरम्मत अपने व्यय करे, और

(ख) योजना के अन्तर्गत आरोपित अपने अन्य दायित्वों का निर्वहन करे ।

(२) यदि लाभग्राही उपधारा (१) की अपेक्षानुसार कार्य का अनुरक्षण या उसकी मरम्मत अथवा दायित्व का निर्वहन न करे तो कलेक्टर कार्य का अनुरक्षण या उसकी मरम्मत अथवा दायित्व का निर्वहन करा सकता है और वह ऐसे अनुरक्षण, मरम्मत या निर्वहन का व्यय लाभग्राही से मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करेगा ।

अध्याय ६

निवारक कार्यवाही और शास्तियां

भूमि एवं जल संरक्षण के प्रतिकूल कार्यवाही का निवारण

२२—(१) यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर कोई ऐसा कार्य करे जो भूमि एवं जल संरक्षण के हित के प्रतिकूल हो, तो कलेक्टर उसे इस बात का कारण बताने के लिये नोटिस देगा कि उसे उक्त कार्य करने से प्रतिषिद्ध करने की आज्ञा क्यों न दी जाये ।

(२) नोटिस के प्राप्त होने पर उक्त व्यक्ति उस कार्य को रोक देगा तथा वह कार्य तब तक रुका रहेगा जब तक कि उक्त नोटिस रद्द न कर दिया जाये ।

(३) जिस व्यक्ति पर नोटिस तामील किया गया हो, वह उसके प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।

(४) कलेक्टर आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आपत्तियों का निस्तारण करेगा। यदि आपत्ति मान ली जाये तो कलेक्टर नोटिस को रद्द कर देगा अन्यथा वह उस व्यक्ति को उक्त कार्य करने से प्रतिषिद्ध करने की आज्ञा देगा।

(५) उपधारा (४) के अधीन कलेक्टर की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

शास्तियां

२३—यदि कोई व्यक्ति बिना सम्यक् प्राधिकार के योजना के अन्तर्गत किसी कार्य को क्षति पहुंचाये या उसमें रुकावट डाले अथवा इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या दी गयी आज्ञा के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करे, वह सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर तीन मास से अनधिक अवधि के कारावास अथवा पांच सौ रुपये से अनधिक अर्थ दंड से अथवा दोनों से दंडनीय होगा और यदि अपराध जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थ-दंड से दंडनीय होगा जो प्रथम दोष-सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें ऐसा अपराध जारी रहे ५० रुपये तक हो सकता है।

अध्याय ७

विविध

अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां

२४—भूमि संरक्षण अधिकारी या कलेक्टर या आयुक्त के समक्ष इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही, इंडियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में तथा उक्त कोड की धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये भी न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

रिक्ति होने अथवा संघटन में दोष होने के कारण कार्यवाही का अवैध न होना

२५—बोर्ड या जिला समिति में कोई रिक्ति होने या उसके संघटन में कोई दोष होने के कारण ही बोर्ड या जिला समिति का कोई कार्य या कार्यवाही अवैध न होगी।

बहुमत द्वारा निर्णय

२६—यदि बोर्ड या जिला समिति के सदस्यों में किसी प्रश्न के सम्बन्ध में मतभेद हो तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत का निर्णय अभिभावी होगा और मतों के बराबर होने की दशा में यथा-स्थिति, बोर्ड या जिला समिति के सभापति को निर्णायक मत देने का भी अधिकार होगा।

प्रवेश करने आदि का अधिकार

२७—योजना को तैयार करने या उसके कार्यान्वयन अथवा योजना के अन्तर्गत किसी कार्य की मरम्मत करने या उसका अनुरक्षण करने के प्रयोजनों के लिये भूमि संरक्षण अधिकारी और उसके द्वारा सामान्यतः या विशिष्ट रूप से तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भूमि पर प्रवेश कर सकता है, उसका सर्वेक्षण कर सकता है और उसे चिन्हांकित कर सकता है और उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी काम कर सकता है।

२८—इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि किसी ऐसे लेख्य या नक्शे का निबन्धन अपेक्षित है, जो इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी योजना का भाग हो ।

लेख्यों का निबन्धन ऐक्ट संख्या १६, १९०८

२९—इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये, जन साधारण योजना से सम्बन्धित सभी लेख्यों और नक्शों को देख सकेंगे और उसकी प्रतिलिपियां किसी व्यक्ति को जो प्रार्थना करे नियत शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेंगी ।

लेख्यों और नक्शों का जनता द्वारा देखा जाना

३०—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में किया गया कोई अवधारण या दी गयी कोई आज्ञा अन्तिम होगी और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी ।

अवधारणों तथा आज्ञाओं का अन्तिम होना

३१—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दी गयी किसी आज्ञा के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो, कोई भी वाद या विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी ।

सद्भावना से किये गये कार्यों के विरुद्ध वाद या विधिक कार्यवाही का निषेध

३२—इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई बात उनसे असंगत हो ।

इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे

३३—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकती है ।

नियम बनाने का अधिकार

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है ।

(क) किसी व्यक्ति को लाभग्राही घोषित करने की प्रक्रिया और उसकी रीति ;

(ख) बोर्ड और जिला समितियों की स्थापना और उनके संघटन से संबंधित विषय ;

(ग) बोर्ड और जिला समितियों द्वारा कार्य-संचालन की प्रक्रिया (जिसमें गणपूर्ति भी है);

(घ) भूमि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्य तथा एक ही जिले में भूमि संरक्षण अधिकारियों के कार्य का विभाजन;

(ङ) योजना के प्रारूप में दिये जाने वाले विवरण;

(च) अभिप्रायों को विज्ञापित करने की रीति और अस्थायी कब्जा लेने के अभिप्राय तथा दिनांक के विज्ञापन की रीति,

(छ) ऐसी भूमि के लिये, जिसका अस्थायी कब्जा लिया गया हो देय प्रतिकर और उसे पाने के हकदार व्यक्तियों का अवधारण करने के निमित्त जांच करने की रीति ;

(ज) समय जिसके भीतर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा किये गये कार्य के व्यय का भुगतान लाभग्राही द्वारा किया जायेगा, और ऐसे व्यय पर ब्याज;

(झ) आकार जिसमें और अन्तराल जिन पर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा;

(ञ) लाभग्राहियों के अधिकारों तथा दायित्वों के विवरण का प्रपत्र;

(ट) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन रखे जाने के लिये अपेक्षित विवरण–पत्र, विवरणियां, रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख;

(ठ) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन नोटिसों का प्रपत्र और उन्हें तामील करने की रीति ;

(ड) इस अधिनियम के अधीन आपत्तियों तथा अपीलों का प्रस्तुत किया जाना और उनका निस्तारण तथा उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ढ) किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के कर्त्तव्य जिसे इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार प्राप्त हो ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और

(ण) अन्य विषय जो नियत किये जाने हों या नियत किये जा सकते हों।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्य, शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान-मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्य सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

१९५४ के उ०प्र० अधिनियम संख्या ११ का निरसन

३४—(१) उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५४ निरस्त किया जाता है।

(२) उक्त अधिनियम की धारा १५ के अधीन पुष्टीकृत योजना इस अधिनियम के अधीन अन्तिम हुई योजना समझी जायगी और उसके लिये धारा १२ की अपेक्षानुसार एक सामान्य नोटिस, प्रकाशित किया जायेगा। पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन तैयार की गयी ऐसी योजना जिसे इस प्रकार पुष्ट न किया गया हो, इस अधिनियम की धारा ९ के अधीन तैयार की गयी प्रारूप योजना समझी जायेगी और उसके सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

कठिनाइयों को दूर करना

३५—(१) यदि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५४ के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण करने के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, ऐसे संक्रमण को सुनकर बनाने के लिए, गजट में आज्ञा विज्ञापित करके निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट सीमित अवधि के लिए, ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो इस प्रकार निर्दिष्ट किये जायें।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, इस धारा के अधीन कोई आज्ञा न दी जायेगी।

(३) इस धारा के अधीन दी गयी आज्ञा, दी जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

———

प्रथम अनुसूची

[धारा १ (२) देखिये]

क्रम-संख्या	जिलों के नाम
१	आगरा
२	फतेहपुर
३	हमीरपुर
४	जालौन
५	झांसी
६	मथुरा
७	मिर्जापुर
८	प्रतापगढ़
९	सुल्तानपुर
१०	टेहरी-गढ़वाल
११	लखनऊ
१२	सीतापुर
१३	फर्रुखाबाद

द्वितीय अनुसूची

[धारा २ (१२) देखिये]

भूमि एवं जल-संरक्षण से संबद्ध विषय—

१—वायु द्वारा कटाव और जल द्वारा कटाव (परत कटाव, जलमार्गों और दरारों का बनाना, किनारों का कटाव और बाढ़) के विरोधी उपाय यथा:—

(क) मेड़ों, डौलों और बंधियों का निर्माण अथवा अन्य भूमिबंधक घासों और पौधों का लगाना ;

(ख) भूमि को समतल करना,

(ग) समोच्चरेखीय कृषि,

(घ) किसी भी क्षेत्र में जहां कटाव होता हो, ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(ङ) कतारों में फसलें उगाने की मनाही,

(च) पट्टियों में खेती,

(छ) वर्षा ऋतु में जल्दी पकने वाली फलीदार फसलें तथा अन्य सघन फसलें उगाना,

(ज) हरी खाद देना, और अधिक मात्रा वाली आर्गेनिक खादों, जैसे कम्पोस्ट, फार्मयार्ड मैन्योर (पांस) इत्यादि का प्रयोग,

विधान सभा

(झ) भूमि का खेती से विश्राम, यदि उस पर खेती होते रहना उस भूमि के लिये अथवा अन्य भूमि के लिये हानिकर हो,

(ञ) चराई पर नियंत्रण,

(ट) किसी भूमि के कटाव से बचाव के लिये अथवा अन्य किसी भूमि के बचाव के लिये उस पर वन लगाना अथवा फलवृक्ष लगाना अथवा पशुचर बनाना,

(ठ) वायु के गतिरोध के लिए वृक्ष या झाड़ियां लगाना,

(ड) वृक्षों को गिराने, या छांटने या झाड़ियां साफ करने पर नियंत्रण,

(ढ) कृषीय प्रयोजनों के लिये हीन (marginal) और अतिहीन (sub marginal) भूमियों को तोड़ने की मनाही ।

२—जल भरने और अवरुद्ध होने के विरोधी उपाय यथा :

(क) जल भरे क्षेत्रों को पोखर बना देना,

(ख) जल निकासी की नालियां खोलना,

(ग) भूमिगत जल को पम्प करके निकालना,

(घ) रेल पथ, नहर अथवा सड़क के बांध की पुलियों और जलमार्गों की संख्या बढ़ाना अथवा वर्तमान पुलियों इत्यादि को चौड़ा करना ।

३—भूड़ क्षेत्रों को सुधारने के उपाय, यथा :

(क) मेड़ों, डौलों और बंधियों का निर्माण और उन पर मूंज, सरकंडा अथवा अन्य भूमि बंधक घासों और पौधों का लगाना,

(ख) भूमि को समतल करना,

(ग) ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(घ) फलीदार फसलें उगाना,

(ङ) हरी खाद देना और कम्पोस्ट, फार्मयार्ड मैन्योर (पांस) इत्यादि जैसी अधिक मात्रा वाली आर्गेनिक खादों का प्रयोग,

(च) चराई पर नियंत्रण ।

४—ऊसर भूमि का उद्धार और ऊसर होने से रोकने के उपाय, यथा:

(क) उन क्षेत्रों में जहां भूमिगत जल-तल उच्च हों, ऊपर के तथा भूमि के भीतर के जल का निष्कासन;

(ख) उन क्षेत्रों में जहां भूमिगत जलतल नीचा हो हानिकर नमकों को निकालने के लिये बंधियों का निर्माण और बरसाती तथा नहरी पानी का बंधान,

(ग) जहां जल भरता हो वहां जल निकासी की नालियों की व्यवस्था करना; तथा

(घ) सेलखड़ी का प्रयोग ।

५—अन्य उपाय जो नियत किये जायं ।

उद्देश्य और कारण

भूमि, कृषि का भौतिक आधार है किन्तु पिछली कुछ शताब्दियों में जल और वायु ने इस राज्य की असुरक्षित भूमि की सतहें उड़ा दी जिसके कारण भयावह कन्दराओं के रूप में लाखों एकड़ भूमि की व्यापक क्षति हुई है। इसी प्रकार इस राज्य में लाखों एकड़ ऊसर भूमि है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी उपेक्षा करने के पश्चात् अब हमें दुःख के साथ विदित हुआ है कि भूमि का कटाव तथा अन्य बातें जैसे दोषपूर्ण जलोत्सारण, भूमि में क्षार का बढ़ जाना, दुरुपयोग से भूमि का कमजोर होना, सतह का जल निकल जाने से भूमि का शुष्क होना आदि, ऐसे कारण हैं जिनसे भूमि की तथा कृषि उत्पादन की अवनति होती है।

२—भूमि के संरक्षण संबंधी अन्वेषण और उसके विषय में जनता को शिक्षित करने के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के अतिरिक्त, राज्य के भूमि साधनों के संरक्षण तथा उनके सुधार के लिये १९५४ में एक अधिनियम बनाया गया था। यह इस राज्य में भूमि संरक्षण कार्य की शुरूआत थी, इसलिये अधिक सतर्कता अपनायी गयी थी। किन्तु अनुभव से यह मालूम हुआ है कि इस अधिनियम में जिस तंत्र की व्यवस्था की गयी थी, वह वास्तव में विलम्बकारी थी। केवल योजनाओं को ही अन्तिम रूप देने में दो वर्ष लग जाते थे। योजनाओं के अन्तिम अनुमोदन के लिये उन्हें दो-दो बार राज्य के मुख्यालय को भेजना पड़ता था। उसी प्रकार, सरकारी व्यय से योजना के कार्यान्वय और बाद में लाभग्राहियों से उस व्यय की वसूली संबंधी उपबन्ध भी अस्पष्ट थे। भूमि संरक्षण के संबंध में बढ़ती हुई चेतना में यह भी पता चला कि इस अधिनियम में, राज्य में भूमि को हानि पहुंचाने वाले कार्यों जैसे अनियंत्रित उत्खनन, क्षेत्रों को साफ करने के लिये बड़े पैमाने पर वनस्पति जलाने या वृक्ष के गिराने, पर्याप्त पूर्वोपायों के बिना खड़ी ढालों पर खेती करने आदि को रोकने की व्यवस्था नहीं थी। उसी प्रकार, उस अधिनियम में योजना के कार्यान्वय के लिये भूमि का अस्थायी अर्जन करने का कोई उपबन्ध नहीं था।

३—फलस्वरूप वर्तमान अधिनियम के कार्यान्वय में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा अधिक शीघ्र कार्य पूरा करने के लिये एक तंत्र की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह विचार हुआ है कि परिनियम पुस्तक (स्टीट्यूट बुक) में एक पुनरीक्षित अधिनियम लाया जाये। इस नये अधिनियम की कुछ विशिष्ट बातें नीचे दी गयी हैं :—

(१) इसमें न केवल भूमि संरक्षण की बल्कि जल संरक्षण की भी व्यवस्था की गयी है।

(२) इसमें योजनाओं के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिये एक शीघ्र कार्य करने वाले तंत्र की व्यवस्था की गयी है जिसमें यह सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था है कि उन सभी व्यक्तियों को, जो प्रभावित होंगे या जिनके प्रभावित होने की सम्भावना हो, आपत्तियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिले।

(३) इसमें सरकारी खर्चे से योजना के निष्पादन की व्यवस्था की गयी है यदि लाभग्राही ऐसा चाहें या यदि लाभग्राही भूमि संरक्षण अधिकारी के सन्तोषानुसार कार्य न करे अथवा यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि कार्य सरकारी खर्चे पर अपेक्षाकृत अधिक समुचित रूप से या शीघ्रता से किया जा सकता है? व्यय, लाभग्राहियों से उचित किश्तों में मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(४) इसमें अधिक संख्या में गैर सरकारी व्यक्तियों जैसे जिला परिषद के अध्यक्षों और क्षेत्र समितियों के प्रमुखों को सम्मिलित किया गया है।

चरण सिंह
कृषि मंत्री।

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ के सम्बन्ध में वित्तीय विवरण-पत्र का ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५४, इस समय राज्य के १३ जिलों में प्रचलित है। किन्तु, अनुभव से यह मालूम हुआ है कि इस अधिनियम में भूमि संरक्षण कार्य को तीव्र गति से चलाने की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने से कृषि उत्पादन पर बहुत अधिक बल दिया जाने लगा है और कृषि उत्पादन बढ़ाने के किसी भी प्रयास में भूमि संरक्षण उपायों को अधिक पूर्वता दी जानी चाहिये। पुनरीक्षित विधेयक में कार्यक्रम का अधिक शीघ्रता से निष्पादन करने के लिये एक तंत्र की व्यवस्था की गयी है।

नये अधिनियम के अधीन व्यय का वही रूप होगा जो पुराने अधिनियम के अधीन है और कोई नयी वित्तीय वचन बद्धता (financial commitments) की आशा नहीं है। भूमि संरक्षण कार्य नये जिलों में प्रारम्भ किया जायेगा इसलिये वहां आवश्यक कर्मचारियों को तैनात करना होगा और चरणबद्ध कार्यक्रम (Phased programme) के अनुसार ऋण तथा सहायक अनुदान स्वीकृत करने की व्यवस्था करनी होगी। उसी प्रकार, विधेयक के खंड १४ से १६ तक के अधीन भूमि के अस्थायी अर्जन के लिये कुछ प्रतिकर भी दिया जायेगा। फिर भी अस्थायी अर्जन के कारण होने वाले व्यय का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

नये विधेयक के अधिनियम बन जाने पर वर्तमान अधिनियम निरस्त हो जायेगा।

चरण सिंह
कृषि मंत्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

ज्ञापन-पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ के ऐसे उपबन्धों को स्पष्ट किया गया है जिसमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ में कतिपय ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें कुछ मात्रा में विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान है। खंड, ३२ (१) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह सामान्यतया इस विधेयक के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ और विशेषतया खंड ३२ के उपखंड (२) में दी गयी कतिपय बातों के लिए नियम बनाये। ये नियम विधेयक में, जैसा कि वह विधान मंडल द्वारा अधिनियमित किया जाय, दिये गये शासी निदेशों को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुए, उसमें उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त, बनाये जायेंगे। विधान मंडल को इन नियमों का परीक्षण और उनमें परिष्कार करने का अवसर प्राप्त होगा क्योंकि खंड ३२ के उपखंड (३) में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि ऐसे समस्त नियम विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करना चाहे।

उपर्युक्त खंड के अतिरिक्त ,विधेयक के अन्य खंडों में भी प्रतिनिहित विधायन की प्रस्थापनायें हैं और उन्हें नीचे स्पष्ट किया है :—

खंड ६ (१)—इस खंड में राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक जिले के लिए जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति स्थापित की जायगी।

खंड ९ (२) (च)—इस खंड में राज्य सरकार को उन विवरणों को नियत करने का अधिकार दिया गया है जो भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा तैयार की गयी योजना के प्रारूप में दिये जायें। ये विवरण खंड ९ के उपखंड (२) में निर्दिष्ट विवरणों के अतिरिक्त होंगे।

खंड १० (२)—इस खंड में राज्य सरकार को वह प्रपत्र नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसमें भूमि संरक्षण अधिकारी एक नोटिस तैयार करेगा जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि योजना किस स्थान में और किस समय पर सर्वसाधारण द्वारा निःशुल्क देखी जा सकती है।

खंड १० (६)—इस खंड में राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार भूमि संरक्षण अधिकारी योजना के प्रारूप के संबंध में उपखंड (३) या उपखंड (४) के अधीन की गयी आपत्तियों की सुनवाई करेगा।

खंड १२—इस खंड में राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार भूमि संरक्षण अधिकारी एक सामान्य नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें वह यह सूचित करेगा कि योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और वह नोटिसमें उल्लिखित स्थान पर सर्वसाधारण द्वारा निःशुल्क देखी जा सकती है।

खंड १३ (२)—इस खंड में राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार भूमि संरक्षण अधिकारी या तो स्वतः अथवा हित रखने वाले व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र देने पर योजना में कोई लिपिक या अंक गणना संबंधी त्रुटि शुद्ध करेगा।

खंड १५—इस खंड में राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार भूमि संरक्षण अधिकारी, योजना का निष्पादन करने के लिए, भूमि पर अस्थायी कब्जा करने के अभिप्राय को विज्ञापित करेगा।

खंड १६ (१)—इस खंड में राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार कलेक्टर प्रति वर्ष या वर्ष के ऐसे भाग के लिये, जिसमें भूमि राज्य सरकार के अस्थायी कब्जे में रहे, देय प्रतिकर और उसे पाने के लिये हकदार व्यक्ति का अवधारण करने के लिये जांच करेगा।

खंड १७ (१)—इस खंड में राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार कलेक्टर, जब भूमि से अस्थायी कब्जा हटाना हो और प्रत्येक दशा में अस्थायी कब्जे के लिये निश्चित अवधि की समाप्ति के पूर्व, उस व्यक्ति का जिसे कब्जा वापस दिया जाय, अवधारण करने के लिये जांच करेगा।

खंड १८ (४)—इस खंड में राज्य सरकार को वह समय नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके भीतर लाभग्राही से वसूल किये जाने वाले व्यय का और उस व्याज का भुगतान लाभग्राही द्वारा किया जायगा जिसके लिये वह देनदार हो यदि व्यय का भुगतान नियत समय के भीतर न किया जाये।

खंड १९ (१)—इस खंड में राज्य सरकार को वह प्रपत्र, जिस पर, और वे अन्तराल, जिनपर भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला समिति को योजनाओं के निष्पादन में हुई प्रगति का प्रतिवेदन देगा नियत करने का अधिकार दिया गया है।

खंड २०—इस खंड में राज्य सरकार को वह विवरण प्रपत्र नियत करने का अधिकार दिया गया है कि भूमि संरक्षण अधिकारी योजना के अन्तर्गत कार्य पूरा हो जाने पर लाभग्राहियों के अधिकारों तथा दायित्वों को दिखाने के लिये और राजस्व विभाग द्वारा रखे गये संगत ग्राम अभिलेखों तथा नक्शों में उनकी प्रविष्टियां करने के लिए तैयार करेगा।

खंड २९—इस खंड में राज्य सरकार को वह शुल्क नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसका भुगतान करने पर योजना में संबंधित सभी लेख्यों और नक्शों की प्रतियां किसी व्यक्ति को, जो उसके लिये आवेदन-पत्र दे दी जायगी।

खंड ३४—इस खंड में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५४ के उपबन्धों से उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ के, जैसा कि वह विधान मंडल द्वारा अधिनियमित किया जाये, उपबन्धों में संक्रमण करने के संबंध में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां दूर करने

के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था की गयी है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वह आज्ञा द्वारा निदेश दे कि पश्चातवर्ती के उपबन्ध उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट सीमित अवधि के लिये, ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो उसमें निर्दिष्ट किये जायें। इस प्रकार दी गई आज्ञा विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेंगी और इसे जारी करने का राज्य सरकार का अधिकार इस अधिनियम के, जैसा कि विधान मंडल द्वारा अधिनियमित किया जाये, प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक के लिए सीमित है।

उपर्युक्त अधिकार सामान्य प्रकार के हैं।

चरण सिंह,
कृषि मंत्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० —ए० पी०—३०६ एल ए०—८५०।